खण्ड-219, अंक-7
सोमवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(6 मार्च, 1961 ई0)

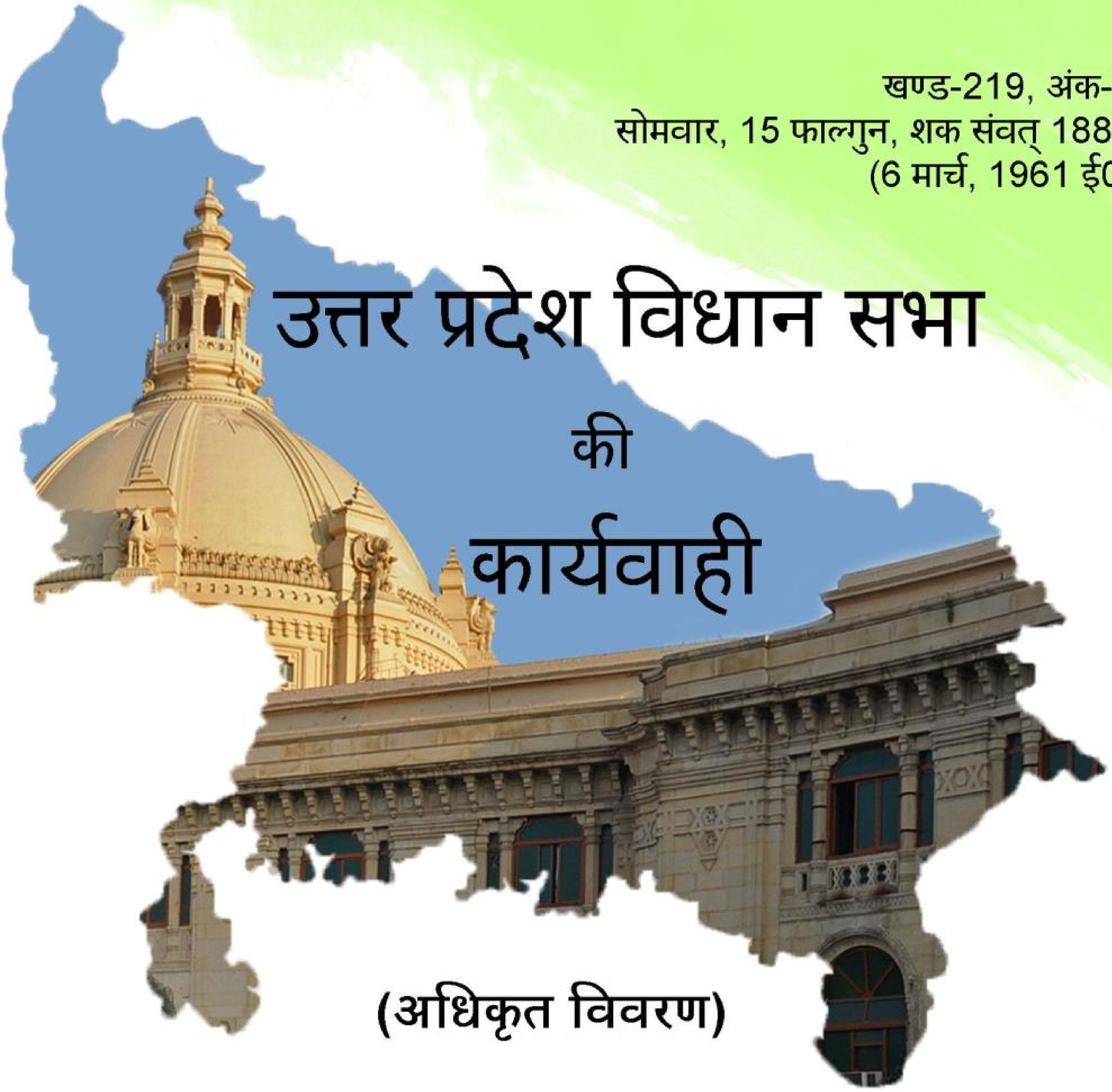

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 219 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ६ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (२९२)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अहमद बख्श, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भण्डारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री

मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन , श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय, श्री
रघुनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र श्री
रामलखनसिंह , श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ६ मार्च, १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर रीजन में स्टाक किया गया गेहूं

**१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी तथा गोरखपुर रीजन में खाद्य नियंत्रण विभाग ने कितना मन गेहूं का स्टाक सन् १९६० में खरीद कर रक्खा था ? उसमें से कितने मन गेहूं राशन की दूकानों द्वारा बेचा गया और कितना इस वक्त स्टाक में पड़ा है ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १–२ श्री रामायण राय ने पूछे ।

सूचना उप-मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—गोरखपुर रीजन जिसमें वाराणसी भी सम्मिलित है सन् १९६० में ८९९५४ मन देशी गेहूं खरीदा गया। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार दूसरे रीजनों में खरीदा गया गेहूं भी मंगाकर रखा गया। कुल स्टाक में से १ जनवरी, १९६० से ४ फरवरी, १९६१ तक ५०४६३४ मन देशी गेहूं राशन की दूकानों द्वारा वितरित किया गया और ४ फरवरी, १९६१ को स्टाक में कुल १९६१४० मन देशी गेहूं बचा हुआ था।

****२—श्री ऊदल (अनुपस्थित)**—क्या सरकार को पता है कि जो गेहूं इस वक्त उपर्युक्त रीजनों में स्टाक में है वह गोदामों में सड़ रहा है और उसे अधिकारी नीलाम कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करने का विचार कर रही है?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं। गेहूं सड़ा नहीं है। खाद्य स्थिति में सुधार होने से सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से गेहूं की बिक्री कम हो गई जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के पास देशी गेहूं का स्टाक आवश्यकता से अधिक हो गया है। ऐसे स्टाक को गोदामों में रखने का खर्च बचाने के उद्देश्य से फालतू गेहूं को नीलाम करके या व्यापारियों द्वारा लगाये गए दाम जो सरकार द्वारा निर्धारित थोक बिक्री भाव से कम न हो, बेचा जा रहा है। अतः इस विषय में जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर रीजन में कुछ ऐसी जगहें थीं जहां गेहूं की मांग की जा रही थी, उस वक्त गेहूं को उन जगहों पर नहीं भेजा गया और इस वक्त वही गेहूं का जखीरा जो इकट्ठा है, उसको कम दाम पर बेचा जा रहा है?

श्री रऊफ जाफरी—मेरे पास ऐसी कोई सूचना मौजूद नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि यही गेहूं जब दूकानदारों को दिया गया और उसके बारे में इस सरकार की सेवा में माननीय सदस्यों द्वारा कई बार शिकायत कीगाई तो उस मौके पर यह कहा गया कि "हां, सम्भव है कि यह गेहूं सड़ गया हो", तो आज क्या कारण है कि यह कहा जा रहा है कि जो गेहूं वहां पर था वह नहीं सड़ा?

श्री अध्यक्ष—अगर उसी प्रश्न से सम्बन्धित है जिसका उत्तर दिया गया था तो उसका हवाला देते हुए उस उत्तर को निकाल कर आप सवाल करें तो मैं इजाजत दे दूंगा। क्योंकि इस तरह से तो पुराने प्रश्न किसी को याद नहीं रह सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने मन गेहूं नीलाम हो चुका है और किन दामों पर नीलाम हुआ है?

श्री रऊफ जाफरी—जो सफेद गेहूं है वह १६ रुपये ५८ नये पैसे मन के हिसाब से जिसमें बोरे का दाम भी शामिल है, बेचा जा रहा है और लाल गेहूं १५ रुपये ५७ नये पैसे मन के हिसाब से बेचा जा रहा है। मैं यह भी बतला दूं कि यह जो गेहूं बेचा जा रहा है वह किसी घाटे पर नहीं बेचा जा रहा है। सफेद गेहूं जो १४ रुपये मन के हिसाब से खरीदा गया था वह १६ रुपये ५८ नये पैसे मन के हिसाब से बेचा जा रहा है। उसमें जो खर्चा वगैरह होता है २ रुपये मन के करीब वह भी इसमें हम ले रहे हैं। जो गेहूं १५ रुपये ५७ नये पैसे मन के हिसाब से बेचा जा रहा है वह १३ रुपये मन के हिसाब से खरीदा गया था।

श्री गेंदासिंह—क्या मेरी इस इत्तला को सूचना मानकर माननीय मंत्री जी जांच कराने की मेहरबानी करेंगे कि जिन दूकानों ने गेहूं मांगा था उनको गेहूं नहीं दिया गया, गेहूं का यह स्टाक बेकार पड़ा रहा, लोगों की जरूरत पर नहीं दिया गया और इस तरह से यह गेहूं बर्बाद किया गया?

श्री रऊफ जाफरी—जहां तक गोरखपुर रीजन का ताल्लुक है वहां तो न नीलाम किया गया और न गेहूं बेचा गया इसलिए वहां के बारे में यह सवाल सही नहीं है, लेकिन एक रीजन में नीलाम हुआ है और वहां जब दाम निर्धारित रेट के अनुसार आ गये तभी बेचा गया है, लेकिन गोरखपुर रीजन में तो बिका ही नहीं है।

श्री गेंदासिंह——क्या गोरखपुर रीजन में जो गेहूं है उसको कम दामों पर बेचने का सरकार का इरादा नहीं है और क्या वह अब दूकानदारों को बेचने के लिये दिया जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी——जहां तक दूकानों पर बेचने का ताल्लुक है उसका भाव ज्यादा है और लोग वहां से नहीं खरीद रहे हैं और दूकानदार ज्यादा गेहूं लेने को तैयार नहीं हैं। अगर कोई लेना चाहेगा तो हम खुशी से देंगे ।

श्री गेंदासिंह——मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे आदेश रीजनल फूड कंट्रोलर या जिलाधीशों को भेजेगी कि जिन दूकानों पर गेहूं की मांग हो उनको गेहूं तुरन्त दिया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी——जैसा कि मैंने कहा कि हम निर्धारित दामों पर किसी को भी दे सकते हैं, तो कोई वजह नहीं कि दूकानदार मांगें तो उनको न दिया जाय, उनको जरूर देंगे ।

डाक्टर सी० बी० सिंह, प्रिन्सिपल मेडिकल कालेज, कानपुर की पुनर्नियुक्ति

३——श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)——तथा **श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)——कानपुर मेडिकल कालेज के वर्तमान प्रिन्सिपल के रिएम्पलायमेंट के सम्बन्ध में १४ सितम्बर, १९६० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के संदर्भ में जैसा कि वह १६ फरवरी, १९६१ को संशोधित किया गया है क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रिन्सिपल को रिएम्पलाय किन-किन कारणों से किया गया है और कितनी अवधि के लिये ?

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री धर्मसिंह)——कानपुर मेडिकल कालेज के वर्तमान प्रिन्सिपल डा० सी०बी० सिंह ५ जनवरी, १९५७ से उस कालेज में प्रिन्सिपल तथा सर्जरी के प्रोफेसर के पद पर एक सुयोग्य सर्जन तथा शिक्षाशास्त्री (educationist) होने के नाते रिएम्पलाय किये गये ।

इनके रिएम्पलायमेंट की अवधि को ३१ मार्च, १९६१ तक स्वीकृत करने के लिये लोक सेवा आयोग को लिखा गया है ।

श्री रामचन्द्र विकल——क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग को इनकी अवधि बढ़ाने के लिये कब लिखा गया ?

श्री धर्मसिंह——इसके लिये समय-समय पर लिखा गया है ।

श्री रामचन्द्र विकल——क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनकी अवस्था इस समय क्या है ?

श्री धर्मसिंह——६१ वर्ष १ महीना २४ दिन ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)——इस बात को देखते हुये कि अंतिम वर्ष सीमा ५८ है, इनको अब रिटायर किया जाय, इस प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ताकि जो दूसरे नये डाक्टर हैं उनको भी मौका मिल सके ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)——यह सज्जन ३१ मार्च को रिटायर होने वाले हैं और तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन नये प्रिन्सिपल की नियुक्ति के संबंध में अपने सुझाव सरकार के पास भेज देगा ।

श्री रामचन्द्र विकल——पिछली सर्विस में इनको क्या वेतन मिलता था और अब क्या मिलता है तथा क्या इनको पेन्शन भी मिलती है, इसको सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——पेन्शन मिलने का तो सवाल उठता नहीं है । प्रिन्सिपल, मेडिकल कालेज का वेतन १,५००——२,००० निर्धारित है, उसी के अनुसार इनको वेतन मिलता है ।

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन

****४——श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या विधान सभा की द्विसदस्यीय (double member constituencies) के विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव जिला अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के पास आ चुके हैं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)——राज्य सरकार का इससे संबंध नहीं है । प्रस्तावित विधान के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करेगा । इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सुझाव मांगे हैं जो कि जिलों से सूचना एकत्र कर रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न

बेनाझावर लेबर कालोनी उपभोक्ता सहकारी समिति, कानपुर का रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना-पत्र

*१——**श्री मदन पाण्डेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)——क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी, इलाहाबाद के पास कानपुर शहर की बेनाझावर लेबर कालोनी उपभोक्ता सहकारी समिति के नाम से रजिस्ट्री का कोई प्रार्थना-पत्र जुलाई, १९५८ से दिनांक १० सितम्बर, १९६० तक बिना रजिस्ट्री हुये पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इतनी लम्बी अवधि तक रजिस्ट्री न किये जाने का कारण बताने की कृपा करेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)——जी नहीं ।

*२——**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र कितनी बार प्रार्थियों के पास भूल सुधार के निमित्त भेजा गया ?

श्री मंगलाप्रसाद——दो बार ।

*३——**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)——क्या यह सही है कि सभी गलतियों को एक ही बार दुरुस्त कराने के बजाय बार-बार नई गलतियां निकाल कर दुरुस्ती के लिये प्रार्थना-पत्र वापस किया गया ?

श्री मंगलाप्रसाद——जी हां ।

*४–६——**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)——[२३ फरवरी, १९६१ को प्रश्न २१–२३ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*७–९——**श्री ऊदल** (अनुपस्थित)——[२० फरवरी, १९६१ को प्रश्न ८५–८७ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*१०–११——**श्री ऊदल** (अनुपस्थित)—— [७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[२३ फरवरी, १९६१ को प्रश्न २४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

शिवपुरवा व छित्तूपुर गांवों को मास्टर प्लान में लेना

*१३—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वाराणसी नगर महापालिका ने शिवपुरवा व छित्तूपुर गांवों की तथा उनकी सारी जमीन को मास्टर प्लान के अन्तर्गत ले लिया है और उसकी मंजूरी के लिये सरकार को लिखा है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—वाराणसी नगर महापालिका ने कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया है। हां, वाराणसी विनियमित क्षेत्र (regulated area) के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा एक मास्टर प्लान ग्रहण कर लिया गया है जिसे भूतपूर्व इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने नगर तथा ग्राम नियोजन से तैयार कराया था और जिसकी स्वीकृति सरकार ने भी दे दी है। इस मास्टर प्लान में शिवपुरवा व छित्तूपुर गांव का क्षेत्र भी शामिल है।

*१४—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त गांवों को तथा उनकी जमीन को हासिल करने के लिये वाराणसी नगर महापालिका ने कोई कार्यवाही वाराणसी तहसील में भी की है? यदि हां, तो क्या?

श्री कैलाशप्रकाश—इस विषय में वाराणसी नगर महापालिका ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

*१५-१६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[१३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी के लिये सामूहिक जल सम्भरण योजना

*१७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध से झांसी शहर कैन्टूनमेंट व रेलवे एरिया में पानी सप्लाई की जो झांसी नगरपालिका मिलिटरी तथा सेन्ट्रल रेलवे की सामूहिक योजना कई वर्षों से विचाराधीन है उसमें कितनी प्रगति हुई तथा वह कब तक कार्यान्वित हो जायगी?

श्री कैलाशप्रकाश—झांसी नगर में सामूहिक जल सम्भरण योजना के सम्बन्ध में दो विकल्प (project) बनाये जा रहे हैं।

एक project जिसमें पानी ढुकुवा बांध से लिया जायगा लगभग तैयार है, दूसरा प्रोजेक्ट (project) जिसमें पानी माताटीला बांध से लिया जायगा जून, १९६१ तक बन जाने की आशा की जाती है। दोनों योजनाओं को समुचित रूप से विचार करने के बाद एक की मंजूरी दी जायगी। योजना को कार्यान्वित करने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माताटीला बांध की योजना किसकी देखरेख में तैयार हो रही है?

श्री कैलाश प्रकाश—एल० एस० जी० ई० डी० के अन्तर्गत।

*१८—श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—[२० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१९—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—[१० मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२०-२२--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--[१४ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न २८-३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

नगर महापालिका अधिनियम में संशोधन की कथित मांग

*२३--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की किन-किन नगर महापालिकाओं ने नगर महापालिका अधिनियम में संशोधन करने की मांग की है ? सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--किसी ने नहीं ।

दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

*२४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--[२० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजनान्तर्गत नैनीताल जिले को ऋण

*२५--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--(अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल नगरपालिका को कितना रुपया इस वर्ष निम्न स्तर आमदनी वालों के मकानों के लिये दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--वर्तमान वित्तीय वर्ष में नगरपालिका, नैनीताल को अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना (Low Income Group Housing Scheme) के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के लोगों के लिये भवन निर्माण हेतु ९२,००० रु० का एक ऋण स्वीकृत किया गया है जिसमें से ३०,००० रु० की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में नगरपालिका को मुक्त की गई है ।

श्री रामायणराय--शेष धनराशि इस नगरपालिका को कबतक देने का विचार है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जो धनराशि उनको दी जा चुकी है उसका इस्तेमाल जब कर लेंगे, तो जो तरीका है उसके अनुसार दी जायगी ।

*२६--श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)--[१३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२७--श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)--[२० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२८-२९--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--[२० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

न्याय पंचायतों के पंचों की नियुक्ति

*३०--श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद), श्री रामदीन (जिला मैनपुरी), श्री मोतीलाल अवस्थी, श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि न्याय पंचायतों के सदस्यों का चुनाव कब तक होगा ?

नोट--तारांकित प्रश्न २५ श्री रामायणराय ने पूछा ।

श्री कैलाशप्रकाश—न्याय पंचायतों के पंचों की नियुक्ति पंचायतराज अधिनियम की धारा १२ की उपधारा ५ के अनुसार गांव पंचायतों के गठन के विज्ञापन के पश्चात् धारा ४३ के प्राविधानों के अनुसार की जाती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नियत अधिकारी कौन होंगे और वे पंचायतों का निर्वाचन किस प्रकार से करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—नियत अधिकारी तो जिलाधीश हैं, वही नामजदगी करते हैं और नामजदगी उन्हीं में से होगी जो गांव में पंचायत के सदस्य चुने गये हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अदालती पंचायतों में चुने हुए लोग हैं उनमें से छांटने के लिये जिलाधीश किन साधनों का उपयोग करेंगे, किस एजेंसी के द्वारा उनकी योग्यता को समझेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—अभी यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले निर्वाचन के समय हर गांव पंचायत में जो दो सदस्य अतिरिक्त चुने गये थे और उनमें से न्याय पंचायतों के लिये चुन लिये गये थे, लेकिन इस बार निर्धारित संख्या के आधार पर ही लिये गये; तो न्याय पंचायतों में जो सदस्य चुने जायेंगे उनकी पूर्ति गांव पंचायत में किस प्रकार से की जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—अगर कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो चुनाव के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। वही किया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—न्याय पंचायतों के लिये जो सदस्य चुने जायेंगे तो उस नियत अधिकारी को कोई आधार निश्चित करके बताया गया है कि किस आधार पर चुनेगा ? उसकी क्या प्रक्रिया होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं उत्तर दे चुका हूं कि वह सब मामला विचाराधीन है। बाकी नियमानुसार न्याय पंचायतों में रहने के लिये कुछ पढ़े-लिखे होने की योग्यता रहेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह धारा ४३ के प्राविधान के अन्तर्गत पंचों की योग्यताएं क्या सोची गयी हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—उन सब मामलों पर विचार किया जा रहा है। जब अन्तिम एक रूप उसका बन जायगा तब मैं सदन के सामने रख सकूंगा।

*३१—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—[२० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

न्याय पंचायतों सम्बन्धी निदेशक पंचायत राज का पत्र

*३२—**श्री भगवतीसिंह विशारद** तथा **श्री शिवराज बहादुर** (जिला बरेली)—क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संचालक, पंचायतराज, उत्तर प्रदेश ने वर्ष १९६०-६१ में कोई आदेश निकाला है कि प्रत्येक विकास क्षेत्र अथवा छाया विकास क्षेत्र में अदालत पंचायतों की संख्या घटा कर उस क्षेत्र में नियुक्त ग्राम सेवकों की संख्या के बराबर ही रहे ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

*३३—श्री भगवतीसिंह विशारद तथा श्री शिवराजबहादुर—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के आदेश निकालने के क्या कारण हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की ओर से कोई आदेश भेजे गये हैं जिनकी रू से हर विकास खंड में इस प्रश्न पर विचार हो रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, निदेशक पंचायत राज की ओर से इस तरीके का पत्र गया है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार का इस प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है कि न्याय पंचायतों की संख्या घटायी जाय तो इस तरह के निर्देशन भजने और बी० डी० सी० में इस प्रकार के निर्देशन पर विचार करने की आवश्यकता क्या पड़ी ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रश्न यह है कि एक सुझाव है कि हर ब्लाक के अन्तर्गत जितने विलेज लेविल वर्कर्स के क्षेत्र हों उतने ही पंचायतों के क्षेत्र हों। इस कार्य के करने में यह देखना है कि पंचायत के मंत्रियों की संख्या वही रहती है या बढ़ जाती है, या घट जाती है। इस चीज को करने के लिये इस तरीके का एक पत्र निदेशक पंचायत राज ने भेजा है और जिले से इस तरह की सूचना उन्होंने मंगायी है कि जो विलेज लेविल वर्कर्स की संख्या है, यदि न्याय पंचायतों के सेक्रेटरीज के क्षेत्र की वही संख्या हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या यह सही है कि पहले इस तरह का प्रश्न बी० डी० सी० में प्रेषित किया गया और विचारार्थ प्रस्तुत हुआ, लेकिन जब बी० डी० सी० ने विरोध किया तो वह प्रश्न उनके हाथ से ले लिया गया है और बी० डी० ओ० ही इस प्रकार की रिपोर्ट सरकार के पास भेज रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि पहले बी० डी० सी० को यह काम दिया गया था और उसके बाद इस काम को वापस कर लिया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्रों में जो पंचायत अदालतों के सीमा क्षेत्र मुकर्रर हो रहे हैं क्या उसमें आबादी का भी खयाल रखा गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं तो निवेदन कर चुका हूं कि अभी जो पत्र गया था वह इस आशय का गया था कि यदि बी० एल० डब्लू० और पंचायत के मंत्री का क्षेत्र एक ही कर दिया जाय तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई आबादी का खयाल नहीं था ।

*३४-३५—श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव)—[२० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६—३७—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—[२० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३८-३९—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[२० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४०—श्री गेंदासिंह, श्री ब्रजनारायण तिवारी तथा श्री रामायणराय—[२० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१—श्री रामसुन्दर पांडेय—[हटा दिया गया।]

*४२—श्री शिवप्रसाद नागर—[२० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

गांव सभाओं का चुनाव

*४३—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की कितनी गांव सभायें ऐसी हैं जिनके अध्यक्ष तथा सदस्यों के चुनाव नहीं हो सके, कितनी गांव सभायें ऐसी हैं जिनमें केवल अध्यक्ष चुने जा सके किन्तु सदस्यों का चुनाव नहीं हो सका तथा कितनी गांव सभायें ऐसी हैं जिनमें अध्यक्ष नहीं चुने जा सके, केवल सदस्य ही चुने जा सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४४—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन गांवों के चुनाव मुकम्मल नहीं हो सके हैं वे कब तक मुकम्मल हो सकेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जगहों पर चुनाव अभी मुकम्मल नहीं हुये हैं वहां ऐसे आदेश भेजने की कृपा करेंगे कि बी० डी० सी० और प्रधान चुनने के पहले वहां के चुनाव मुकम्मल हो जायं ?

श्री कैलाश प्रकाश—निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता हूं कि इसमें बी० डी० सी० वाली बात कहां आती है। शायद आपका मंशा है अंतरिम जिला परिषद् के सदस्य से तो निश्चित रूप से तो यह बात नहीं कही जा सकती कि सब जगह ही प्रधानों के चुनाव अंतिरम जिला परिषद् के चुनावों से पहले हो जायेंगे किन्तु इस बात का प्रयत्न है कि यह हो जायें और जहां अभी स्थान रिक्त रह गये हैं वहां चुनाव कराने के लिये जिला अधिकारियों को अधिकार है ही।

श्री रामायणराय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन मुख्य कारण हैं जिनसे यह चुनाव नहीं हो सके हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जो सीट्स नहीं भरी जाती हैं वह इस तरीके पर हो जाता है कि नामजदगी के उतने पर्चे ही नहीं आते। बहुत सी जगह उदासीनता दिखाई जाती है जो चुनाव नहीं हो पाते, उसका विशेष कारण एक यही रहता है।

*४५-४६—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—[२० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

गांव पंचायतों की मतदाता सूची में अनियमितता

*४७—श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)—क्या गत गांव पंचायतों के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री को प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस प्रकार की शिकायतों की जानकारी है कि पंचायत मंत्रियों ने ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जो उसी ग्राम पंचायत के उस समय सदस्य थे या निवासी थे और ऐसे लोगों का नाम लिखा जो नाबालिग थे अथवा गांव के नहीं थे ? यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे पंचायत मंत्रियों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का निश्चय किया है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४७ श्री राजनारायण ने पूछा।

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां। शिकायतों पर जांच करने तथा दोषी पाये गये मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किन-किन जिलों से इस प्रकार की शिकायतें आई हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—पूरी शिकायतों का ब्योरा तो इस समय मेरे पास नहीं है किन्तु संख्या है, निर्वाचन के सम्बन्ध में करीब ३०३ के शिकायतें यहाँ प्राप्त हुई हैं।

श्री अध्यक्ष—वह जानना चाहते हैं कि कितने मंत्रियों के खिलाफ वह आई हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—तमाम जिलों का ब्योरा नहीं है, २७ जिलों से सूचना प्राप्त हुई है। उस से पता लगा है कि ५६ मंत्रियों को निलंबित किया जा चुका है और एक को डिसमिस किया जा चुका है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन मंत्रियों को निलंबित किया जा चुका है उनमें वाराणसी के भी कोई मंत्री हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामायणराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के कितने मंत्रियों के खिलाफ मंत्री जी के पास शिकायतें आई हैं?

श्री अध्यक्ष—अगर आपके पास सूचना हो तो दें।

श्री कैलाशप्रकाश—ब्योरा तो मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य किसी विशेष मंत्री के या किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा दी गई शिकायत के बारे में जानना चाहेंगे तो वह मुझे संकेत कर दें, मैं उनको सूचना दे सकता हूं।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि मतदाता सूची में मंत्रियों द्वारा नये नामों का शामिल करना अथवा कम करना आम तौर से पेंसिल के द्वारा हुआ है जबकि प्रिन्टेड लिस्ट होनी चाहिये थी?

श्री कैलाशप्रकाश—जो शिकायतें यहां आई हैं चुनाव के दौरान में उनका हरएक का ब्योरा इस समय मेरे पास नहीं है। यदि किसी विशेष जिले की विशेष शिकायत के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो माननीय सदस्य मुझे उसका संकेत कर दें। मैं उसको मंगवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष—यानी आपको नोटिस की आवश्यकता है?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सेक्रेटरियों के खिलाफ जो शिकायतें हैं उन पर जांच कौन अफसर कर रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—जांच के लिये यहां से जिलाधीशों को भेजा जाता है और वह उपयुक्त अधिकारी के द्वारा कराते हैं।

श्री रामायणराय—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या देवरिया जिले के सेक्रेटरी के बारे में यह शिकायत मिली है कि उसने दूर-दूर के दो गांवों को इकट्ठा कर दिया इसलिये कि वह एक सभापति को जिताना चाहता था... (कुछ रुक कर) मान्यवर, मैंने खुद मंत्री जी के पास सूचना भेजी है।

श्री अध्यक्ष ---इस प्रश्न में तो सूचना नहीं है । आप प्रश्न उनके पास भेज दें, वह जवाब दे देंगे ।

*४८-४९---श्री गरीबदास (जिला जालौन)---[२० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

नगरपालिका कर्मचारियों की पेन्शनेबुल सर्विस के लिये प्रार्थना

*५०---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जून, १९५९ में उत्तर प्रदेश नगरपालिका कर्मचारी संघ का कोई ऐसा डेपुटेशन सरकार से मिला था जिसने यह मांग की थी कि नगरपालिका के कर्मचारियों की सेवायें पेंशनेबिल कर दी जायं ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश---उत्तर प्रदेश नगरपालिका कर्मचारी संघ का एक डेपुटेशन भूतपूर्व स्वशासन मंत्री जी से नगरपालिका के कर्मचारियों की सेवायें पेंशनेबुल किये जाने के सम्बन्ध में १८ सितम्बर, १९५९ को मिला था । यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी और कितने दिन लगेंगे जब यह विचार परिपूर्ण हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---निश्चित अवधि नहीं कही जा सकती ।

श्री शिवप्रसाद नागर---यह मामला पिछली सरकार में विचाराधीन था, इस सरकार में भी विचाराधीन है तो क्या अगली सरकार आने तक यह विचार परिपूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस बात को तो माननीय सदस्य अच्छी तरह समझते हैं किन्तु जो जटिल बात है वह धन की उपलब्धि की है ।

उरई नगरपालिका पर ऋण

*५१---श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उरई नगरपालिका पर सरकार का कुल कितना रुपया कर्ज का बकाया है और नगरपालिका ने पिछले तीन वर्षों में कुल कितना रुपया कर्ज में अदा किया ?

श्री कैलाशप्रकाश---नगरपालिका उरई पर सरकार का १२ जनवरी, १९६१ तक कुल ११,९२,१४६.२९ रुपये कर्ज का बकाया है । नगरपालिका ने पिछले तीन वर्षों में २३,५८५ रुपये २० नये पैसे कर्ज में अदा किया ।

श्री शिवप्रसाद नागर---१२ लाख के लगभग इस नगरपालिका पर सरकार का कर्जा है, तो सरकार ने कोई ऐसी सूचना प्राप्त की है कि उस नगरपालिका के पास इस लम्बी रकम की अदायगी के क्या साधन हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---किसी भी नगरपालिका के पास कर्ज की अदायगी के साधन होते हैं जो वह टैक्स लगाती है वह, और जहां कहीं उसको जल सम्भरण की योजना के अन्तर्गत रुपया दिया जाता है और जल के लिये वह टैक्स लगाती है, यही उसके साधन होते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मंत्री जी बतायेंगे कि इस नगरपालिका की वार्षिक आय क्या है और जो कर्जा इसके ऊपर है उसकी वार्षिक आय को देखते हुए उसका खर्च निकाल कर कितने दिनों में अदा हो सकता है ?

नोट---तारांकित प्रश्न ५१ श्री शिवप्रसाद नागर ने पूछा ।

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—मंत्री जी इस लगभग १२ लाख के कर्ज को देखते हुये इसको कुछ माफ करने पर विचार करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार का कर्जा आसानी से माफ नहीं होता है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—मंत्री जी बतायेंगे कि यह रुपया जल-कल योजना के लिये दिया गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, इसमें कुछ रुपया पानी की सप्लाई के लिये दिया गया था और कुछ एक बार शरणार्थियों की दुकानें बनाने के लिये भी दिया गया था और एक दफा रुपया ट्रैक्टर खरीदने के लिये दिया गया था और कुछ रुपया जल निकासी की योजना के लिये दिया गया ।

अल्मोड़ा जिले की सहकारी समितियों के लेखे में गड़बड़ी

*५२—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अल्मोड़े की किन-किन सहकारी समितियों में सन् १९५९-६० में हुये आडिटों के अनुसार गबन व गलत हिसाब रखे गये पाये गये हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषदों को ऋण तथा अनुदान

*५३—श्री गेंदासिंह तथा ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने जिला परिषदों को कितनी-कितनी रकम वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कर्ज अथवा अनुदान देने की व्यवस्था की और उसमें से कितनी कितनी किस समय दी गई ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, इस प्रश्न को देखने से यह मालूम होगा कि यह सूचना केवल सेक्रेटेरियट से ही मिल सकती है, तो क्या कारण है कि इस सूचना को मिलने में इतनी देर हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, यह तो सही बात है किन्तु अन्तरिम जिला परिषदों को जो सहायता और अनुदान दिये जाते हैं वे विभिन्न विभागों से दिये जाते हैं । इसलिये उसका उत्तर देने के लिये न केवल स्वशासन विभाग की सूचना ही पर्याप्त होती वरन् जितने भी विभागों का सम्बन्ध अंतरिम जिला परिषदों से है, जैसे स्टेट हेल्थ बोर्ड इत्यादि, उन सब से सूचना एकत्र करनी पड़ रही है, इसलिये देरी लगी ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—मेरा तो प्रयास यही है कि शीघ्रातिशीघ्र एकत्र हो जाय ।

श्री गेंदासिंह—सरकार बतायेगी कि क्या अभी तक यह रकम नहीं दी गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, माननीय सदस्य चाहे जो समझें, लेकिन उसका कारण यही है कि विभिन्न विभागों से सूचना एकत्र होनी है, इसीलिये सूचना के एकत्र होने में देरी लगी ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या यह सूचना इसलिये एकत्र नहीं हो पायी है कि अभी जिला परिषदों का निर्माण नहीं हुआ है और आजकल तो केवल अन्तरिम जिला परिषदें ही हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, मेरे पास जो प्रश्न है उसमें अन्तरिम जिला परिषद् ही है, संभव है माननीय सदस्य के पास जिला परिषद् छपा हो।

कोआपरेटिव इन्सपेक्टर सम्पूर्ण नगर, जिला खीरी के विरुद्ध शिकायत

*५४---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि खीरी जिले के खीरी पीलीभीत कालोनाइजेशन कोआपरेटिव डेवलपमेंट यूनियन लि० सम्पूर्णनगर द्वारा कोआपरेटिव इंस्पेक्टरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार व चरित्रहीनता की कितनी शिकायतें १ जनवरी, १९५४ से अब तक सरकार को प्राप्त हुई हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर---अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न १८-८-६० को दिया गया था, उसके बाद २० फरवरी को एक बार स्थगित भी हुआ, फिर भी आज यह उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कौन सी कठिनाई ऐसी पैदा हो गयी कि सूचना ५ माह में भी एकत्र नहीं हो पायी ? प्रश्न सिर्फ कोलोनाइजेशन के इंस्पेक्टर के बारे में था, फिर यह सूचना क्यों एकत्र नहीं हो पायी ?

श्री राम स्वरूप यादव---१ जनवरी १९५४ से आज तक जितने भी इंस्पेक्टर रहे, उन सब के खिलाफ शिकायतें रहीं। सूचना इसलिये भी आसानी से नहीं मिल पाती कि कभी जिलाधीश ने शिकायत की और कभी रिजिस्ट्रार ने। इसलिये यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें काफी देखना पड़ेगा।

अस्थायी कोआपरेटिव इन्स्पेक्टर

*५५---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कुल कितने सहकारी इंस्पेक्टर हैं जो सहकारी विभाग में कार्य कर रहे हैं और जिनकी सर्विस अभी तक अस्थायी है ?

श्री मंगलाप्रसाद---इस समय प्रदेश में ६८३ कोआपरेटिव इंस्पेक्टर हैं जिनमें से १९८ स्थायी हैं और शेष ४८५ अस्थायी हैं।

*५६---**श्री मुक्तिनाथ राय** (अनुपस्थित)---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारीगण की सर्विस की अवधि विभाग में कितनी वर्षों की है ? इनमें से कितने सहकारी विभाग में सुपरवाइजर के पद से पदोन्नति करके सहकारी इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं।

श्री मंगलाप्रसाद---उक्त अस्थायी कर्मचारीगण की सर्विस की अवधि विभाग में १९ दिन से लेकर १४ वर्ष तक की है। ६८३ सहकारी इंस्पेक्टरों में से २८३ इंस्पेक्टर सुपरवाइजर के पद से पदोन्नति पाकर कार्य कर रहे हैं।

सदन द्वारा प्रदत्त धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये उनको धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव यहां पास हुआ था, वह प्रस्ताव मैंने श्री राज्यपाल के पास भेज दिया था उसके उत्तर में उन्होंने जो पत्र मुझे भेजा है, वह सदन की सूचनार्थ मैं पढ़ देता हूं।

"श्री अध्यक्ष, मैं आपके पत्र दिनांक १ मार्च, १९६१ के लिये, जिसे आपने व विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने आकर भेंट किया, धन्यवाद देता हूं। मैं विधान सभा के प्रस्ताव के लिये, जिसे उन्होंने अपनी ९ फरवरी, १९६१ की बैठक में स्वीकार किया, आभारी हूं।"

अब सचिव, विधान सभा कुछ सूचना देंगे।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १७ फरवरी, १९६१ की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २३ फरवरी, १९६१ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की स्वीकृति २६ फरवरी, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का दूसरा अधिनियम बन गया।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार ध्यान आकृष्ट करने के लिये जो प्रश्न आये थे, उनमें से कुछ तो अनिश्चितता के कारण और कुछ महत्व के न होने के कारण, मैंने आज कोई भी स्वीकार नहीं किया है।

मथुरा नगर में मेहतरों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय स्वायत्त शासन मंत्री, श्री गोविन्दसिंह बिष्ट द्वारा २७ फरवरी, १९६१ को दी गई सूचना के सम्बन्ध में मथुरा नगर में मेहतरों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

***स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)**—श्रीमन्, मथुरा नगर में मेहतरों द्वारा की गई हड़ताल के सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा जो सूचना मांगी गई थी उसमें जिलाधीश ने निम्नलिखित सूचना दी है। उन्होंने सूचित किया है कि "नगरपालिका खेर कमेटी के सुझावों को समय-समय पर कार्यान्वित करती आयी है। इस वर्ष मेहतरों ने बोर्ड के सम्मुख यह मांग पेश की कि उनको और छुट्टियों की भांति शिवरात्रि की छुट्टी भी दी जाय। यह छुट्टी शासन द्वारा निर्धारित छुट्टियों की सूची में शामिल नहीं है। इसलिये नगरपालिका शिवरात्रि की छुट्टी देने में सहमत न हुई। इसका यह परिणाम हुआ कि १५–२–६१ को ६ कर्मचारी जानबूझ कर अनुपस्थित रहे। इसलिये नगर स्वास्थ्य अधिकारी (Medical Officer) ने इन ६ कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया। यह मुअत्तली यूनियन को अखर गई। अतः यूनियन द्वारा यह निश्चय किया गया कि यदि निलम्बित कर्मचारियों को बहाल नहीं किया जाता तो २२ फरवरी से हड़ताल कर दी जाय। साथ ही साथ यूनियन ने यह भी मांग की कि उनको साप्ताहिक छुट्टियां तथा मंहगाई भत्ते का बकाया दिया जावे। २० फरवरी को अध्यक्ष नगरपालिका, मथुरा ने यूनियन को यह उत्तर दिया कि मुअत्तल किये गये कर्मचारियों को बहाल किया जा सकता है यदि वे बिना शर्त माफी मांग लें। अध्यक्ष ने यूनियन को यह भी सूचित किया कि मंहागई भत्ते के बिल तैयार किये जा रहे हैं और उनके तैयार होने पर उसका भुगतान शीघ्र से शीघ्र कर दिया जायगा। उन्होंने यह भी सूचित किया कि साप्ताहिक छुट्टियों को देने में नगरपालिका को कोई आपत्ति नहीं है और वह उनको मिलने लगेंगी। इसके पश्चात् कुछ लोगों को कार्य पर वापस आने के लिये राजी कर लिया गया परन्तु कुछ लोग हड़ताल किये रहे। २३ फरवरी को इन हड़तालियों ने काम करने वाले मेहतरों पर आक्रमण कर दिया और उनमें से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश प्रकाश]

४ को घायल कर दिया । फलस्वरूप ८ हड़ताली मेहतर जो इस मामले में सम्मिलित थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया । २४ फरवरी को हड़ताली मेहतरों ने एक जूलुस निकाला । जुलूस के दर्मियान मेहतरों ने एक नगरपालिका की ट्रक मिली जो कि काम करनेवाले मेहतरों तथा अन्य सफाई कर्मचारियों को लिये जा रही थी । जुलूस में सम्मिलित हड़ताली मेहतरों ने इस ट्रक को रोक लिया और उसमें बैठे हुये कर्मचारियों पर जूतों और लाठियों से प्रहार किया । परिणामस्वरूप एक सैनिटरी इन्सपैक्टर व अन्य कई कर्मचारियों को चोटें आईं । इस, अवसर पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और ३२ हड़तालियों की २४ तारीख और ४ को २५ तारीख—कुल ३६ गिरफ्तारियां इन २ दिनों में कीं । इस हाथापाई में एक सैनिटरी इन्सपैक्टर, १२ कर्मचारी तथा कुछ हड़ताली घायल हुए । तारीख २५ को भी हड़ताल जारी रही । २६ फरवरी को यूनियन की मीटिंग फिर बुलाई गई और यह निर्णय लिया गया कि २७ से काम पर सब मेहतर लौट आवें ।

इस समय स्थिति पूर्णतया काबू में है सिवा इसके कि कुछ लोग नगरपालिका के कार्यालय के सम्मुख धरना दिये हुये हैं । कुल ४०५ मेहतरों में से ३३४ मेहतर कार्य पर वापस हुये हैं और स्थिति शान्तिपूर्ण है तथा लगभग सामान्य है । जिलाधीश, मथुरा ने यह सूचित किया है कि इन तमाम झगड़ों के पीछे एक ऐसे वकील का हाथ है जिसे मुकदमें नहीं मिलते । पूर्ण विवरण जिलाधीश की लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही ज्ञात हो सकेगा ।

कार्यक्रम के संबंध में पूछ-ताछ

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ के लिये कोई समय निर्धारित है और आगे क्या कार्यक्रम है इन सब के मुताल्लिक मालूम हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—इस के लिये दो घंटे का समय था पारण के लिये जिसमें ४९ मिनट का समय समाप्त हो चुका है । अब १ घंटा और ११ मिनट और रह गये । इसके बाद दूसरा जो विधेयक है कंट्रोल आफ सिविल सप्लाइज उसके लिये १ घंटे का समय है और उसके बाद गन्ने वाला विधेयक है और वह कल शाम तक चलेगा और आज २ बजे के बाद से वह चलेगा । गन्ने वाले को सबसे ज्यादा समय दिया है । इसमें आपको दिलचस्पी भी है ।

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ (क्रमागत)‡

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिन प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हुये यह निवेदन किया था कि ये जो पंचायत के चुनाव हुये इनमें सूचियों के बनाने में जिन-जिन सेक्रेटरियों तथा ए० डी० ओ० पंचायत ने ज्यादतियां की हैं उनके खिलाफ कार्यवाही अवश्य होनी चाहिये और मुझे खुशी है कि आज स्वायत्त शासन मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बात जाहिर की कि उन्होंने कई सेक्रेटरियों के खिलाफ मुअत्तली के आदेश दिये हैं और उनके खिलाफ कार्यवाहियां हो रही हैं । तो इससे यह साफ स्पष्ट है कि सरकार काफी सजग रही इस मामले में कि पंचायत के चुनाव काफी सावधानी से हों और इस अवसर पर मैं यह भी कहना उचित समझूंगा कि प्रदेश में जिस वक्त चुनाव होने जा रहे थे तो जहां तक मुझे जानकारी है ७ दिन बाकी चुनाव होने के रह गये थे तब कुछ विधान सभा के सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि प्रधानों का चुनाव पहले दिन किया जाय और सदस्यों का दूसरे

---

*१७ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही में छपा है ।

‡२८ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही से ।

दिन ताकि पहले ही दिन से पार्टीबन्दी न शुरू हो जाय और जो गुप्त मतदान द्वारा प्रधानों का चुनाव हो रहा है उसका मकसद पूरा हो सके । तो माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने काफी दिलचस्पी ले कर तुरन्त वे आदेश प्रसारित किये जिससे मैं समझता हूं कि काफी इन चुनावों में सावधानी हुई और उनके संचालन में मदद मिली । जो माननीय सदस्य केवल यह कहते हैं कि पंचायतों के चुनाव में सरकार काफी नाकामयाब रही उनसे मेरा निवेदन है कि यह काम इतना बड़ा था कि ६६,७८८ प्रधानों का और १०,९०,४८३ सदस्यों का चुनाव प्रदेश के अन्दर होना था, इसमें कई लाख वोटर्स ने हिस्सा लिया । यह काम इतना मुश्किल और इतना बड़ा था कि कोई भी सरकार चाहे जितनी भी सावधानी बरते कुछ न कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ियां हो जाना स्वाभाविक था । जैसा कि मुझे मालूम हुआ इतने बड़े चुनाव में केवल १५६ छोटे मोटे अथवा बड़े किस्म के झगड़े हुये । इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि यह कोई ऐसी शोचनीय दशा नहीं है कि जिससे यह कहा जा सके कि सरकार इन चुनावों के संचालन में पूरी तरह से फेल रही । अगर इस बात की विवेचना की जाय कि सरकार कितनी सजग रही तो यह मानना पड़ेगा कि सरकार ने काफी सावधानी के साथ इन चुनावों के संचालन की कोशिश की ।

इसी अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यद्यपि सीमित साधनों के कारण सरकार इस बार सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा नहीं करा सकी, लेकिन फिर भी यह देखते हुये कि पहले दिन जो प्रधानों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा हुआ तो उस दिन स्थिति बड़ी शान्तिपूर्ण रही और किसी को पता भी नहीं चल सका कि किसने किसको वोट दिया, लेकिन दूसरे दिन जब हाथ उठाकर सदस्यों का चुनाव हुआ तो गांव-गांव में पार्टीबाजी हो गयी और वह पार्टी-बाजी अभी भी काफी जोरों के साथ चल रही है । तो इस अनुभव से सरकार फायदा उठा कर अगली बार जब चुनाव कराये तो चाहे कुछ खर्चा भले ही ज्यादा हो जाय, लेकिन पार्टीबाजी के बाहर रह कर गांव वालों में काम करने की भावना पैदा करनी है तो यह नितान्त आवश्यक है कि सदस्यों का भी चुनाव गुप्त मतदान से हो । (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, कोई समय तो निर्धारित था नहीं ।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि यह बिल एक निर्धारित समय के भीतर पारित होना है, तो मैं समझता हूं कि ५-५, ७-७, ८-८ मिनट बोल लें; और अभी अमेंडमेंट भी मौजूद हैं ।

श्री रामेश्वरप्रसाद---मैं तो दो, तीन ही मिनट बोला होऊंगा ।

श्री अध्यक्ष---पांच मिनट तो अभी हो गये और उस रोज भी आप ही बोल रहे थे ।

श्री रामेश्वरप्रसाद---पांच मिनट और दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---हां बोलिये ।

श्री रामेश्वरप्रसाद---धन्यवाद । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस समय सामयिक बात यह है कि अदालती पंचायतों का चुनाव होने वाला है और जो इस समय नामजदगी का तरीका है उसमें सरकार को थोड़ा सा सजग होकर काम करने की जरूरत है । अभी तक यह नियम है कि एस० डी० एम० पांच नाम भेज देते हैं और उस क्षेत्र के एम० एल० ए० और अन्तरिम जिला परिषद् के उपाध्यक्ष तथा डी० एम० नामजद करते हैं । मेरा खयाल यह है कि गांव पंचायत के सदस्यों की पूरी लिस्ट कमेटी के सामने भेज दी जानी चाहिये । उस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर हों, अन्तरिम जिला परिषद के उपाध्यक्ष और उस क्षेत्र के एम० एल० ए० हों, इससे ही काम चल जायगा और बड़ी कमेटी की कोई जरूरत ही नहीं है । जब एस० डी० एम० के सुपुर्द यह काम कर दिया जाता है तो यह मानी हुई बात है कि वह पट-वारी वगैरह से मदद जरूर लेगा और सदन में यही चीज सरकार की आलोचना का एक कारण बन जाती है । इसलिये मैं समझता हूं कि पूरी लिस्ट भेजकर चुनाव कराना चाहिये ।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

इसके साथ ही साथ जो बातें मैंने कल से आज तक कहीं वह तजुर्बे के आधार पर कहीं हैं। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि हमको इसका समर्थन करना चाहिये और इसलिये भी करना चाहिये कि मन्त्री जी ने इस बिल में एक खास काम किया है और वह यह किया है कि सभापतियों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा हुआ है। कोई सदस्य इस चीज को कन्डेम करने की हिम्मत नहीं कर सकता है और कहने की जुरअत नहीं कर सकता है कि यह आदेश गलत गये हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि यह पवित्र भावना है और यह एक अच्छा नियम लागू किया गया था। अच्छी बात का समर्थन करना हर सदस्य का कर्त्तव्य है। इसकी आलोचना करने का मौका नहीं है और न इसका ही मौका है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या इसमें अमेंडमेंट लाये जायें। हो सकता है कि पांच साल के अन्दर जब अगले चुनाव आयेंगे तो सरकार कोई बड़ा बिल लाये। इसलिये इस समय सेलेक्ट कमेटी में भेजने का सवाल गैरजरूरी है। इस समय दूसरे काम करने हैं जैसे अन्तरिम जिला परिषद् बनाने हैं। इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। जब सरकार बड़ा बिल लायेगी तो सेलेक्ट कमेटी की मांग करेंगे। अन्त में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन भी करेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, नागर जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। मैं आपका बड़ा अभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर विचार करने के लिये आज्ञा दी। मान्यवर, मुझे रामेश्वरप्रसाद जी के वक्तव्य को सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने खुशी जाहिर की कि पंचायतों के चुनाव में बहुत कम गड़बड़ियां हुई हैं और बड़े सुन्दर और सुचारू रूप से चुनाव हो गये। मैं जानना चाहता हूं कि वह किस क्षेत्र से आते हैं, गांव सभाओं के चुनावों में जो गोरखधन्धा चला है, वह उनके यहां भी चला होगा, निश्चित चला होगा और अगर वह इस पर परदा डालना चाहते हैं तो प्रजातन्त्र के इस युग में बड़ा भारी पाप कर रहे हैं। मान्यवर, मेरे यहां १९९ गांव सभाओं का चुनाव हुआ और मैं दावे के साथ कहने के लिये तैयार हूं कि १९२ पंचायतों में गड़बड़ियां हुईं और सेक्रेटरियों के जरिये नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि जिला अधिकारियों के जरिये हुईं, प्रान्त के अधिकारियों के जरिये हुईं और सत्ताधारी सरकार के जरिये हुईं। उसकी वजह यह हुई कि डायरेक्टर महोदय के यहां से एक चिट्ठी निकाली गई २२ अक्तूबर, १९६० को और वह जिला अधिकारियों के पास पहुंची २८ जनवरी, १९६१ को। अगर समय से वह चिट्ठी उन लोगों को मिल गई होती और रजिस्टर भाग २ के संशोधन में जो प्रोग्राम डाइरेक्टर साहब की तरफ से बना था वह सुचारू रूप से चला होता तो भाग २ में वे गड़बड़ियां नहीं होतीं। भाग २ भगवान के भाग्य के बाद एक दूसरा भाग सेक्रेटरियों के हाथ में जनता को दे दिया गया था। उन्होंने जनता के भाग्य को पूरे तौर से कुचला है। स्टैंडिंग सभापति को जो पहले सभापति रह चुके हैं, उनके पर्चे खारिज किये गये। जो सभापति भाग २ पर दस्तखत करता है, उसी का नाम भाग २ से निकाल लिया गया उसका नामिनेशन पेपर इसलिये खारिज कर दिया गया कि उसका नाम भाग २ में नहीं है।

यह एक तमाशा हुआ मान्यवर, यह सरकार प्रजातन्त्र के साथ खेलवाड़ कर रही है और अरबों, करोड़ों रुपया बरबाद कर रही है, महज अपने वोटों के लिये और देश के अन्दर फूट का बीज बो रही है। अपना उल्लू सीधा करने के लिये सभापतियों का गुप्त मतदान द्वारा जो चुनाव कराया गया वह सुन्दर रहा, लेकिन उसके बाद जो सदस्यों का चुनाव करवाया गया उसमें गोलबन्दी हो गई। पहले सदस्यों का चुनाव रखा गया था। हमने सुझाव भेजा कि यह क्या तमाशा है ? सदस्यों में पार्टीबन्दी हो जायगी। फिर किसकी हिम्मत है जो सभापति को निष्पक्ष चुनेगा ? सारे गांव का बच्चा-बच्चा जिस सभापति

को चाहता था उसका नाम कटवाया गया षड़यन्त्र करके, जिला स्तर के अधिकारी भी उस षड़यन्त्र में शरीक थे। बड़ी मुश्किल से, जब हम लोग उसमें पड़े, तो नामिनेशन पेपर दाखिल करने के लिये दो रोज पहले उसका नाम चढ़ाया गया। २८ को नाम बढ़ाया गया और ३१ को जो नामिनेशन पेपर पर एतराज लगता है कि इसकी उम्र कम है। मनकापुर के काशी प्रसाद को दस साल पहले सदस्य रह चुके हैं, २८ तारीख को भाग २ में उनका नाम बढ़ाया जाता है, लेकिन उनकी उम्र रबड़ से मिटा कर ३९ साल से २९ साल कर दी गई। उनके मुकाबले में किस को जिताया गया? एक युनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसकी उम्र है २४ साल की किन्तु उसकी उम्र ३० साल की गई। भाग २ में रबड़ से मिटाया गया, आज भी मौजूद है। सेक्रेटरी दिखलाने के लिये मुअत्तल किये गये, लेकिन वह आज भी काम कर रहे हैं और वह जिला अधिकारी जो इस षड़यन्त्र में शरीक थे, वह आज भी मोटरों पर घूमते फिरते हैं। जिला मैजिस्ट्रेटों ने उसके वास्ते लिखा, एरिया मैजिस्ट्रेटों ने लिखा, लेकिन कुछ नहीं किया गया। पंचायत विभाग और ब्लाक क्या हो गये हैं, इसमें बिल्कुल मन मानी है। किसी का कोई कन्ट्रोल है ही नहीं। जब चाहें, जहां चाहें, वह जायं। ट्रेनिंग हो रही है, नामिनेशन पेपर लेने की, चुनाव करवाने की और बहुत से ग्राम सेवक और सेक्रेटरीज दूसरी जगह घूम रहे हैं। रामेश्वर जी ने सुझाव दिया है कि अगर सरकार चाहती है कि गांवों में पार्टी बन्दी न हो तो ईमानदारी के साथ सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान से करवाया जाय। मैं भी इससे सहमत हूं, बैरबा चन्दनपुर, ब्लाक नौतनवां, में बैलट पेपर के गड्डे से ३० बैलट पेपर पहले से निकाल लिये गये। ३२२ नम्बर का बैलेट पेपर जब बट गया तो उसके बाद ३६३ नम्बर का बैलेट पेपर निकला आया। वह पोलिंग आफिसर प्रेजाइडिंग आफिसर के पास गये और रोने लगे तो यह हुआ कि कहीं परचा गायब हो गया होगा या गिनती में कम मिला होगा। मगर तीसरे दिन जब बक्सा खोला गया और काउंटिंग हुई तो वह बैलेट पेपर उसी बक्से के अन्दर मिले और शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि उस पर कोई ऐक्शन आज तक नहीं हुआ। वह चोरी करने वाला, बैलेट पेपर जिसने चुराया था वह पंचायत निरीक्षक मान लिया गया। आज तक न उस पंचायत अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई न उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई जिसने यह पेपर बेचा था। सरकार को इसके लिये शर्म आनी चाहिए। प्रिसाइडिंग आफिसर चारों तरफ रोता हुआ घूमता रहा। उससे कहा गया कि आखिर तुम क्यों घबराते हो? हमने भी कहा कि तुम तो चोर नहीं हो, तुमने तो चोरी नहीं की, बल्कि तुमने पता दिया है। तुम क्यों घबराते हो? तीसरे दिन उसकी सील तोड़ी गई और सील तोड़ कर के फोर्जरी की गई। तो इस तरह का फोर्ज्ड काम करने वाली सरकार क्या अपने को यह कह सकती है कि वह प्रजातंत्र को पनपाने में लगी हुई है? कदापि नहीं कह सकती। मान्यवर, ऐसे-ऐसे सैकड़ों तमाशे हमारी एक कांस्टीट्यूएंसी में हुए हैं और जब हमारे यहां हुए हैं तो और माननीय सदस्यों के यहां भी हुए होंगे। माननीय रामेश्वरप्रसाद जी को अगर शिकायत नहीं मिली है तो मिलेगी और उनको चाहिए कि वह ढूंढ कर मालूम करें। तो मेरा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इन सारी चीजों की जांच करावें, लिस्ट मुझसे लें और गलती करने वालों को सजा दें।

एक और तमाशा मैं बयान कर दूं जिसके लिए कि मैं मंत्री जी को लिख कर दे भी चुका हूं। ३ तारीख को एक आदमी के लिए डिक्लेयर होता है कि तुम तीन वोट से जीत गए लेकिन १० तारीख को फिर होता है कि तुम हार गए। तहसीलदार, थानेदार वगैरह सबकी मौजूदगी में यह डिक्लेरेशन हुआ था उसके जीतने का। तीसरे दिन कारण क्या बताया जाता है कि उस दिन रात हो गई थी, एक-एक पर दो-दो मोहरें लगी हुई थीं, समझ में नहीं आया। क्या किया गया कि गड्डी बाद में लेकर सात आठ पर डबल स्टैम्पिंग कर दी गई। उस पर तो कोई रोक है नहीं। अगर ऐसा होता रहा तो कभी कोई दूसरा आदमी, जिसे अफसर नहीं चाहते, जीत नहीं सकता।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

इतना ही नहीं एक जगह एक रिटर्निंग आफिसर एक नायब तहसीलदार मुकर्रर हुए। उनको एक कांग्रेसी नेता साहब नहीं चाहते थे। तो उनको बदलवाया यह कह कर कि हमारी तो जमींदारी एबालीशन से तहसील से दुश्मनी है इसलिये इनको बदल दिया जाय। उनको बदल कर पंचायत आफिसर ने बनाया किसको? बनाया उनको जो कि एक कोआपरेटिव के इंसपेक्टर थे, जिसके वे डाइरेक्टर थे, हमारे नेता जी थे। बस दोनों मिल गये। चोर चोर मौसेरे भाई। दोनों एक हो गए और लक्ष्मीपुर छाया ब्लाक में वह धांधली हुई कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। यह वहीं का किस्सा है कि तीन तारीख को एक डिक्लेयर हुआ और १० तारीख को दूसरा डिक्लेयर हो गया। तो इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिये। मुझे माननीय मंत्री जी पर विश्वास है कि वह जरूर इस पर दिल लगाएंगे और जांच करायेंगे, लेकिन अगर सरकार की पालिसी यही होगी तो वह बेचारे मजबूर होंगे क्योंकि उनकी भावना का जहां तक प्रश्न है मैं उसका आदर करता हूं। वह अच्छे हैं मगर पार्टी अनुशासन से मजबूर हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री शिव प्रसाद नागर द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। यह खुशी की बात थी और हम सभी लोगों ने इस बात का स्वागत किया जब यह व्यवस्था की गई कि गांव का प्रधान गुप्त मतदान के जरिये चुना जायगा। इस सदन में बार-बार इस प्रश्न को उठाया गया था कि यदि हमें गांव पंचायत का निर्माण करना है जिसको कि हम अपनी शासन प्रणाली की नींव, उसकी बुनियाद समझते हैं तो ऐसी व्यवस्था उसके चुनाव की होनी चाहिये कि जिसमें लोग निष्पक्ष रूप से अपना मत दे सकें और सही माने में गांव सभा का निर्माण हो सके। श्रीमन्, अभी जो पिछले चुनाव हुए हैं वह काफी बड़े पैमाने पर हुए हैं और उसमें काफी बड़े पैमाने पर गांव की जनता ने हिस्सा लिया है। उस के दो तीन कारण थे। पहला तो यह कि गांव सभाओं के जो पिछले तजुर्बे थे कि अगर गलत सदस्य या प्रधान चुन गए तो उन्होंने वहां की जिन्दगी में एक जहर पैदा कर दिया था, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके जनता के जीवन को संकटमय बना दिया था, इसलिए जनता काफी सतर्क और सशंक थी और इसलिये उसने दिलचस्पी से उसमें हिस्सा लिया। दूसरी बात जो अन्तरिम जिला परिषद् के लिए सदस्य चुनने का प्रश्न था, उसकी वजह से भी जनता की काफी दिलचस्पी इन चुनावों में पैदा हो गई थी। इस दिलचस्पी के बाद जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है या जिनका तजुर्बा है या जो बातें वहां पर देखने में आई हैं, मैं समझता हूं, उन बातों को ध्यान में रखकर उन्हीं अनुभवों के अनुसार इसमें संशोधन करना चाहिये।

जो बात धांधली की कही गई है वह अनुभव की है। इस बार काफी बड़े पैमाने पर पंचायतों के चुनाव में धांधली हुई है। यह सही है कि गुप्त मतदान में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। प्रधानों के चुनाव में हाथ उठा कर गरीब जनता निश्चिंतता के साथ या किसी भय से अपने मत नहीं दे सकती थी। इस बार प्रधानों के चुनाव में बगैर किसी भय के उन्होंने अपना मत प्रदान किया है। इसलिये गरीब जनता के चुने हुए अधिक संख्या में लोग आये हैं।

श्रीमन्, अधिकारियों की तरफ से जो गड़बड़ी हुई है उन ३, ४ बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कुटुम्ब रजिस्टर भाग २ की वोटर लिस्ट की प्रथा है इसको सरकार को बदलना चाहिये। जिस प्रकार से विधान सभा के चुनाव में या संसद् के चुनाव में प्रिन्टेड लिस्ट होती है उसी प्रकार से मतदाताओं की सूची हमारे गांव सभाओं के अन्दर प्रिन्टेड होनी चाहिये। जो उम्मीदवार हों उनको वह उचित दाम पर दी जानी चाहिये या जिस प्रकार से विधान सभा के उम्मीदवारों को वह लिस्ट मिलती है उसी प्रकार से उनको भी उपलब्ध होनी चाहिये। इस बार यह देखने में आया है कि कुटुम्ब रजिस्टर भाग २ में आखिरी दिन तक गड़बड़ी वहां के सेक्रेटरी और सरकिल इन्सपैक्टर ने मिल कर की।

मैंने स्वयं एक पंचायत के चुनाव में देखा है जो मेरे क्षेत्र के अन्दर पड़ता था। वहां पर एक पुराने जमींदार और किसानों के बीच संघर्ष बहुत दिनों से चला आ रहा था। वहां पर पिछली बार किसानों को प्रधान के चुनाव में उन जमींदारों ने बड़ा परेशान किया था। इस बार किसानों ने कह दिया कि हम अपने आदमी को चुनेंगे। वहां के जमींदार यह जानते थे कि गरीब काश्तकार बहुमत में हैं वह अपने आदमी को चुनेंगे। उन्होंने कुटुम्ब रजिस्टर भाग-२ में इस तरह से मतदाताओं की सूची तैयार कराई कि जितने सम्बन्धित उम्मीदवार हो सकते थे उनकी आयु ३० वर्ष से कम लिखाई। वे किसान मेरे पास दौड़े आये तो मैं अधिकारियों से मिला। उसकी छानबीन की गई। जो ७५ साल के बड़े बूढ़े थे उनकी आयु २९ साल और २७ साल लिखाई गई थी। दूसरा काम यह हुआ कि जिस दिन जिसने नामजदगी का पेपर दाखिल किया था उस दिन उस आदमी के नाम ८ रुपया टैक्स था तो उसके नाम ८३ रुपया टैक्स बढ़ा दिया गया। एक आदमी के नाम १५ रुपया टैक्स था तो उसके नाम १५० रुपया बढ़ा कर टैक्स कर दिया गया। मैंने उन टैक्सों की जांच कराई। उस आदमी के नाम ८ रुपया टैक्स था लेकिन जिस दिन उसने अपना चुनाव का पर्चा दाखिल किया उस दिन पर्चा दाखिल करते समय रातों रात ८ रुपये का ८३ रुपया कर दिया और १५ रुपये का १५० रुपया बढ़ा कर कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि वह आदमी अपना पर्चा दाखिल नहीं कर सका और दूसरे आदमियों का पर्चा दाखिल कराया गया। उसकी दरख्वास्त जिलाधीश और पंचायत के अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने स्वयं मुझसे कहा कि पंचायत मंत्री ने विरोधी उम्मीदवार से मिल कर यह काम कराया है। इनको गोली मार देनी चाहिये और जनता के अधिकारों पर इस प्रकार से आक्रमण किया जा रहा है। उसने कहा कि मैं अधिक नहीं कर सकता क्योंकि कायदे कानून की बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की काफी धांधली हुई है।

दूसरी बात सदस्यों के चुनाव के बारे में है। जिस प्रकार से हाथ उठाकर मतदान की प्रणाली जारी की गई है उससे काफी गड़बड़ी होती है। गुप्त मतदान की प्रणाली अच्छी है लेकिन उसके लिये सरकार का कहना है कि ज्यादा खर्चा होगा। पंचायतों के चुनाव में हर एक को इस बात की गारन्टी होनी चाहिये कि हर आदमी निष्पक्ष भाव से अपना मत दे सके और वह चुनाव में जा सके चाहे उसमें खर्चा ज्यादा ही हो लेकिन सब से अच्छी मतदान की प्रणाली यही है। हर एक आदमी को इस बात की गारन्टी होनी चाहिये कि वह अपना मतदान बिना किसी भेदभाव के दे सके।

इन सुझावों के साथ मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इन तमाम बातों की जांच-पड़ताल करें, अपने अधिकारियों की जांच करें जिससे जनतन्त्र में चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सके और हमारा जनवाद मजबूत हो सके।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया था उसमें जिन माननीय सदस्यों ने वाद विवाद में हिस्सा लिया मैं उन सब का अनुग्रहीत हूं। मेरे संशोधन के जवाब में माननीय माता प्रसाद जी ने उधर से कुछ बातें कहीं और कहने को तो शुरू में उन्होंने यह कहा कि मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, मगर सारी वह बातें उन्होंने कहीं जो मैंने कही थीं। सारी आलोचना उसी प्रकार की की जो मैंने की थी।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का जमाना था। हम लोग झंडा लेकर एक जमींदार के दरवाजे से निकले। मैंने कहा कि जमींदारी का नाश हो, तो अंदर वहां एक मुजरा हो रहा था। वहां तवायफ एक गाना गा रही थी कि "बात दोनों एक ही है, हम कहें या तुम कहो।" तो बातें दोनों वही हैं, जो हमने कहीं या उधर से माता प्रसाद जी ने या रामेश्वर प्रसाद जी ने। लेकिन एक बात निश्चित रूप से प्रत्येक सदस्य ने कही और वह यह कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गयी। उधर के माननीय सदस्यों ने यह बात स्वीकार कर ली है और इधर के सदस्यों पर तो बीती ही है और माननीय मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि वोटर लिस्टों में गड़बड़ी हुई।

[शिव प्रसाद नागर]

इस वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हुई, इसके लिये संशोधन प्रस्तुत करते समय जो मैंने सुझाव दिया था सिवाय उस दवा के अलावा और कोई इलाज उसका नहीं है। वोटर लिस्ट जो सन् ६२ का एलेक्शन कराने के लिये अभी से तैयार हो गयी है और जितनी नगरपालिकायें और टाउन एरियाज के एलेक्शन होते हैं, उन्हीं के आधार पर होते हैं, बाई-एलेक्शन भी उन्हीं से होते हैं, तो कोई कारण नहीं था कि वोटर लिस्ट सेक्रेटरियों को बनाने का अधिकार दे दिया जाता। वोटर लिस्ट सैकड़ों की तादाद में साइक्लोस्टाइल्ड जनरल इलेक्शन आफिस में रहती है। बड़ी सुविधा थी इस बात की कि प्रत्येक उम्मीदवार थोड़ा पैसा दे कर वोटर लिस्ट खरीद लेता। किसी भी उम्मीदवार को वोटर लिस्ट उस वक्त नहीं प्राप्त हुई जब तक कि उसका नामिनेशन नहीं हो गया। नामिनेशन के पहले कहा लोगों ने, उम्मीदवारों ने, कि हमें लिस्ट दिखायी जाय, हम कम से कम देख तो लें कि हमारा नाम किस प्रकार से लिखा हुआ है ताकि नामिनेशन पेपर ठीक से भर सकें, लेकिन जवाब मिला कि लिस्ट गुप्त है, हमें लिस्ट दिखलाने का अधिकार नहीं है। खीरी जिले में बार-बार कहा गया कि यह गुप्त है, गुप्त है। पता नहीं उसमें कौन-सा रहस्य है जो उसे गुप्त रखा गया। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों नाम गलत तरीके से लिस्ट में बढ़ाये गये, सैकड़ों नामिनेशन पेपर खारिज किये गये। अगर असेम्बली की वोटर लिस्ट उस जगह पर इस्तेमाल की जाती तो सेक्रेटरियों को अधिक परिश्रम न पड़ता और लिस्ट में यह घटाव-बढ़ाव न होता, फोर्जरी न होती। एक निश्चित अवधि होती कि इतने समय तक आब्जेक्शन लिये जायेंगे और उसके बाद नहीं लिये जायेंगे और यह काम एलेक्शन आफिस के सुपुर्द होता। लेकिन यह नहीं किया गया और इसी के कारण यह सब गड़बड़ी हुई। इस सदन के सदस्यों का तथा संसद का यह निश्चित मत है कि प्रजातन्त्र की यह ग्राम पंचायतें रीढ़ हैं। अगर रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर हो, इतनी लचर हो कि जिसके कारण इस प्रकार की घटनायें घट सकें, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने निवेदन की हैं, तो मेरा निश्चित मत है कि वह राष्ट्र जवानी में तो क्या लड़कपन में ही बुड्ढा हो जायगा, वह कमर सीधी करके प्रदेश का तथा देश का बोझ उठा नहीं सकेगा। तो यह मान कर कि ये हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं, जैसा लचर संशोधन माननीय मंत्री जी की तरफ से लाया गया है, नहीं लाया जाना चाहिये था। मैं तो समझता हूं कि जिस ढंग से पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं उसमें कुछ तरक्की होनी चाहिये। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, केवल सुझाव ही दे रहा हूं।

जैसी माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि एक-एक वोटर ने दस, दस जगह वोट दिये हैं, उसके लिये अगर स्याही का प्रयोग किया गया होता, जैसा कि हर जनरल एलेक्शन में किया जाता है, तो शायद यह संभव न हो पाता और एक व्यक्ति किसी दो जगहों पर भी वोट देने का साहस न कर पाता। ऐसा करने से मतदान अच्छा और स्वस्थ होता। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पर्ची वाली प्रक्रिया बन्द होनी चाहिये। जिस तरह से और जगह नामिनेशन होता है, टाउन एरिया वगैरह में होता है, वही प्रथा यहां भी होनी चाहिये। जहां तक सिक्योरिटी का प्रश्न है, उसके लिये आप जो भी मुनासिब समझें, वह रख दें, किन्तु १२ रुपये में जो पर्ची दी जाती है उसका मैं विरोध करता हूं। यह ठीक नहीं है। यह प्रक्रिया इतनी भ्रष्ट है कि इस पर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर और सदस्यों ने भी इस पर कहा है, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा।

मान्यवर, माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। अब पता नहीं कि वे कौन से प्रस्तुत संशोधन का विरोध करते हैं। एक तो संशोधन वह है जो मैंने प्रस्तुत किया है और एक माननीय मंत्री जी की तरफ से प्रस्तुत हुआ है। मेरा खयाल यह है कि वे मेरे संशोधन का विरोध नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने वही आलोचनायें की हैं जो कि मैंने की थीं और इससे ऐसा पता चलता है कि वे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का ही विरोध करते हैं। जो चोट हम लोगों के दिल में है वही चोट उनके भी दिल

में है। वे इलेक्शन में हार भी चुके हैं। इसलिये यह तो स्पष्ट ही है कि वे हमारे संशोधन का विरोध नहीं करते हैं।

मैं कर्मचारियों द्वारा बैलेट पेपर पर, जो स्वयं मोहर लगाने की प्रथा है, उसका विरोध करता हूं। यह भी गलत प्रक्रिया है। हम चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन में भी ऐसी बात न हो। श्रीमन्, अगर कोई अन्धा आदमी है, वह वोट डालने अन्दर जाता है, वह कहता है कि घोड़े पर मोहर लगा दो, मगर कर्मचारी किसी दूसरे का पक्ष करना चाहता है और वह गधे पर मोहर लगा देता है, तो वह अन्धा तो देख नहीं सकता कि उसने क्या किया, इसलिये यह प्रथा जो है वह भी गलत है, और इस पर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिये और अगर ऐसी प्रक्रिया रही तो पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते।

एक बात की ओर और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अदालत में पंचों के चुनाव के बारे में जो माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने एम० एल० ए० और एम० पीज० की पंचायती अदालत की चुनाव कमेटी का जिक्र किया मैं उसका भी विरोध करता हूं। इस समिति के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और आशा है माननीय मंत्री जी उस पर अवश्य विचार करेंगे। यह जो समिति हो, मेरी राय से, उसमें एक आनरेरी मजिस्ट्रेट हो, एक सीनियर तहसीलदार हो, एक सीनियर एस० डी० एम० हो, एक कलेक्टर हो, एक मुन्सिफ हो, एक जज हो, एक ए० डी० पी० ओ० हो और एक डी० पी० ओ० हो। इन लोगों की एक समिति बनानी चाहिये। अगर इस कार्य में जरा सा भी पक्षपात हुआ तो इससे न तो देश का भला होगा और न प्रदेश का ही भला होगा। अगर इसमें एम० एल० एज० वगैरह रहते हैं तो यह हमारे लिये तो खुशी की बात होगी, हमारे हाथ में तो लड्डू रहेंगे, लेकिन इससे न्याय नहीं होगा, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि उन लोगों की, जिनको मैंने अभी बताया है, एक समिति बना दी जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जो यह संशोधन लाये हैं कि जो वोटर लिस्ट में होगा वही वोट दे सकता है, इस मामले में मेरा सुझाव यह है कि भाग नम्बर १ में यह प्रतिबन्ध भी लगा दिया जाय कि कुटुम्ब रजिस्टर में जो लोग उस कुटुम्ब के सदस्य हैं और जिनकी २१ साल की अवस्था हो चुकी है वही भाग नम्बर दो में लिये जायं, बाकी नहीं....

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

***स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)**—श्रीमन्, मैंने बहुत ध्यान से प्रस्तुत विधेयक पर व्यक्त किये गये विचारों को सुना। मैं समझता हूं जहां तक इस विधेयक की धाराओं का सम्बन्ध है, उससे तो किसी भी माननीय सदस्य को कोई विरोध नहीं है क्योंकि असल में वह कुछ हैं भी नहीं। एक धारा तो इसमें केवल इसलिये रखी गयी है कि अधिनियम की दो धाराओं में आपस में कुछ विरोध पैदा हो गया था, और थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है कि, "Subject to the provisions of the Act", शेष वही है। दूसरी जो धारा है उसमें वह बात साफ कर दी गयी है जो नियमों के अनुसार की जाने वाली थी कि किस तरीके से मत-दान होगा। किन्तु पंचायतों के अभी-अभी चुनाव हुए हैं जिसके माननीय सदस्यों को भी अनुभव हुए हैं, उसके अनुसार यहां कुछ बातें की गयी हैं। मेरा इस सम्बन्ध में बहुत विनम्र निवेदन है। यह प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, पश्चिम के बहुत देशों से मुकाबला लेता है और उनसे बहुत अधिक बड़ा है। यहां कोई गांव बचा नहीं है जहां पंचायत न हो—जहां करीब-करीब ढाई सौ के आबादी है उसके लिये पृथक् रूप स पंचायत स्थापित की गयी है। यह उत्तर प्रदेश की विशेषता है, संभवतः देश के बहुत ऐसे प्रदेश हैं जहां इस रूप में इतने विस्तृत तरीके से पंचायत स्थापित नहीं की गयी हैं। इस कारण पंचायतों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की संख्या बहुत अधिक है, करीब-करीब ७३ हजार पंचायतें इस प्रदेश में हैं। श्रीमन्, कुछ पहाड़ी जिलों में अभी चुनाव नहीं हुआ है, शेष सब जगह हुआ है। उसमें करीब-करीब ६० हजार पंचायतों के चुनाव हुए हैं और ११ लाख सदस्यों की संख्या है जिनका चुनाव हुआ है।

अब इस बात का एक अनुमान और कल्पना की जाय कि कितना जबरदस्त काम है। प्रजातंत्र के चाहने वाले उस ओर भी हैं, इस ओर भी हैं और यह संभवतः सभी मानेंगे कि पंचायतें हमारे प्रजातन्त्र की कड़ियां हैं, आधारभूत कड़ी हैं और अगर हमारे देहात में पंचायतों में प्रजातन्त्र के प्रति कोई आस्था नहीं रही और चुनाव सीधे और सही तरीके से नहीं हुए तो प्रजातंत्र को उससे ज्यादा क्षति और किसी चीज से होने वाली नहीं है, इसलिये वहां ईमानदारी से काम होना परमावश्यक है कि वहां की जनता की आस्था बैलट बाक्स में पूर्ण रूप से रहे।

श्रीमन्, इस उद्देश्य में किसी को कोई विरोध नहीं हो सकता और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शासन की ओर से भी इस बात का पूरा प्रयत्न किया गया। किन्तु बात अपनी जगह पर सही है। एक बहुत बड़ा बाग लगाने अगर कोई चलता है, बड़ा जबरदस्त बाग है, उसमें भिन्न-भिन्न तरीके के पेड़ हैं, फूल खिले हुए हैं, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उस तमाम बाग को देखकर ही अनुमान लगाना चाहिये, कोई कल्पना करनी चाहिये। उस तमाम बाग में फूल खिले हुए हैं और कहीं छुटपुट दो, चार दस जगह कोई पौधा मुरझा गया हो, कोई फूल नष्ट हो गया हो या किसी में कीड़ा लग गया हो, केवल उसी ओर दृष्टि रखने से बाग में जो लोग काम करते हैं, जिनको उस उपवन से मुहब्बत है उनको बड़ी निराशा पैदा होती है।

माननीय सदस्यों के अपने-अपने अनुभव भी हुए हैं, किसी न अगर बेईमानी की तो वह दुख की बात है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसको ठीक होना चाहिये किन्तु जब हम इस माननीय सदन में पंचायतों की बात करें तो केवल उस एक जगह के अनुभव को लेकर जहां पर रोग पैदा हो गया, हमें कोई तसवीर नहीं बनानी चाहिये। हमें पूरे उपवन की तसवीर को लेना है और उसका जिक्र करना है और उस उपवन में एक भी फूल जो मुरझाया है या कीड़ा लग गया है उसके लिये हमारा सबका प्रयास होना चाहिये कि वह फूल स्वस्थ हो।

इस माननीय सदन में जो चर्चा हुई उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि पंचायतों क चुनावों में बेईमानी और भ्रष्टाचार के अतिरिक्त और कुछ हुआ ही नहीं। श्रीमन्, यह बात नहीं है। पूरे तरीके से यदि चीजों को देखा जाय, आंकड़े लिये जायं—यद्यपि अभी समस्त प्रदेश के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं—किन्तु फिर भी यह प्रतीत होता है कि लोगों की इतनी दिलचस्पी के बावजूद इतनी आस्था है कि करीब-करीब ४० फीसदी प्रधानों के चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हुए और करीब-करीब ५० फी सदी सदस्यों के चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हुए। तो श्रीमन्, अगर यह बात है तो जहां निर्विरोध चुनाव हुए हैं वहां कोई गलती या भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर पंचायत राज में हमारी आस्था है तो पंचायतों के जो कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी भी निन्दा करके उनको निरुत्साहित नहीं करना चाहिये।

जहां तक गलतियों का ताल्लुक है, जितनी तकलीफ माननीय सदस्यों को किसी एक जगह देखकर हुई उतनी ही तकलीफ, जब मेरे पास शिकायतें आई हैं, मुझे भी हुई। सूचियों में अदला-बदली हुई है, मेरे पास शिकायतें हैं, उनकी जांच हुई है और उसके कारण कुछ लोगों के खिलाफ, जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया था, कार्यवाही भी हुई।

नागर जी ने कहा कि यदि ठीक तरीके से चुनाव कराना था तो असेम्बली की सूचियां स्वीकार कर लेनी चाहिये थीं। उनकी बात अपनी जगह पर हो सकती है लेकिन मुझे भी कम

से कम दो असेम्बली के चुनाव लड़ने का अनुभव है, मैं कह सकता हूं कि वह सूचियां भी बिलकुल दोषरहित नहीं होतीं। उनकी गलतियों का पता तब लगता है जबकि चुनाव होने वाले होते हैं और जगह जगह से इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि यहां के लोग रह गये। मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि उसमें उतनी अदला बदली की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन यह एक सुझाव है। अगले चुनाव आयेंगे तब इस पर विचार किया जायगा कि जो दोष हमको इस बार देखने में आये हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जाय।

हमारे दोस्त लारी साहब ने कहा कि शर्म की बात है। कोई भी उन चीजों को ठीक नहीं कह सकता। दोष है, गलतियां हैं, लेकिन उनको सुधारने के लिये हम सतर्क हैं। मैं फिर उनसे निवेदन करता हूं कि यदि उनके पास गलतियों की व्यक्तिगत और निश्चित सूचना हो वह हमें बतायें, हम उन पर कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं।

इसके अलावा चुनावों में जो गड़बड़ियां हुई हैं वे पार्टीज के द्वारा अदालती तरीके पर भी सामने आ सकती हैं और पार्टीज अदालत के सामने अपने-अपने केसेज रख सकती हैं और अदालत का निर्णय उसमें प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि कोई शिकायत सरकारी अधिकारियों के बारे में है, और निश्चित शिकायत है, तो अवश्य ही हमारे नोटिस में आने पर हम उस पर कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमन्, समयाभाव से और अधिक कह सकने में मैं असमर्थ हूं। नागर साहब ने जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन रखा है, वह मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२--यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ९ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा ९ का संशोधन

"(2) No person who is not, and except as otherwise provided by this Act every person who is for the time being entered in the register of members, shall be entitled to vote at any election or in any other proceeding under this Act or the Rules framed thereunder, or to be elected, nominated or appointed to any office in the Gaon Sabha, Gaon Panchayat or Nyaya Panchayat."

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ में नयी धारा १२-ए का बढ़ाया जाना

३——मूल अधिनियम की धारा १२ के पश्चात् धारा १२-ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:——

Manner of Voting

"12-A. A member of a Gaon Sabha shall—

(*a*) in the case of election of member of a Gaon Panchayat—

(i) vote in person and by show of hand ;

(ii) be entitled to vote only in the constituency of the Gaon Sabha of which he is a member ; and

(iii) have as many votes as there are contesting candidates, so, however, that no member shall cast more than one vote in favour of the same candidate ;

(*b*) in the case of election of Pradhan of a Gaon Sabba cast vote by marking the ballot paper at the place of polling in the manner prescribed."

श्री अध्यक्ष——श्री मोतीलाल जी के संशोधन नम्बर २ और ३, दो हैं। उनको वे एक साथ उपस्थित कर दें क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)——श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूं। वे इस प्रकार हैं——

"१——खंड ३ में प्रस्तावित धारा १२ के पश्चात् १२-ए के रूप में निम्न संशोधन कर दिया जाय—

(*a*) (*i*) हटा दिया जावें।"

२——खंड ३(*b*) में शब्द 'Pradhan of a Gaon Sabha' के पश्चात् शब्द 'and member of a Gaon Panchayat' बढ़ा दिया जावे।"

श्रीमन्, मेरा संशोधन हू-बहू वही है जैसा कि माननीय लारी साहब ने इसमें संशोधन करने की कोशिश की थी। इनकी मंशा भी वही है जैसी कि पूर्व वक्ता महोदयों ने अपने-अपने भाषणों में सदन के सामने प्रदर्शित की।

अभी-अभी स्वशासन विभाग के मंत्री जी ने जो प्रशंसा की बातें अपनी कामयाबी के संबंध में कीं और जो सारे सुधार कर सकने में असमर्थता दिखलायी, उसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं कर पा रही है। एक प्रदेश का शासन चलाने में और उन बातों की ओर ध्यान देने में जो मौलिक रूप से अवश्यकतायें हैं, अगर सरकार अपनी कमजोरी दिखलाने लग जाय तो एक दयनीय दशा-सी हो जाती है। जो हम शासन को विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं या मौलिक रूप से वहां अपनी रिपब्लिक कायम करना चाहते हैं, तो जब तक हम गुप्त मतदान की प्रथा नहीं जारी करेंगे तब तक सचमुच इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में वह भावना नहीं आ पावेगी जो भावना कि एक स्वतंत्र देश के लिये स्वतंत्र जनमत देने के लिये आवश्यक है। अब दिक्कतें जो भी बतलायी जायं, लेकिन सरकार को तो विरोधी पक्ष द्वारा बतलायी गयी खामियों की ओर ध्यान देना चाहिये। केवल यह कह देना कि यह खामी बहुत थोड़ी है या उन पर हम कभी ध्यान देंगे, यह उचित नहीं होगा। जो खामियां हैं वे बहुत बड़ी हैं और मैं यह कहता हूं कि अगर ये खामियां नहीं होतीं तो आज सैकड़ों लोगों की जानें बच गयी होतीं। न मालूम कितने आदमियों के कत्ल हुये, फौजदारी और गोलियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के कारण क्योंकि चुनाव कराने का जो तरीका है वह गलत है। गुप्त मतदान न होने से ही चुनाव के कार्य में बहुत जगह व्यवधान पैदा हो गया है।

सरकार हमारे सामने कुछ चन्द बातें करके ही बरी नहीं हो सकती कि गुप्त मतदान के द्वारा उसका कुछ खर्चा बढ़ जायगा या उसका कुछ कार्य बढ़ जायगा। यदि यह कहा जाय कि ५० फीसदी चुनाव निर्विरोध हुये हैं, तो इसमें मुझे कुछ संदेह है। अगर सर्वसम्मति से कहीं चुनाव हुए हैं तो वह इसी तरह से हुये हैं कि कुछ तिकड़मबाजी करके विरोधी पक्ष के लोगों का पर्चा ही खारिज करा दिया गया, तो इस तरह से ख्वामख्वाह वह चुनाव निर्विरोध हो गया। लेकिन यह कहना कि स्वतः निर्विरोध चुनाव हुये हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ ही साथ चुनाव में जो अनियमिततायें हुई हैं, उन शिकायतों का बहुत थोड़ा अंश ही सरकार के सामने आया है। जिस अंश में सरकार के सामने शिकायतें आयी हैं उससे कहीं ज्यादा-मैं समझता हूं कि दसगुना, बीस गुना और सौ गुना अनियमिततायें हुई हैं। केवल उनका कुछ अंश ही किसी दरख्वास्त के रूप में या किसी माननीय सदस्य द्वारा सरकार के सामने रखा जाता है। जो वास्तविक स्थिति है वह यह है कि ये जो अनियमिततायें हैं उनको मैं कई हजार की संख्या में रखता हूं जब कि बतलाया यह गया है कि सिर्फ ३३० दरख्वास्तें ही इस बारे में आयी हैं। यह वास्तविक संख्या से बहुत कम है। अभी तो गांव के लोगों ने सरकार के पास दरख्वास्त देने की बातें सीखी भी नहीं है। दरख्वास्त लिखने का काम शिक्षकों तथा पढ़े-लिखे लोगों का ही होता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोग पढ़े-लिखे हैं? कितने आदमियों को तो पता तक नहीं है कि हमें अपनी शिकायत किस अधिकारी को देनी चाहिये। अभी भी उनको बहुत कुछ सीखना है। मैं स्वयं एक उदाहरण बतला दूं कि मुझे अभी एक सज्जन ने बतलाया कि इस चुनाव के बारे में एक पेटीशन उन्होंने परगना हाकिम के सामने पेश कर दिया लेकिन बाद में पता चला कि याचिका इस अधिकारी के पास नहीं बल्कि दूसरे अधिकारी के सामने पेश होनी चाहिये।

जहां-जहां चकबन्दी हो रही है वहां सब-डिवीजनल आफिसर और कलेक्टर, इन दोनों पदों पर कभी-कभी एक ही आदमी रहता है और कभी-कभी दोनों पदों पर दो आदमी रहते हैं। तो चुनाव याचिका गलत दफ्तर में देने के कारण अवधि पार हो जाने से कई जगह उसके खारिज हो जाने की संभावना पैदा हो गयी है। तो किस अधिकारी के पास दरख्वास्त दी जाय, किसको याचिका दी जाय और क्या चीज कहां हो, ये सब बातें अभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मालूम नहीं हैं। इसलिये उनका यह कहना कि बहुत कम शिकायतें आयीं या सिर्फ इतनी आयीं, उनका यह अन्दाजा गलत है। जो अभी चुनाव में अनियमिततायें हुई हैं, मैं समझता हूं कि वे अधिक हैं। इसलिये मैं सरकार से फिर प्रार्थना करूंगा कि वह इन पंचायतों के चुनाव को कुछ थोड़ा-सा महत्व दे। इन निर्वाचनों के कराने के लिये केवल मात्र मंत्रियों को अधिकार देना उचित न होगा क्योंकि पंचायत राज विभाग के साथ रेवेन्यू विभाग को शरीक करना उचित न होगा। इन दोनों का बटवारा ऐसा हो जाय कि ओवर लेपिंग न हो जाय, जो पंचायत अदालतों के बनने की बात है....

श्री अध्यक्ष—आप संशोधन पर ही बोलें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जी हां, मैं उसी पर आ रहा हूं। सरकार ने कहा कि यह विषय विचाराधीन है तो वह कबतक विचाराधीन रहेगा, मैं समझता हूं तबतक रहेगा जब तक....

श्री अध्यक्ष—आप संशोधन पर ही बोलें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं इस संबंध में इतना ही निवेदन करूंगा कि सरकार इस संशोधन के महत्व को पहचाने और इसे स्वीकार करे। मुझे आशा है कि सदन के माननीय सदस्य इस का समर्थन करेंगे और सरकार भी इस पर ध्यान देगी।

*स्वायत्तशासन मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---अध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी ने जो संशोधन पेश किया है उस का आशय यह है कि सदस्यों के चुनाव भी बैलट द्वारा हों। उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण से मैं बहुत प्रभावित नहीं हुआ। सम्भवतः जो कुछ उन्होंने पहले कहा था और मैंने उस का उत्तर दिया था उसी की पुनरावृत्ति में वह फिर ले जाना चाहते हैं लेकिन उसमें पुनः जाने की मुझे कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। सीधा-सा प्रश्न है कि सदस्यों का चुनाव हाथ उठाकर हो जाय, ऐसा प्राविधान किया गया है। चुनाव अभी अधूरे हैं, जिन स्थानों पर जहां अभी निर्वाचन नहीं हुये हैं और जो स्थान रिक्त रह गये हैं वहां चुनाव कराने हैं, वह इस प्रणाली से कराये जायेंगे, मुनासिब भी यही है कि वह उसी प्रणाली से कराये जायं।

समझा शायद यह जाता है कि अगर गुप्त मतदान प्रणाली से चुनाव कराये जायं तो चुनावों के जितने दोष हैं वे सब समाप्त हो जायेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं समझता, पंचायतों के द्वारा ही मैं प्रजातंत्र की कल्पना करता हूं कि हमारे ग्रामीण भाइयों का इस तरह का चरित्र बन जाय। पंचायतें क्या थीं और अब भी काफी अंश वहां इस बात का मौजूद है कि वह बहुत स्ट्रेट फार्वर्ड हों, सीधे सच्चे हों। मेरा स्वयं का अनुभव है कि ग्रामों में खास तौर से जो बुजुर्ग लोग हैं वह अपनी पुरानी संस्कृति के आधार पर सच्ची बात कहते हैं और वह उसी पर डटे रहते हैं। मैं तो ऐसे समय की ही कल्पना करता हूं वास्तव में कि जिस म इस तरह का लोगों का चरित्र बन जाय कि जो उन की राय हो जो उन का मत हो चाहे वह हाथ उठाकर लिया जाय या गुप्त प्रणाली से लिया जाय, उनका मत सफाई और सच्चाई से आये---तो म व्यक्तिगत बात कह रहा था और इस बात को निवेदन कर रहा था कि इस संशोधन के द्वारा वह यह चाहते हैं कि चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा कराये जायं और जो हो चुके हैं वह हाथ उठाकर हुये हैं। मैं इस को उचित नहीं समझता, इसलिये संशोधन को स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मोतीलाल जी अवस्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। उनके संशोधन का आशय यह है कि गांव पंचायतों के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से हो। बड़े ध्यान से मैं सुनता रहा। जिन माननीय सदस्यों ने भी इस प्रणाली का विरोध किया उनका ऐसा कहना था कि यह जो प्रणाली है वह अधिक खर्चीली है। माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रजातन्त्र की जो आधार शिला है, जो हमारे ग्रामीण भाई हैं वह इतने सीधे और सच्चे हों कि शौर्य और बहादुरी के साथ अपना मत खुलकर व्यक्त करें। मान्यवर, आज इस प्रणाली के चलने से गांवों में जो कुछ हो रहा है यदि उस वास्तविकता की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान गया होता तो शायद माननीय अवस्थी जी ने जिस पवित्र भावना से और प्रजातंत्र के लिये जिस जरूरी सुझाव को सदन के सामने रखा है उस संशोधन का संभवतः माननीय मंत्री जी विरोध न करते। मैं ऐसा समझता हूं कि आज तक के विवाद में सब से महत्व का प्रश्न जो सदन के सामने रहा है वह यही रहा है कि सदस्यों के चुनाव को गुप्त मतदान द्वारा, जो नहीं कराया गया, उसके नतीजे बड़े बुरे हुए। इतने बुरे हुए कि चुनाव समाप्त होते देर नहीं लगी और गांवों में मुकदमेबाजियां और झगड़े शुरू हो गये। उन मुकदमों में गांव की जनता को कितना धन व्यय करना होगा, क्या माननीय मंत्री जी इसका भी कभी अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे ?

प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों की तरफ उनका संकेत है। बड़ी मर्मस्पर्शी भाषा में उन्होंने कहा कि इतने बड़े उपवन में यदि एक फूल रोगी हो जाता है तो उधर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मान्यवर, मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बहुत बड़े विशाल जन समुदाय के अन्दर किसी व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग हो जाय, ऐसा रोग हो जाय जिससे पूरे जनसमुदाय के नष्ट होने की संभावना हो, तो क्या उस स्थिति में भी मंत्री जी ध्यान नहीं देंगे ? मान्यवर, आज हमारे सदन का नहीं बल्कि जनतंत्र के तमाम हिमायतियों का यह दावा रहा है और सब जानते हैं कि भारतीय जनमत अविकसित अवस्था में है। भारतीय जनता विभिन्न प्रकार के धरौदों में बंधी हुई है। अपना मत व्यक्त करने के वक्त उसे तरह-तरह के खतरों का ध्यान करना होता है। इसलिये अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से स्वीकार किया गया था और उसी उद्देश्य को सामने रखते हुए उसी स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूं कि माननीय अवस्थी जी ने जो संशोधन रखा है, उसे मंत्री जी स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—माननीय मोतीलाल अवस्थी ! १२.५५ मिनट पर इस विधेयक पर बिचार समाप्त होना है, इसलिये दो ही मिनट हैं आपके लिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि मैं प्रभावित नहीं हुआ। एक कहावत है, श्रीमन्, अंग्रेजी में "where there is a will there is a way" अगर आपकी मंशा होती तो रास्ता निकलता। प्रभावित कैसे हों ? दिमाग की खिड़कियां खुली हों तो प्रभावित हों। दरवाजे जब बन्द हों तो झोंका जाय तो कैसे जाय ? जब हमारी सुनें तो बुद्धि के किवाड़ खोल दिया करें बन्द रहेंगे तो कैसे प्रभावित होंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, मैं तो असमर्थ हूं इसको स्वीकार करने में।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ३ में प्रस्तावित धारा १२ के पश्चात १२-ए के रूप में निम्न संशोधन कर दिया जावे—

"(a) (i) हटा दिया जावे।" और

(२) खण्ड ३ (b) में शब्द 'Pradhan of a Gaon Sabha' के पश्चात् शब्द 'and member of a Gaon Panchayat' बढ़ा दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१२,

विपक्ष में—४२।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गयी अधिनियमिति (enactment) हो।	उ० प्र० अध्यादेश संख्या ३, १९६० का निरसन यू०पी०ऐक्ट संख्या १, १९०४ ई०

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना और खण्ड १

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९६१

यू० पी ऐक्ट संख्या २६, १९४७

उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने के लिये

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७

उ० प्र० अध्यादेश संख्या ३, १९६०

उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये गवर्नर ने १० दिसम्बर, १९६० को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० प्रख्यापित किया था;

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश, जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कैलाश प्रकाश—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Bill, 1961.] पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Bill, 1961.] पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Control of Supplies (Temporary Powers) (Sanshodhan) Bill, 1961.] पर विचार किया जाय ।

---

*२२ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही में छापा गया ।

श्री अध्यक्ष—मैं समय का निर्धारण कर देता हूं। क्योंकि १ से २ बजे तक कोई वोटिंग नहीं होगी इसलिये इसके ऊपर १ बज कर ५० मिनट तक आम बहस करें और जो संशोधन मोतीलाल अवस्थी जी का है वह एक ही है उसके ऊपर १० मिनट, आम बहस के बाद, बहस हो जाय। और वोटिंग जो है आम बहस पर भी और खंडों के जो संशोधन हैं उन पर भी दो बजे होगी। ऐसी हालत में ५, ७ मिनट का समय ज्यादा लग जायगा। एक घंटे से ज्यादा समय इसके लिये लग जायगा क्योंकि वोटिंग एक से दो बजे तक नहीं होती।

श्री धर्मसिंह—जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जब आर्डिनेन्स इस सदन के सामने लाया गया था तो काफी बहस की गई। क्यों आवश्यकता है, सरकार की तरफ से इसका पूरे तौर से जबाव दे दिया गया था। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसकी आवश्यकता है और उस आवश्यकता को देखते हुए जैसा कि विधेयक में कहा गया है सरकार कुछ चीजों पर नियंत्रण करना चाहती है और तीन वर्ष के लिये और समय सदन से चाहती है। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता। इस सदन से मैं अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को पारित करने का कष्ट करें।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि उपर्युक्त विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन सदन में १५ दिन के अन्दर प्रस्तुत करे।

(इस समय १२ बजकर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुयीं।)

माननीया, यह कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१, जिसके अन्तर्गत परिधि बढ़ाने की प्रस्तावना हमारे सामने रखी गयी है, उसकी संक्षिप्त भूमिका आपके सम्मुख रख देना चाहता हूं। इस कन्ट्रोल आफ सप्लाईज विधेयक के अन्तर्गत कुछ ईटें और ईंधन के बारे में सरकार ने अपने हाथ में अधिकार ले रखे हैं, जिनका नाम टेम्पोरेरी पावर्स रखा है। ये सन् ४७ में प्रस्तुत किये गये थे। सन् ४७ से टेम्पोरेरी पावर्स सरकार को लिये हुए करीब १४ साल हो गये हैं और १४ साल से सरकार ने आवश्यक वस्तुओं पर अपना एकाधिकार रखा है। आप देखें कि सरकार समय समय पर इन विशेषाधिकारों की अवधि बढ़ाती रही। सन् ५३ में सरकार ने इसको अधिनियमित किया और इन्हीं पावर्स को आगे जारी रखने के लिये सन् ५५ में कंटीन्युएंस आफ पावर्स का एक अधिनियम जारी किया और ५५ में ही एक द्वितीय संशोधन अधिनियम जारी किया और फिर ५७ में इसकी अवधि बढ़ाई और वह ऐक्ट २५ जनवरी, ६१ को खत्म हो जाता किन्तु आज उसकी अवधि बढ़ाने के लिये हमसे फिर कहा गया है कि ६४ तक हम उसकी अवधि बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता—माननीय अवस्थी जी, आपका यह जो दूसरा संशोधन है कि "६४" के स्थान पर "६२" रख दिया जाय इसमें जो कुछ कहना है वह भी इसी के साथ कह दीजियेगा क्योंकि दो बजे वोटिंग हो जायगी और इस तरह से समय बच जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव के बाद जो समय बचेगा उसमें आप मौका दे दें।

श्री अधिष्ठाता—मौका तो आपके हाथ में है। जो कुछ किफायत आप कर सकते हैं वह कर लें ताकि २ बजे तक वोटिंग हो सके। दूसरे संशोधन पर भी आपको जो कुछ कहना है वह इसी समय कह लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह तो मेरी हकतल्फी होगी कि जनरल डिस्कशन तथा खंडशः डिस्कशन दोनों एक साथ ही करूं ।

श्री अधिष्ठाता—वक्त के अन्दर ही आप खत्म कर दें तो अच्छा होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—वक्त के अन्दर ही बोलूंगा लेकिन मेरी हकतल्फी नहीं होनी चाहिये । समय का अधिकार तो आपको है ही, जब चाहें आप रोक सकती हैं ।

मैं कह रहा था कि सरकार ने ४७ में कुछ आवश्यक वस्तुओं पर एकाधिकार रखा और वही अधिकार सन् ६४ तक अब चलने वाले हैं । तो १७ साल अपने अधिकार में इन बातों को रख कर सरकार एक प्रकार का निरंकुश शासन चलाना चाहती है । इन १७ सालों में सरकार ने इन आवश्यक वस्तुओं के प्रति क्या नीति बरती और उसमें वह कहां तक कामयाब हुई यह बात हम अवश्य देखना चाहते हैं । हमारे सामने जो प्रवर समिति का प्रस्ताव है वह इसी लिये है कि इतने सालों तक कंट्रोल रख कर कहां तक सरकार इन आवश्यक वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर और सुविधाजनक रूप में हमको पहुंचा पायी है । माननीया, उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ते हुये भवन निर्माण के कारण ईंटों की मांग बढ़ गयी । यह बात सही है कि आज कुछ स्थानों में बड़े-बड़े नगर बसते जा रहे हैं और आज जिन लोगों के पास सुविधा है वे अपने मकानों को मजबूत बनाने की चिन्ता में हैं इसलिये ईंटों की मांग अवश्य बढ़ रही है । लेकिन जब सरकार कहती है कि हम कंट्रोल के द्वारा इस मांग की पूर्ति करेंगे तो हम देखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने अपने हाथ में यह अधिकार रखा, क्या वह समुचित उपयोगी साबित हुआ ? सरकार कहती है कि ईंधन का नियंत्रण जो सन् ५८ में रखा गया था और ५९ में रद्द कर दिया गया था यह आवश्यक है कि राज्य में जहां कहीं आवश्यक हो जलाने की लकड़ी को लाने, ले जाने तथा उसके वितरण को विनियमित करने के लिये मूल अधिनियम के अधीन अधिकारों को बनाये रखा जाय ।

आप देखें कि सापट कोक को सरकार हर हालत से अपने अधिकार में रखना चाहती है । उद्देश्य और कारण में कहा है :—

"इन पदार्थों का जितना भी सम्भरण उपलब्ध होता है उसके भीतर अधिकाधिक उपभोक्ताओं को अधिकतम सुविधाएं देने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि इन पदार्थों पर अगले तीन वर्ष तक वर्तमान नियंत्रण और जारी रखा जाय ।"

असल में ईंटों और जलाने की लकड़ी, इन दोनों ही मामलों में सरकार ने इतने बेतरीके से काम लिया है कि जिन लोगों को इनकी अति आवश्यकता है उनको इनसे महरूम रहना पड़ा है । पहले मैं ईंटों की बात लूंगा । इस सम्बन्ध में सरकार ने जो अधिकार अपने हाथ में रखे हैं उससे होता यह है कि जिलाधिकारी को ये पावर्स दे दी गयी हैं कि वह झूठा भट्ठा लगा कर ईंट बनाने वालों को लाइसेंस दे, स्थान मुकर्रर करे, इत्यादि इत्यादि । कहा यह जाता है कि सप्लाई अफ़सर जिले के लिये एक सलाहकार समिति रखता है लेकिन आज हमारे जिलों में सप्लाई अफ़सर इतना निरंकुश और भ्रष्ट अफ़सर हो चुका है कि हमारे कानपुर की ही मिसाल अगर लें तो एक-एक सप्लाई अफ़सर चार-चार लाख रुपये का लखपति होकर वहां से जाता है । यह औसत है कि एक सप्लाई अफ़सर वहां तीन लाख रुपये से कम पैदा नहीं करता है । आज हम दांतों तले अंगुली दबाते हैं कि यह भ्रष्टाचार और निरंकुश शासन होता रहे और हम कुछ कर न पायें । जिन चीजों पर सरकार ने नियंत्रण कर रखा है उनका एक तोहफ़ा बंटता रहता है । श्रीमती जी, जो यह ऐक्ट है इसमें कहा गया है कि हम हर प्रकार से अधिकार अपने हाथ में रखेंगे, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एक्वीजीशन, यूज़, कंज़म्शन, मैन्युफैक्चर आफ़ एनी एसेंशल कमोडिटी, तो इसके माने यह हैं कि हर स्टेज पर सरकार का पूरा पूरा अधिकार है । नतीजा यह होता है कि चाहे ईंटों की बात हो, चाहे शापट कोक की बात हो, आज तरीका यह हो गया है कि सरकार कुछ लोगों को विशेष लायसेन्स देकर उनको व्यापार करने का अधिकार

देती है। सरकार ने जो अभी कंट्रोल आफ़ सप्लाईज़ ऐक्ट के अन्तर्गत आदेश निकाले हैं उसमें यह कहा है कि वहां इन अधिकारों के सम्बन्ध में जिलाधीश को अधिकार दे रखे हैं। वह इस प्रकार है कि :—

"जिला मैजिस्ट्रेट अपने जिले के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को किसी मुख्य वन स्टेशन या संग्रहागार से किसी गन्तव्य नगर को खंड ४ के अधीन निश्चित मूल्य पर ईंधन की लकड़ी ले जाने के लिये वन संरक्षक (ईस्टर्न सर्किल) द्वारा थोक अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये, नामांकित कर सकता है। वन संरक्षक, (ईस्टर्न सर्किल) ऐसे अभिकर्ताओं की नियुक्ति सीधे भी कर सकता है।" फिर इसके आगे खंड ९ में अधिकार दिया गया है कि :—

"(१) उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट, जहां खंड ३ में उल्लिखित मुख्य वन स्टेशन या संग्रहागार से ईंधन की लकड़ी आयात की जाय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा—

(क) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को प्राधिकृत कर सकता है, जो आयात की गई ईंधन की लकड़ी को फुटकर बिक्री करें और ऐसे स्थान या स्थानों को निश्चित कर सकता है जहां पर इसकी फुटकर बिक्री की जाय।" इस तरह के अधिकार जिला अधिकारियों को देकर सरकार समझती है कि न्याय हुआ करेगा। लेकिन इसकी एक कहानी है और इन कंट्रोलों को पाने के लिये एक होड़-सी लगी रहती है, एक दौड़-सी मची रहती है और ऐसी मचती है कि चाहे वह मंत्री हों या उपमंत्री हों, लेकिन जिसके हाथ में ऐसा अधिकार है वह एक प्रकार से मिठाई सी वितरण करने लग जाते हैं। माननीया, यदि आपका भी ध्यान मेरी ओर नहीं होगा तो मैं किस से कहूंगा? इस समय वैसे भी सदन में सदस्य कम होते हैं।

श्री अधिष्ठाता—मेरा ध्यान आपकी ही तरफ है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कभी-कभी सचिव महोदय, आपका ध्यान बटा लेते हैं। मैं यह कह रहा था कि जिला अधिकारियों को बहुत ज्यादा अधिकार दे रखे हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को नामजद करें। कानपुर जिले से ऐसे उपमंत्री आये हैं जिनके हाथ में एकाधिकार है और जिनको चाहें दिला दें तो वह उन्हीं को कंट्रोल की दुकानें दिलायेंगे जिनसे उन को पैरोकारी होती है, चुनाव में, चन्दे में। मैंने पिछले सप्लाई मिनिस्टर से भी रोना रोया था और आज भी रो सकता हूं कि उनके दरबार में न्याय नहीं है और कांग्रेस के लोगों को ही लकड़ी का कंट्रोल, ईंटों का कंट्रोल, कोयले का कंट्रोल यानी कहने का मतलब यह है कि सारे कंट्रोल, मिलते हैं और सौ फीसदी मिलते हैं ताकि उसके एवज में चुनाव के समय वह दिल खोल कर मदद करें। इस ऐक्ट के अन्तर्गत ऐसे सौदे हुआ करते हैं। इसीलिये हमसे कहा जाता है कि इसकी तीन साल के लिये और मियाद बढ़ा दी जाय और अंधेरे में चोरी करने की जो चीज है उसकी मियाद बढ़ाने के लिये हम से कहा जाता है। इसको चोरी से एक और दो के बीच में मंजूर करा लेना चाहते हैं। कानपुर में एक एक कंट्रोल की दुकान के लिये लोग दो-दो हजार रुपये देने को तैयार हैं। मिनिस्टर साहब चल कर लोगों के बयान ले लें। लोग कहेंगे कि दूसरों को दुकान मिली है, मैं भी दो हजार देने को तैयार हूं, मुझे भी मिल जाय।

हम से कहा जाता है कि पिछली बातों को न उभाड़ो और इतना संशोधन मान लो कि तीन साल तक और यह ढक जाय। मैं उस इलाके से आता हूं जहां के लोग पीड़ित हैं और लोगों ने आवाज उठाने के लिये कहा है। मैं मानता हूं कि सरकार लकड़ी को अपने हाथ में लेकर कायदे के अन्दर वितरण करना चाहती है। लेकिन वितरण करते समय न्याय रखे, ईश्वर का भय रखे और यह न हो कि इसके अन्तर्गत पार्टी को मजबूत करे, अपने पार्टीमैनों को मजबूत करें, भ्रष्टाचार को बढ़ावे। सप्लाई अफसर कहते हैं कि हम क्या करें? ऊपर से लिखा लाते हैं, मिनिस्टरों से, अपने परमिटों और लाइसेंसों के लिए, और हमें दस्तखत करना पड़ता है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

यह एक कहानी है। इस वक्त कानपुर में अगर चार दूकानें खोलनी हैं, तो कोई मिनिस्टर बाकी नहीं रहता, आदमी पर आदमी दौड़ते रहते हैं, मैंने आंखों से देखा है और लोगों को बात करते हुए सुना है, कमरे में जाकर सुना है। लेकिन यहां हमारी बात कौन सुनेगा? धर्मसिंह जी नये मंत्री आये हुए हैं, धर्म करने वाले। पता नहीं इस अधर्म के व्यापार में और अधर्म के दफ्तर में वह अपना कितना धर्म निभा पायेंगे?

श्रीमती जी, जो मैं कह रहा हूं, पुष्टि के रूप में सारी बात कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर मंत्री जी चाहें, तो खुली जांच करवा लें, जांच कमीशन बिठा लें और देख लें कि भ्रष्टाचार है या नहीं। मैंने जितने आरोप लगाये हैं, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन खुली जांच में बताऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह इसेंशल कमोडिटीज विधेयक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय। वहां जाकर हम देखें कि कितनी निरंकुशता और भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। जहां पर आवश्यक हो कंट्रोल रखा जाय लेकिन उसके साथ जो एक जहर लगा हुआ है, सांप का दांत लगा हुआ है, उसको हमें तोड़ना है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। मैंने थोड़े समय में ही समाप्त कर दिया है, इसलिए मेरा अधिकार सुरक्षित रखा जाय, जब मेरा संशोधन मेरे सामने आये।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—माननीया, आपने इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सचमुच जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा इस विधेयक की भी जो मंशा है, इस विधेयक द्वारा जो अधिकार राज्य सरकार लेना चाहती है, उसके ऊपर सदन को काफी गम्भीरता के साथ सोचना होगा।

जैसा कि माननीय पूर्व वक्ता ने कहा तजुर्बा हमें यह बताता है कि जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, वरन् उसके उल्टे कुछ ऐसी बुराइयां हमारे समाज में फैलती हैं, जिससे समाज बहुत नीचे गिरता जाता है। सामाजिक मूल्यों की ओर और उनकी गिरावट की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो हमारे सामने यह कानून बहुत बड़े कारण के रूप में आता है। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि एक बार कंट्रोल अधिकारियों की एक कान्फरेंस दिल्ली में हुई और यदि मैं भूला नहीं हूं तो उस समय स्वर्गीय रफी अहमद किदवाई इस विभाग का भार सम्हाल रहे थे। उन्होंने उन अधिकारियों से यह पूछा कि इस कानून को यदि समाप्त कर दिया जाय तो उसका समाज के ऊपर क्या नतीजा होगा? लोगों ने आंकड़ों से यह बताया कि यदि सप्लाई का कानून नष्ट कर दिया जाय तो, इतने लाख आदमी भूखों मर जायंगे। उन्होंने फिर पूछा कि अब आप यह बताएं कि वस्तु थोड़ी सी है और बहुत से लोगों को पहुंचाना है, तो क्या आपकी कंट्रोल की दूकानों से ही केवल लोग सामान लेते हैं या और कहीं से भी लेते हैं? जवाब मिला कि जिनको जरूरत है कुछ तो सीधे कंट्रोल से लेते हैं और कुछ ब्लेक मार्केट से लेते हैं। तो ठीक यही बात, माननीया, और वस्तुओं के नियंत्रण में भी होती है।"

आज जिले के सदर मुकाम पर कोई भी व्यक्ति यदि जाकर देखे तो सबसे अधिक भीड़ जिले के पूर्ति अधिकारी के दफ्तर के सामने होती है और वहां क्या-क्या परेशानियां लोगों को होती हैं? मेरा अभी एक हाल का अनुभव है। एक अध्यापक महोदय महज दो हजार ईंटों के लिए एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते हैं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष, उनसे कहा जाता है मास्टर जी, आप पन्द्रह तारीख को आयें, आज से पन्द्रह रोज बाद। पहली को उन्होंने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। दुबारा छुट्टी लेते हैं। ४० मील दूर से फिर अध्यापक जी तशरीफ ले जाते हैं। पुनः कहा जाता है कि अच्छा जरा आपका प्रार्थना-पत्र तो देखें? इस पर तो केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य विधान सभा की संस्तुति है, जरा बी० डी० ओ० साहब से भी संस्तुति लिखा लाइए। तो इस तरह से लोगों को इस कानून के चलते परेशानी उठानी पड़ती है।

मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह कानून हर प्रकार से भ्रष्टाचार का मूलाधार बना हुआ है। काला बाजार या भ्रष्टाचार जो भी शब्द आज सदन में सुनने को मिलते हैं, माननीया, इसका अगर कोई इतिहास तैयार किया जाय तो जब से यह कानून हमारे देश में आया तभी से इस तरह की बातें भी हमको सुनने को मिलती हैं। क्या पिछले आम चुनाव के तीखे अनुभवों के बाद भी सरकार की समझ में यह नहीं आया कि जनता इस काले कानून को कितना नापसन्द करती है? साफ था कि जो भी बड़े-बड़े महारथी पराजित हुए, धराशायी हुए उनका सीधा या टेढ़ा संबंध इस कानून से था, और जो भी कारण रहे हों, और माननीया, आज भी मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा आग्रह करना चाहता हूं कि यदि कोई नियंत्रण का कानून जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं के लिए बनाना है तो काफी गम्भीरता के साथ वह कानून बनाना चाहिए। अगर इस तरह के छोटे मोटे संशोधन होते रहेंगे और जो मूल प्रश्न है हमारे सामने, उस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया जायगा तो मैं ऐसा समझता हूं कि भविष्य में भी इसका प्रतिफल, जो लोग भी इससे सम्बद्ध होंगे, उनको भोगना पड़ेगा।

मेरी राय में गांव में जो ईंटों के बारे में आज हाहाकार मचा है वह हाहाकार केवल इस कानून की वजह से मचा है। अगर यह कानून न होता तो शायद इतनी कठिनाई न होती। नियंत्रण और ऐसा नियंत्रण कि जिससे कोई लाभ न हो। माननीया, मैं उस जिले से आता हूं जो जिला आपके राज्य के पूर्वी छोर पर है। बगल में है बिहार राज्य। कोयले की जितनी आवश्यकता हो बिहार के लोगों को कोयला मिलता है। एक मील के पार कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हायरे अभागे उत्तर प्रदेश के नागरिक, एक एक मन कोयले के लिए जितनी परेशानी भोगनी पड़ रही है उसका क्या वर्णन किया जाय? पिछले वर्ष आश्वासन दिया जाता रहा कि अब कोयला आया, अब कोयला आया। लोगों ने लाखों की संख्या में ईंटें बनवायीं क्योंकि किसान के पास खाने-पीने के बाद थोड़ा भी पैसा बचता है तो अपने रहने के लिए वह एक छोटा सा घर बनाना चाहता है। तो कोयले की आशा में उसकी सारी ईंटें बरबाद गईं। सुना मैंने कि उनके लिए बड़े-बड़े सम्मेलन हो रहे हैं और क्या-क्या हो रहा है? लेकिन उनका प्रतिफल क्या हो रहा है? इसी राज्य के सब से बड़े दायित्व वाले व्यक्ति से मैंने इस सदन में सुना कि ऊपर के लोगों से बात करके कोई नतीजा नहीं निकल रहा है तो बीच वाले अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। अब इसका क्या अर्थ होता है? बहुत साफ है।

हमारी सरकार खुले शब्दों में इस बात को कबूल करती है कि आज जीवन के लिये जो आवश्यक वस्तुयें हैं उनको न तो हम सीधे रास्ते से उपलब्ध करा सकते हैं और न अपने इन कानूनों के द्वारा बल्कि हम उलटे जनता के रास्ते में एक नया अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस सदन में इस तरह के कानून पास करने से पिछले जमाने में जो कुछ भी इनकी कठिनाइयां रही हैं या जो कुछ भी नतीजे रहे हैं उनके ऊपर गौर करना चाहिये। माननीय सदस्य कानपुर जिस समय यह कह रहे थे कि कानपुर में सम्बन्धित अधिकारी ३, ३ लाख रुपया वहां रहते-रहते कमा लेते हैं तो एक साहब ऐसे देख रहे थे जैसे यह बड़े आश्चर्य की बात हो। कौन नहीं जानता कि वह कुर्सी एक कल्पवृक्ष का रूप रही है? कानपुर तो बड़ा नगर है। जिले में उस कुर्सी पर बैठने वाला अधिकारी सारे अधिकारों का केन्द्रबिन्दु होता है और मैं यदि आपको सही सही सूचना दे रहा हूं तो वही प्रत्येक भ्रष्टाचार का मूलस्रोत होता है।

माननीया, पिछले सालों का मुझे तजुर्बा है कि कुछ लोग हमारे पास आये और उन्होंने हमसे कहा कि साहब, हम तो बार-बार जाते हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है, जरा हमारी मदद कर दीजिये। आपको अनुभव होगा कि एम० एल० ए० से कौन काम नहीं लेना चाहता, चाहे वह अपोजिशन का हो या उधर बैठने वाला हो। मुझे परेशानी हुई और

[श्री रामायण राय]

झुंझलाहट भी आई। उनकी आवश्यकता को देखते हुये मैं उस अधिकारी के पास गया। मेरे जाने के बाद उन्होंने साफ इन्कार कर दिया कि अमुक वस्तु का उनके पास अभाव है। मैंने कहा कि भविष्य में कभी वह वस्तु उपलब्ध हो सकेगी तो उन्होंने ब्रह्म की परिभाषा की तरह अव्यक्त और अस्पष्ट उत्तर दिया। मैं आपको सही सूचना दे रहा हूं कि एक प्रार्थना पर भी, जिस प्रार्थना-पत्र पर रामायणराय ने संस्तुति कर दी होगी, चाहे वह ईंटों के लिये ही रहा हो, उनकी कृपा दृष्टि नहीं गई। केवल मेरा अपराध यह था कि कुछ राशनिंग की दूकानों के सम्बन्ध में सत्य का उद्घाटन मैंने इस सदन में कर दिया था।

माननीया, जब माननीय सदस्यों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो उन गांव के रहने वालों की बात मैं क्या करूं? वह तो साहब के पास जाने से भी घबराते हैं। इस शासन की ओर से कभी इस बात की चेष्टा नहीं की जाती है कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी पर कड़ी दृष्टि रखी जाय और उनके कारनामों की सही जांच की जाय और उनके नौकरी में आने के पहले क्या सम्पत्ति थी और इस समय उनकी क्या हैसियत है इस बात का पता लगाया जाय। मैं समझता हूं अगर इस बात का पता लगाने का प्रयास होता तो श्री मोतीलाल जी अवस्थी ने जो यह कहा है कि ३, ३ लाख रुपया कमा लेते हैं, इसे सुनकर आश्चर्य न हुआ होता। आज बरसात आरम्भ होने में कुछ मास शेष हैं। हमारे गांवों में एक बहुत बड़ा कारोबार और जीविका का साधन ईंटे बनाने का होता है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इस साल इस कानून के पास हो जाने के बाद जो लोग बाढ़ से बचना चाहेंगे, जो लोग परेशानी से कहीं शरण लेना चाहेंगे कुटिया बना कर वह कुटिया नहीं बना पायेंगे। बहुत और ब्योरे में न जाकर मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि अगर वे सदन से कोई अधिकार लेना चाहते हैं तो अधिकार जनता की रक्षा के लिये लें, ऐसे अधिकार लें कि जिससे लोगों को कुछ सुख और सुविधा मिल सके। देखने में तो अधिकार मंत्री जी को मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज इस अधिकार से उनके हाथ मजबूत किये जा रहे हैं, और इसके लिये यह कहा जा सकता है कि यह पागल के हाथ में लाठी देने जैसा होगा। इससे उन भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ और मजबूत किये जा रहे हैं जो जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिये माननीया, मैं जोरदार शब्दों में इस बात का विरोध करता हूं कि जब तक इस कानून पर पूरी तरह से, ब्योरे से विचार नहीं हो जाता है, जब तक इससे संबद्ध मूल प्रश्नों पर गहराई से छानबीन नहीं हो जाती, तब तक इस सदन को कदापि कोई अधिकार माननीय मंत्री जी को इस कानून के चलते नहीं देना चाहिये।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, यह जो बिल यहां पर प्रस्तुत है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—गला पड़ गया है क्या?

श्री मुरलीधर कुरील—जी हां, अभी मैं माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था और उसे सुन-सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह यह कह रहे थे कि एक जिले के सप्लाई अफसर ने ३, ३ लाख रुपया पैदा कर लिया। अगर ऐसी बात हो तो मैं समझता हूं कि....

श्री रामायण राय—आप भी तो कानपुर से आते हैं, वहीं जिले में निपट लीजियेगा।

श्री मुरलीधर कुरील—जी, बहुत अच्छा। तो मैं कह रहा था कि अगर वह बात सही हो तो ऊंचे से ऊंचा अधिकारी यह प्रयत्न करेगा कि बजाय ऊंचे पदों पर जाने के वह सप्लाई अफसर ही बने। इसके अलावा देखने की यह बात भी है कि अगर किसी के पास तीन लाख रुपया इकट्ठा हो जाय तो इन्कम टैक्स वाले या और जो दूसरी सरकारी छानबीन होती है, वे क्या सोते ही रहेंगे? मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है और ऐसा कहना बिलकुल गलत और भ्रामक है।

श्री रामायण राय—ऐसा कहिये कि कोई सप्लाई अफसर घूस नहीं लेता ।

श्री मुरलीधर कुरील—जब तक मेरे पास आंकड़े न हों उस समय तक मैं कोई ऐसी बात कहने के लिये तैयार नहीं हूं जिसको कि साबित न कर सकूं ।

दूसरी बात जो कोयले की कमी के संबंध में कही गई उसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि यह प्रान्तीय सरकार के बस की बात पूरी तरह पर नहीं है । इस संबंध में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट विचार कर रही है और जब तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस पर पूरे तौर से कोई कदम नहीं उठाती, कोई रास्ता नहीं निकालती, उस समय तक राज्य की सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं । माननीय सदस्य ने, पिछले दिनों देखा होगा समाचार पत्रों में, कि रेल के वैगन मिलने में कितनी कठिनाई हुई है, और इस संबंध में. . . . . .

श्री रामायण राय—ट्रक से क्यों नहीं मंगाते हैं, जैसे कि बिहार में आता है ?

श्री मुरलीधर कुरील—इस विषय में रेलवे बजट के समय रेल मंत्री ने बहुत सी बातें कही थीं और इस कोयले की समस्या पर भी उन्होंने प्रकाश डाला था । उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि अगले जून, जुलाई तक यह कोयले की समस्या हल हो जायगी । (व्यवधान) जो रेल मंत्री की बजट स्पीच है उसे आप देख लें । जो चीज सेन्ट्रल गवर्नमट के मातहत है, उसमें जब तक उनसे सुविधा न मिले, ट्रान्सपोर्ट का पूरा जब तक प्रबन्ध न हो, उस समय तक यह उत्तर प्रदेश की सरकार अकेले क्या कर सकती है ? हां, इस राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व अवश्य है कि जो कोयला केन्द्र से उसे मिले उसका वह उचित वितरण प्रान्त में करे, जहां जरूरत हो उस हिसाब से वहां कोयला दिया जाय । इस संबंध में जहां कोयले की आवश्यकता है, जो मुख्य-मुख्य कार्य हैं जिस के लिये कोयला मिलना चाहिये, सरकार उन के लिये काफी सचेत है । और सरकार के पास जो स्टाक इस समय है उस स्टाक को वह ऐसे कामों के लिये काम में ला रही है जो कि बहुत ही जरूरी हैं । जरूरी कामों के लिये उसने प्रबन्ध कर लिया है । उसको एक रेगुलर समय में सरकार देगी । तो उस तरह की परेशानी इस समय नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं ।

इसके साथ ही जलाने वाली लकड़ी के संबंध में भी सरकार ने एक आदेश निकाला है । आज कोयले की कमी के कारण लकड़ी का जो भाव ऊंचा हो गया है उसको कम करने का भी इन्तजाम कर रही है और उसको ठीक ढंग से बंटवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । तो सरकार हर एक तरफ जरूरी कदम उठा रही है और हर तरफ से सचेत है । जिस तरह की बात माननीय विरोधी सदस्य कहते हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । जहां माननीय सदस्य ने इस प्रकार की बातों को कहा वहां उन्हें कुछ सुझाव भी देने चाहिये थे कि जितने साधन हमारे पास हैं उनके होते हुये उसमें किस तरह कार्य करना चाहिये था । हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार से कह रही है कि इस ओर शीघ्र कदम उठाया जाय । तो इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा है अन्य सदस्य भी इसका समर्थन करेंगे ।

***श्री व्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि अब इस सरकार को इसकी अवधि बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है । यह मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं । कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के रहने वाले हैं, जो देवरिया जिले के रहने वाले हैं, वे इतना अनाज पैदा नहीं कर पाते कि साल भर अपना पेट भी भर सकें । वह क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर गन्ना अधिक बोया जाता है । उससे जो पैसा उन लोगों को मिलता है उससे अनाज खरीदते हैं और अपनी गुजर बसर करते हैं । अंग्रेजी जमाने में भी उन लोगों को खाने के लिये चावल चम्पारन से मंगाना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री व्रजनारायण तिवारी]

पड़ता था । वहां से चावल आता था और कोई रोक न थी । लेकिन आज इस सरकार ने जो अपने पंजे बिछा रखे हैं उसके कारण उन्हें बड़ी परेशानी होती है । आज जो लोग नैपाल से धान लाते हैं उनकी गाड़ियों को आपके अधिकारी पकड़ लेते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनसे कहते हैं कि रसीद दिखाओ, और उनको जेलों में बन्द कर देते हैं ।

अधिष्ठात्री महोदया, देवरिया जिलों के लोगों के लिये यह रियायत मिली हुई है कि वे लोग वहां से धान ला सकते हैं । लेकिन इस सरकार ने जो वहां पर चेक पोस्ट बना रखे हैं, और जो वहां पर कर्मचारी हैं, वे उन लोगों की गाड़ियों को पकड़ लेते हैं, उनसे पैसा वसूल करते और तरह-तरह से परेशान करते हैं । एक किसान के परिवार में जहां १०, १५, २० आदमी हैं और जो केवल गन्ने की खेती पर ही निर्भर रहते हैं, व अगर एक गाड़ी या दो गाड़ी, धान खरीद कर लाते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसके लिये वहां पर कोई चेक पोस्ट बनाने की सरकार को क्या जरूरत है । अगर आपने देवरिया जिले के लोगों को वहां से धान लाने की छूट दे रखी है तो आप उनके लिये एक रास्ता नियत कर दीजिये जिस रास्ते से वे लोग उसको ला सकें । मैं नहीं चाहता कि आपके नियमों की अवहेलना हो । वह ऐसा इलाका है जो कि छोटी गन्डक और बड़ी गन्डक के बीच में पड़ता है । जिस रास्ते से बड़ी गन्डक से नहर निकलने वाली है, बनने वाली है, वही प्रमुख रास्ता है जो देवरिया से बराबर नैपाल आने जाने का है और उसी से धान लाते हैं । हमने उस चेक पोस्ट के संबंध में एक पत्र भी लिखा, पता नहीं कि उस पर विचार किया या नहीं । देवरिया जिले के लिये जो रास्ता मिला हुआ है, उस पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है वह इतना कम्प्लीकेटेड है कि साधारण किसान जो बे-पढ़ा लिखा है वह समझ नहीं पाता है और परेशानी में पड़ता है । मेरी निश्चित राय है कि जो रास्ता दिया है वह साफ है और गाड़ीवान धान लाता है तो उसको सबूत की जरूरत नहीं है, अगर वह देवरिया या गोरखपुर का निवासी है कि वह लट्ठे से धान लेकर आ रहा है, उसने टैक्स अदा किया है । यह काफी सबूत है अगर उसके पास रसीद मौजूद है । लेकिन उस चेक पोस्ट पर रसीद रख लेते हैं और परेशान करते हैं ।

श्री धर्मसिंह--धान वगैरह से कोई मतलब नहीं है इसका ।

श्री व्रजनारायण तिवारी--वह भी इसी से मतलब है, क्योंकि सप्लाई से संबंधित है । उसी प्रकार से एक दूसरा कारीडार एरिया है, इधर से उधर आने जाने में, लकड़ी, कोयला, अन्न वगैरह सारा सामान सप्लाई करते हैं और उस पर नियंत्रण है, उसी से यह संबंधित है ।

आज कोयले की समस्या बड़ी गम्भीर है । मैं इस सदन के सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि जिस समय जून का महीना बीता जायगा तो कोयला जरूर आयेगा । लेकिन न तो जवाहरलाल जी नेहरू, न उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री कहेगा. . . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय सदन में केवल १२ मेम्बर हैं । इतनी कम संख्या इस सदन में कभी नहीं रही, यह एक खेदजनक चीज है । कोरम से दो चार लोग कम होते रहे, लेकिन ४३१ में केवल १२ हैं और वह भी आपकी उपस्थिति में । सरकारी सदस्यों में ४-६ बैठे हैं । कृपया आप कोरम का प्रयास करें ।

श्री अधिष्ठाता--अब वह दो बजे के बाद होगा, आप बैठें ।

श्री व्रजनारायण तिवारी--अधिष्ठात्री महोदया, कोयले की बात है । मेरा निश्चित विश्वास है कि जून के बाद कोयला जरूर मिल जायगा, इसलिये कि वह साल भर पानी में भीगता रहे और दूसरे साल इस्तेमाल हो, यही नीति है । एक तरफ सरकार कहती है कि यातायात की कमी के कारण नहीं दे पाते हैं, केन्द्र के मिनिस्टर ऐसा कहते हैं, लेकिन कारण दूसरा ही है । पारसाल सदन में चर्चा उठी थी कि जो कोयला आने वाला था वह बिहार सरकार ने रोक लिया । बिहार में कोयला है, हम नजदीक के रहने वाले हैं । अगर हमारे यहां के लोग चाहते हैं

कि कोयला मिले तो ब्लैक में मिलता है, यहां आ नहीं पाता । क्यों नहीं आ पाता है ? सरकार की नीति यह है कि आम लोग जो यह चाहे कि कम दाम में ईंट बना कर मकान बना सकें वह मजबूर होकर अधिक दाम देकर व्यवसाइयों के जरिये से ईंट खरीदें ताकि सरकार को टैक्स भी मिल जाय और उनको अधिक दाम भी देने पड़ें । यह सरकार की पालिसी है । यह बात नहीं है कि सरकार इंतजाम करने में कमजोर है । सरकार इन्तजाम नहीं करना चाहती, इसलिये हमें आपत्ति है । जिस राज्य में कोयला न मिले उस राज्य में कोई सोने का क्या स्वप्न देखेगा ?

ईंट की बात ले लीजिये । एक नया आदेश निकला एक जिले से कि हम को एक प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर ही ऐप्लीकेशन देनी होगी और उसके १५ दिन के बाद हमारे दफ्तर में आइये यह मालूम करने के लिये कि ईंट है या नहीं । मैं जानना हूं कि जिनको जरूरत है १० हजार की उनको १०० मिलती है और ऐसे मुकाम से मिलती है कि वह ले नहीं सकते । नजदीक में भट्ठा होते हुये भी १०–२०–३० कोस दूर स दी जाती है । कह दिया जाता है कि ईंटा तो सिंचाई विभाग में चला गया या विकास के कामों में चला गया । कहने का मतलब यह है कि देहात के लोगों की हिम्मत टूटती जाती है । उनको अपना घर, बैठका बनाने के लिये या दूसरे कामों के लिये ईंटा मिलना मुश्किल है । विकास की ओर से भी जो स्वीकृति होती है, जैसे कहीं पुलिया या पंचायतघर का बनाना, उसके लिये भी ईंटा नहीं मिल रहा है ।

लकड़ी की भी कमी होती जा रही है । लकड़ी से ईंटा पकाने में कीमत भी अधिक आती है और वह ईंटा अच्छा भी नहीं होता ।

आज से एक महीना पहले सीमेन्ट कन्ट्रोल रेट पर मिल जाता था लेकिन आज फिर वह बाजार से गायब है । मेरा निवेदन यह है कि जिन चीजों पर सरकार का ही नियंत्रण है जैसे लोहा, ईंटा, सीमेन्ट या अन्य चीजें, उनको जो भी चाहे लाइसेन्स लेकर खरीद कर बेचे तो फिर यह दिक्कत न रहे लेकिन सरकार तो खास इने-गिने आदमियों को ही लाइसेन्स देकर इन चीजों को बंटवाती है जिससे उन चीजों की एक बनावटी कमी पैदा हो जाती है । ऐसी बात नहीं है कि उन चीजों की कमी हो । अगर वास्तव में किसी चीज की कमी होगी तो सभी लोग उसको महसूस करेंगे लेकिन जहां सरकार अपने इन्तजाम में फेल होती है वहां कहना पड़ता है कि सरकार काम करने में दक्ष नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सरकार को और अधिक पावर न ीं लेनी चाहिये । इससे जनता को कोई सुविधा नहीं होती है । इस कारण प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, माननीय मंत्री जी, जो कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पासर्स) (संशोधन) विधेयक लाये हैं, उसका समर्थन करने और मोतीलाल जी ने उस पर जो संशोधन किया है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मोतीलाल जी की बातों को मैंने बड़े ध्यान से सुना । जब उन्होंने कहा कि कानपुर में सप्लाई आफिसर जो आता है वह तीन तीन लाख रुपया ले जाता है और वहां पर भ्रष्टाचार का बाजार गरम है और उन्होंने यहां पर जिस तरह से कन्ट्रोल और सप्लाई वाले मामले को चित्रित किया उससे ऐसा मालूम हुआ कि वह कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस कमेटियों के खिलाफ प्रोपेगैन्डा कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ तबर्रा पढ़ रहे हैं । अच्छा होता कि इस हाउस में तबर्रा न पढ़ते क्योंकि इसको पढ़ने के लिये बाहर काफी जगह है ।

उन्होंने कहा कि कोयले के लिये कितने दरवाजे झांकने पड़ते हैं, दो हजाररुपये से दुकान मिल जाती है । मेरी समझ में नहीं आता कि क्या वह उसी कानपुर में रहते हैं जहां पर पिछले कितने ही वर्षों से दुकानें खुली हैं ? कोई नई दुकान तो खुली हुई दिखलाई नहीं देती । पिछले वर्षों में जो तीन चार दुकानें खुली हैं वह डिजर्विंग लोगों को ही दी गई हैं । आप बतावें कि कौन अनडिजर्विंग है जिसने रिश्वत देकर दुकान ली हो ।

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

जहां तक भट्ठों का सम्बन्ध है, ईंटें भी कंट्रोल से मिलती हैं और जिन भट्ठों में कन्ट्रोल का कोयला ट्रकों से पहुंचता है वहां महंगे बिकते हैं क्योंकि रेलों से हमारे प्रदेश में उतना कोयला नहीं आ पाता जितने की आवश्यकता है । दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में कोयले की खानें भी नहीं हैं । और खानों से जो कोयला आता है, मेरी इत्तला है वह मुगलसराय से आगे अधिक नहीं बढ़ पाता क्योंकि वैगन्स की कमी हो जाती है । गन्ना ढोने के लिये इन दिनों वैगन्स की बहुत आवश्यकता होती जाती है,इसलिये जब जून में गन्ने का सीजन समाप्त हो जाता है कोयले के लिये वैगनों की पूर्ति हो पाती है । तो जब चीज की कमी है और साधनों की कमी है इसलिये जरूरतमन्द लोगों के पास मुनासिब दाम पर उसको पहुंचाने के लिये गवर्नमेंट अपने हाथ में कन्ट्रोल लेती है तो इसमें एतराज की क्या बात हो सकती है ?

श्री मोतीलाल जी ने यह भी कहा कि कानपुर के एक एक सप्लाई आफिसर ने ३–३ लाख रुपया पैदा किया है । कानपुर में वे भी रहते हैं और हम भी रहते हैं लेकिन उन्होंने आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि फलां सप्लाई आफिसर दो लाख पैदा कर चुका है, तीसरा लाख अब पैदा करने जा रहा है । केवल इस सदन में बैठकर किसी ऐसे आदमी के खिलाफ ऐसी बात कह देना जो यहां उसका जवाब नहीं दे सकता है, उचित नहीं है ।

श्री व्रजनारायण तिवारी जी ने कहा कि जून में कोयला आना आरम्भ होगा जब कि वह पानी में भीग जायगा । एक तो पत्थर के कोयले पर पानी का कोई असर होता नहीं है और अगर असर भी हो तो कोई माने नहीं रखता । आज अगर कन्ट्रोल को हटा दिया जाय तो यकीन मानिये कानपुर में लोगों को जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिलेगी और बहुत से घर ऐसे होंगे जिसमें चूल्हा भी न जल पायगा । कारण यह है कि हमारे यहां कोयला ना काफी मात्रा में आता है और उसको इस तरह से कि सब लोगों का काम चल जाय, हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं । बहुत से ऐसे मिल वाले भी हैं जो यह चाहते हैं कि मिलों में कोयले की कमी न पड़ने पाये । इसलिये जो घरेलू कामों के लिये कोयला आता है वह भी मिलों में चला जायगा, अगर उस से कन्ट्रोल हटा लिया जाय । इसलिये जब तक कोयले की कमी है उस समय तक कन्ट्रोल का रहना लाजिमी है । जब से कन्ट्रोल लगाया गया है केवल एक प्रकार की शिकायत हमारे सामने आती है कि भ्रष्टाचार है लेकिन उसका कोई उपाय नहीं बताया जाता कि उसको किस प्रकार से रोका जाय । जहां तक हम लोगों से प्रयत्न हो सकता है, हम प्रयत्न करते हैं । जो लोग ईंटा बेचने में ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनको हमने कभी भी इस बात के लिये प्रोत्साहित नहीं किया कि इनको बी० क्लास से ए० क्लास का कर दिया जाय । अतः भ्रष्टाचार को दूर करने के जो प्रयत्न गवर्नमेन्ट कर रही है उनमें सहायता करनी चाहिये । क्योंकि मौजूदा हालत में कन्ट्रोल लाजिमी मालूम पड़ता है । इसलिये इस संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—माननीया, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे इस संशोधन का जवाब देने के लिये सरकारी पक्ष के केवल कानपुर के ही लोग खड़े हुये और जिलों के लोगों या तो मेरी बात को मंजूर कर लिया था और उन्होंने मेरी बात को काटना मुनासिब नहीं समझा। अगर माननीय मेहरोत्रा जी अपने दिल पर हाथ रख कर कहते तो जो बातें उन्होंने कहीं, वे न कह पाते । केवल उनका फर्ज था इसलिये उन्होंने कुछ कह दिया । कानपुर में जो कोयले की कमी रही है उसका नजारा तो मेहरोत्रा जी ने भी देखा होगा । यह भी देखा होगा कि किस प्रकार से वहां जिलाधीश को शान्ति व्यवस्था कायम रखना मुश्किल हो गया । तब वे रोना रोने के लिये दिल्ली गये और मुख्य मंत्री जी भी गये । फिर यह कहा गया कि 'केसा' में जो कोयला पड़ा है उसको दे दिया जाय । इस प्रकार से बहुत से काम करने पड़े । उसके बाद इस ईंधन नियंत्रण आदेश के द्वारा, जो २४ फरवरी को लाया गया है, हमें यह बताया जा रहा है कि सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जगह-जगह पर डिपो कायम करेगी जिनमें ईंधन जमा रहा करेगा और समय-समय पर हमें वहां से मिला करेगा । यह जो नई सूझ सरकार को दिखलाई दी वह उनकी उस पूर्व गलती के प्रायश्चित स्वरूप है । कोयले की कमी होना, ईंट की कमी होना और फिर भी सरकार का यह कहना कि नहीं साहब हम संचालन सही कर रहे हैं, यह दोहरी बातें हैं । जो थोड़ी-सी बातें मैंने कहीं, मैं फिर अपने मेहरोत्रा जी, कुरील जी और मंत्री जी से दोहरा कर कहना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा—उस जगह पर मैं कायम हूं और यह भी मैंने कहा था कि अगर वे मेरे कथन की सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो किसी भी खुली अदालत में इसकी जांच कर लें । इसलिये मैं उस बात से मुकरता नहीं हूं ।

मैं यह भी कह दूं कि जो जो जिले में जिला सप्लाई आफिसर्स की सलाहकारिणी समितियां हैं, उनको वे थोड़ा सा सचेत कर दें कि वे यह मनमानी न रखें कि तीन महीने में एक दिन बैठक बुला ली और वह भी चुपचाप बुला ली जिसे सिर्फ मेहरोत्रा जी, कुरील जी जान पाये और वहां कुछ फैसला हो गया । ये सलाहकारिणी समितियां कागज पर ही न रह कर वास्तविक रूप में कायम करें । जब हम उस कमेटी में बैठते हैं तो मुझे वहां का कटु अनुभव है कि किस तरह से वहां के जिलाधीश ने कहा कि यहां भी हम बहुमत से ही काम लेंगे । अब आप ही बतलावें कि वहां बहुमत तो मेहरोत्रा जी और कुरील जी का रहेगा ही, तो फिर मुझ सरीखे अल्पमत वालों का जाना बेकार नहीं होगा ? अधिष्ठात्री महोदया, आप तो अल्पमत वालों की संरक्षिका हैं और अल्पमत वालों की तरफ से आये हुये प्रस्तावों पर आप ज्यादा से ज्यादा समय देती हैं, तो आपके द्वारा वहां भी अल्पमत वालों के संरक्षण का कोई उपाय होना चाहिये ।

मैं पुनः अपने प्रस्ताव को प्रेस करते हुए सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि जिस रूप में मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय और वहां जाकर इसकी परिधि बढ़ाने के ऊपर भी विचार किया जाय और यह देखा जाय कि ईंट और कोयले के संबंध में पिछले १३, १४ साल से नियंत्रण की जो पावर हमने सरकार को दे रखी है उसके अनुसार उसने कहां तक काम किया है और आज फिर क्यों कहा जाता है कि तीन साल के लिये और अवधि बढ़ा दें । इस अवधि के बढ़ाने की बात जब मैं सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ।

(इस समय १ बजकर ५२ मिनट पर, उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए ।)

मालूम ऐसा होता है कि सरकार अपने उस तरीके को बदलना नहीं चाहती है जो उसने अभी तक अपना रखा है । मैं फिर इस प्रस्ताव को रखते हुए आशा करता हूं कि द्वितीय वाचन के मौके पर भी मुझे बोलने का मौका मिलेगा । क्योंकि अभी काफी समय बाकी है ।

श्री धर्मसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव जो श्री मोतीलाल अवस्थी ने सदन के सम्मुख रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं । उनका कहना है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे । लेकिन उन्होंने इस बात की आवश्यकता नहीं समझायी कि इसको क्यों १५ दिन के लिये भेज दिया जाय । क्या १५ दिन के बाद कोई खास बात या कोई मामला सदन के सामने आयेगा ? इसको पेश करते समय वैसे हालांकि इधर के बैठने वालों ने उन सभी बातों का उत्तर दे दिया है, कोई खास बात उन्होंने नहीं कही कि इसको पारित नहीं होना चाहिये । उन्होंने कहा कि यह कानून सन् १९४७ में लागू हुआ और अब तक चला आ रहा है । तो मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, एक तरफ तो यह कहा जाता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, ३ साल के लिये अवधि क्यों बढ़े और दूसरी ओर यह कहा जाता है कि ईंटों की कमी है, दाम बढ़ रहे हैं और लकड़ी पर क्यों कंट्रोल लगा दिया ? इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं । जहां तक सरकार का संबंध है वह बिना किसी कारण के ही इसकी ३ साल की अवधि बढ़ाना नहीं चाहती है । आज हम तृतीय पंचवर्षीय

[श्री धर्मसिंह]

योजना के बारे में सोच रहे हैं और दूसरी योजना हमारी चल रही है, हर तरह की सप्लाई की हमें जरूरत है । जैसे कोयला ही आता है, अगर उस पर किसी तरह का नियंत्रण न हो तो जिन चीजों के लिये उसकी आवश्यकता है क्या वह चीजें आसानी से मिल सकेंगी ?

यह भी कहा गया कि जिलाधीशों को जो अधिकार दिये जा रहे हैं उनसे कोई लाभ न होगा और उन्हें इस तरह के अधिकार नहीं देना चाहिये । एक तरफ तो कोयला की भी कमी है और नियंत्रण इसीलिये लगाया जा रहा है कि यदि किसी के पास कोई स्टाक हो वह कहां से माल आता है, कितनी ईंटें किसके पास है वह ज्यादा दाम तो चार्ज नहीं करता जिससे लोगों को कठिनाई हो, इन सब बातों को नियंत्रण करने के लिये ही यह किया जा रहा है, इसमें कौन सा गुनाह सरकार कर रही है ।

मान्यवर, एक बात कही गई, हालांकि उसका उत्तर श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा ने दे दिया--कि एक एक सप्लाई अफसर ३-४ लाख रुपया पैदा कर लेता है, उन्होंने खासतौर से कानपुर की बात कही । मैं नहीं समझ सका कि इस तह की मिसाल देने का उनका क्या मतलब था । यदि वह लिख देंगे और आंकड़े देंगे तो जहां तक इस सरकार का संबंध है वह कार्यवाही उनके खिलाफ करेगी लेकिन उन्होंने तो जितने भी सप्लाई आफिसर आये सबके लिये ही कह डाला, यह प्रदेश के सभी सप्लाई अफसरों के बारे में कहा कि सभी भ्रष्टाचारी हैं, सभी रिश्वत लेते हैं, इस तरीके से ऐसी बात कही । हां, अगर वह किसी का नाम लेते कि इस समय से इस समय तक फलां सप्लाई आफिसर रहे और उन्होंने इतना रुपया लिया, आज बहुत आसानी से आक्षेप लगाये जा सकते हैं और जब वह लगाये जा सकते हैं तो जहां तक इस सरकार का संबंध है मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संविधान मे जो सेफगार्ड्स हैं उनके अनुसार ऐसी चीज मालूम होने पर किसी के भी खिलाफ जांच कराई जा सकती है और जांच के बाद साबित होने पर पूरे तरीके से दंड दिया जा सकता है ।

दूसरे उन्होंने कांग्रेस के चन्दे आदि की बात कही । जहां तक इस सदन का संबंध है और यहां के सदस्यों का संबंध है, माननीय अवस्थी जी खास तौर से कानपुर से आते हैं, अगर उनको मालूम था कि किसी ने २,००० रुपया लेकर दूकान दी है तो वह उस वक्त भी सदन के सदस्य थे तो क्या उन्होंने उस दिन से आज तक शिकायत के रूप में कोई लिखित चीज दी ? उन्होंने चन्दे का कांग्रेस पर और इधर के लोगों पर आरोप लगाया कि जितने भी इधर बैठे हैं सबका पेशा है और वह जिसको चाहे सप्लाई और कंट्रोल की चीजें देते हैं और चन्दा लेते हैं, यह एलेक्शन की बात या एलेक्शन मेनीफेस्टो की बात करना है । जहां तक इस सदन का संबंध है वह थोड़ा सा शोभा नहीं देता । बात हमको वह कहनी चाहिए जिसमें कुछ संतुलन हो । जिस चीज से बदबू आती हो, जिससे कोई लाभ न हो, उस चीज को कहने से कोई फायदा नहीं है । सारे देश, प्रदेश और कांग्रेस पर और इधर के बैठने वालों पर यह आरोप लगा देना कि सभी इस तरीके की बातें करते हैं, ठीक नहीं है ।

एक बात कही गई कि यह जो कानून लागू हो रहा है इससे हाहाकार हो जायगा । कानपुर में आज कोयले की कमी है इसमें कोई दो राय नहीं है .....।

श्री व्रजनारायण तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, अब कोरम की आवश्यकता तो हो गई । सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री धर्मसिंह--मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जैसा कि अवस्थी जी कहते हैं, लकड़ी पर कंट्रोल करने के लिये आर्डर्स इत्यादि दे दिये हैं । मेहरोत्रा साहब ने कहा था कि यदि ऐसा न किया जाता सरकार की तरफ से, तो

आज लकड़ी का जो भाव है उसका दुगना, तिगुना, चौगुना छः गुना और आठगुना तक भाव होता और लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता ।

भ्रष्टाचार की बात कही गई । मैं लखनऊ की मिसाल जानता हूं । अगर यहां पर उस तरीके का नियम न निकलता---एक अभी नियम निकला क्योंकि जो कावाल टाउंस हैं उनमें कोयले की कमी है और उतना कोयला आने की उम्मीद नहीं है जितना कि आना चाहिए--- तो अगर उस तरह का नियम न निकलता तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता । तो भ्रष्टाचार का कहना बहुत आसान है । भ्रष्टाचार की दुहाई देकर दूसरे लोगों पर आक्षेप करना बहुत आसान है । यह तो हमारे समाज का दोष है । जब आपका लड़का या आपकी बिरादरी का आदमी सप्लाई आफिसर बनता है तो भ्रष्टाचारी लोग उसको रिश्वत देने के लिये चले जाते हैं । तो वह एक दूषित वातावरण समाज में है । हम इधर के बैठने वाले उसके लिये प्रयत्न करें और उधर के बैठने वाले न करें तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता । मैं समझता हूं कि मैंने तमाम बातों का उत्तर दे दिया है और कोई नई बात नहीं है । इसकी बहुत आवश्यकता है । इससे प्रदेश का भला होगा । इसकी आवश्यकता को देखते हुए मैं अवस्थी जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रवर समिति में भेजने के अपने प्रस्ताव को वह वापस लेने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जिसे अपनी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन सदन में १५ दिनों के अन्दर प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २ तथा ३

२---उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ की धारा २ में संख्या "१९६१" के स्थान पर संख्या "१९६४" रख दी जाय ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५३ की धारा २ का संशोधन

३---उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो उक्त अध्यादेश उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त तथा पुनरधिनियमित कोई अधिनियमितित हो ।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या १, १९६१ का निरसन यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

श्री उपाध्यक्ष---(श्री मोतीलाल अवस्थी के खड़े होने पर) चूंकि अब समय नहीं है इसलिये मैं इसे पेश किये देता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड २ की दूसरी पंक्ति में अंक "१९६४" के स्थान पर अंक "१९६२" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५३

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने के लिये

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५३
उ०प्र० अध्यादेश संख्या १, १९६१

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३, को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये गवर्नर द्वारा २५ जनवरी, १९६१ को उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ प्रख्यापित किया गया था।

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश, जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन, विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रह जायेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मसिंह—मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक १९६१ [The Uttar Pradesh Control of Supplies (Temporary Powers) (Sanshodhan) Bill, 1961.] पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Control of Supplies (Temporary Powers) (Sanshodhan) Bill, 1961.] पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१†

***सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Bill, 1961] पर विचार किया जाय।

इस विधेयक के लाने की जरूरत सदन को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रू से जो गन्ना ऐक्ट, १९५६ था वह अल्ट्रावायरेस हो गया और उसकी वजह से न सिर्फ यह कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२८ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही में छापा गया।

हमारी जो सेस से आमदनी थी वह खत्म होती थी बल्कि यह भी था कि जो कुछ वसूल कर चुके थे उसको भी वापस करना पड़ता जो कि करोड़ों की रकम हो जाती । इसलिये यह हुआ कि उस फसल के बाद सदन बैठा हुआ नहीं था तो पहले केन्द्रीय सरकार ने एक आर्डिनेंस जारी करके ३ फरवरी तक जो वसूल हुआ था उसको उन्होंने जायज करार दिया और उसके बाद स्टेट सरकार ने एक आर्डिनेंस जारी किया जिसकी रू से उसके बाद की वसूली कानूनी तरीके पर जायज हो जाय । अध्यादेश सदन के सामने आ चुका है उस सिलसिले में काफी बहस हो चुकी है और इस वक्त उस सिलसिले में और कुछ बहुत कहने की जरूरत नहीं है । सिर्फ यह बतलाना चाहता हूं कि ६ हफ्ते २२ मार्च को खत्म हो जायंगे । इसलिये यह जरूरी है कि इस विधेयक को आपके सामने रखूं और आपसे दरख्वास्त करूं कि इसे आप पास कर दें । इसमें कोई तब्दीली नहीं है । अध्यादेश इससे पहले आप स्वीकार ही कर चुके हैं । उसके अलावा कोई चीज इस विधेयक में नहीं है । लिहाजा बहुत लम्बी-चौड़ी बात करने की मुझे इस सिलसिले में जरूरत नहीं है । मुझे उम्मीद है, सदन इसकी इजाजत देगा कि इस पर विचार किया जाय ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन निश्चय करता है कि उपर्युक्त विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी परिधि को भी बढ़ा सकेगी और जो अपना प्रतिवेदन आगामी १५ दिनों में प्रस्तुत कर देवे ।"

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) विधेयक, १९६१ जिसके बारे में अभी माननीय मंत्री ने बतलाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वह अवैध हो चुका था और उसे फिर सरकार ने दूसरे रूप में लाने की कोशिश की है । मैं आपकी आज्ञा से इसके उद्देश्य और कारण को पढ़ना चाहता हूं "चूंकि संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि ५२ के अधीन शक्कर की फैक्टरियों इत्यादि के गृह उद्योग में लाये गये गन्ने पर उपकर लगाने की राज्य विधान मंडल की क्षमता के बारे में सन्देह व्यक्त किया गया है, इसलिये राज्य सूची की प्रविष्टि ५४ के अधीन शक्कर की फैक्टरियों तथा गुड़, राब तथा खंडसारी शक्कर बनाने वाली कतिपय इकाइयों द्वारा गन्ने के क्रय पर कर लगाना आवश्यक समझा गया था ।" अब मैं प्रविष्टि ५२ और ५४ का फर्क पढ़ देना चाहता हूं । जिस राज्य सूची की प्रविष्टि ५२ के अन्तर्गत यह कर अवैधानिक बतलाया गया वह इस प्रकार है "किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर" । ५४ में यह है "समाचार-पत्रों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर ।" अब थोड़ा यह समझने की चीज है कि उपभोग, प्रयोग या विक्रय के विये वस्तुओं पर कर लग रहा था उसको अवैधानिक कर दिया तो अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर का सहारा लेकर यह सरकार कानून बना रही है । तो जिन आधारों पर हमारे उच्चतम न्यायालय ने इसे अवैधानिक करार दिया उसे इस रूप में लाने से मैं कोई विशेष अन्तर नहीं देखता । लेकिन सरकार एक विशेष विश्वास लेकर इस पुराने काले कानून को हमारे ऊपर लादने जा रही है । यह कानून एक प्रकार से सरकार के लिये कुछ आमदनी बढ़ाने का जरिया बन चुका है और अभी सरकार ने बतलाया कि करोड़ों रुपये की आमदनी इसके अवैधानिक हो जाने पर मारी जाएगी । अब हमें यह जांच करना है कि यह जो करोड़ों रुपये लेने जा रही है यह उचित तरीके, उचित स्थान और उचित पात्रों से लिया जा रहा है अथवा नहीं । यह भी हमें जानने का अधिकार है कि जो रुपया वह लेगी उसका व्यय भी उचित रूप में होगा अथवा नहीं ।

सरकार ने अवैधानिकता से बचने के लिये जो दूसरा उपाय निकाला है वह भी सन्देहास्पद है, इसलिये इसके औचित्य को परखने के लिये हमें इसे कसौटी पर कसना होगा । गन्ने के कर के बारे में हम इस सदन में कई दफा विवाद कर चुके हैं । हम लोगों का विशेषतौर से यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

एक आधार रहा है कि जो गन्ने की बड़ी बड़ी फैक्टरियां हैं उनके द्वारा यदि गन्ने पर कर लिया जाय तो उसका उन्हीं स्थानीय स्थानों में वहां के कल्याण के लिये व्यय भी हो और जो गृह उद्योग हैं, जो गुड़, खांडसारी और राब बनाने के साधन हैं, जो नितान्त छोटे-छोटे किसानों के हाथ की बात है, उस पर कर का यह बोझ न लदे । इस विश्वास के आधार पर चलने वालों ने यह देखा कि सरकार ने उस काले कानून को फिर एक वृहत् रूप में बना कर हमारे सामने ला कर रख दिया है जिसमें सभी पुराने दांत तो मौजूद हैं ही कुछ और नये दांत भी जोड़ दिये गये हैं । एक तरफ तो जैसा कि उद्देश्य और कारण में सरकार ने बताया है गन्ने के क्रय पर कर लगायेंगे और दूसरी ओर कर लगाने के अतिरिक्त कतिपय इकाइयों द्वारा गुड़ और राब बनाने के कार्य को भी विनियमित करना सरकार का ध्येय है । गन्ने के क्रय पर कर लगेगा और गुड़ और राब बनाने के कार्य में भी कुछ कर लगेगा । यह दोहरी नीति एक प्रकार से गृह उद्योगों पर कुठाराघात करने वाली है । आज सरकार यह मानने के लिये तैयार नहीं है कि छोटी-छोटी इकाइयों पर सरकार के ये पैने दांत चलेंगे तो ये कुचल जायंगे । आज सरकार इन करों की वसूलियाबी में अपने सारे हथियारों को अपना लेगी लेकिन उनके व्यय करने में उसके पास हमारी कोई पहुंच नहीं है ।

श्रीमन्, इसमें जो १६ धारायें हमारे सामने उपस्थित हैं इनको हम दो, तीन भागों में बांटते हैं । एक तो गन्ने के क्रय पर कुछ धारायें आधारित हैं जिनमें यह कहा गया है कि वर्तमान २५ नये पैसे के हिसाब से कर लगेगा फैक्टरियों के द्वारा लिये जाने पर और इकाइयों द्वारा लिये जाने पर ६ नये पैसे प्रति मन के हिसाब से लगेगा, यद्यपि यह ६ नये पैसे भी सरकार ने अध्यादेश में जो ४ नये पैसे की बात सोची थी उसमें बढ़ोत्तरी दूसरे क्षण में कर दी और इसके अलावा और बहुत सी बातों में भी कर का शिकन्जा और बढ़ा दिया है जिसके कारण यह सरकार दिन पर दिन अपने करके पंजे को फैलाती हुई सी दिखायी पड़ती है । हम कभी कभी इस बात से सशंकित होते हैं कि सरकार कर लेने के लिये, जैसा कि इस नियम में है, पूरी तरह से तैयार बैठी है । खन्ड ३ में लिखा हुआ है कि अगर भुगतान करने में देरी हो जाय तो ६ प्रतिशत के हिसाब से व्याज भी लगेगा और अगर बकाया कर या ब्याज रह जाय तो उसी धनराशि से १० फीसदी अधिक रुपया वसूल किया जायगा । या यों कहें कि इस सब की वसूलयाबी में अगर कोई चीज बाकी रह जाय तो ५ हजार रुपये तक जुरमाना किया जा सकता है । यह खण्ड १० में दिया हुआ है । यानी सरकार हर प्रकार से वसूल करने के लिये उन्मत्त है । लेकिन इसी सदन में पिछले दिनों जब यह पूछा गया कि मिल मालिकों पर जो करोड़ों रुपये सेस के बकाया हैं और जो कानपुर में मिल मालिकों पर बिक्री-कर का २९ लाख रुपया बकाया है उसकी वसूलयाबी क्यों नहीं जा रही है तो वही कहानी बतायी गयी । इसके खण्ड ८ में कहा गया है कि बकाया धनराशि मालगुजारी के रूप में वसूल की जा सकेगी, नियत अधिकारियों को सारे अधिकार दे रखे हैं लेकिन जब कभी मिल मालिकों पर बकाया की वसूलयाबी की बात आती है तो वे हर साल आनाकानी करते हैं और सर्टिफिकेट इश्यू करने की बात कबूल नहीं करते हैं जिसके द्वारा बकाया वाजिबुलअदा हो जाता है ।

अब खन्ड ४ में गुड़ या राब बनाने के लिये लाइसेन्स देने की बात हमारे सामने है और यह कहा गया है कि उनके साथ भी उसी प्रकार लाइसेन्स देने की प्रक्रिया होगी जैसी कि अन्य फैक्टरियों के साथ होती है। परिपत्र देने में शुल्क देना पड़ेगा, प्रार्थना-पत्र देने पर भी शुल्क देना पड़ेगा और १९५६ से जो नियम लागू रहे हैं वह यथास्थान लागू मान लिये जायंगे । मैं जानना चाहूंगा कि इसी सदन में हम लोगों ने एक संशोधन प्रस्तुत किया और पास किया था तो सरकार ने उसको क्यों नहीं माना ? और इसी को घुमा फिरा कर और इसी चीज को सरकार दूसरे कानून के रूप में क्यों लाना चाहती है ? ऐसा क्यों ? हमारे इस विधेयक में जो अन्य बातें रखी गई हैं जिनकी पूर्ति के लिये सरकार उचित समझती है, जैसे अपील करने की व्यवस्था आदि के बारे में मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सरकार जब चाहेगी अपने अधिकारों

के द्वारा हम पर ऐसी बातें लादती जायगी। जिनकी रोक हम नहीं कर सकते हैं और केवल वही लोग कर सकते हैं जो धनिक वर्ग के हैं या मुकदमेबाजी के आदी हो गये हैं।

लाइसेंस के नवीकरण की बात नियत शुल्क पर तथा नियत स्थान पर दिये जाने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि इन लाइसेंसों को रद्द करने का अधिकार सरकार के पास है और शक्कर आयुक्त के अधिकार बहुत ज्यादा हैं, उनको हम किसी भी तरह से सीमित नहीं कर सकते हैं। खण्ड १४ में कहा है कि—

"१४—(१) राज्य सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना इस उद्देश्य से आवश्यक है कि—

(क) फैक्टरियों को गन्ने के संभरण, अथवा उनके द्वारा गन्ने के क्रय को, प्रोत्साहित या विनयमित किया जाय, अथवा

(ख) नयी फैक्टरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय, अथवा

(ग) १९५७–५८ की पेराई के मौसम के पश्चात् स्थापित ऐसी फैक्टरियों को, जो ऐसा गन्ना क्रय करती हों जिससे शक्कर कम मात्रा में प्राप्त होती हों, सहायता दी जाय।

गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी कर निर्धारण वर्ष में, इस अधिनियम के अधीन खन्ड (क) या खन्ड (ख) या खन्ड (ग) के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ऐसी फैक्टरी द्वारा देय कर में पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।"

इसमें छूट देने वाली बात इसी तरह से है जिससे सरकार का अंदरूनी स्वार्थ के लिये सहायता देनी है तो छूट दे सकती है या कटौती कर सकती है।

सारे विधेयक को बड़े गौर से देखने के बाद में मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि जो समय समय पर बातें इस सदन में कही गई हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया है और सरकार ने वही अपने पुराने तरीके से हथियार को इस्तेमाल किया है। चाहे फैक्टरी द्वारा गन्ना लाया गया हो या छोटे छोटे उद्योगों द्वारा गुड़ या राब बनाई गई हो, सब के साथ एक सरीखी दन्ड व्यवस्था या शुल्क व्यवस्था आदि के नियम बनाये गये हैं जिसमें किसी उद्योग को पनपने का प्रयास नहीं किया गया है। मेरी प्रार्थना इसीलिये है कि सरकार ने जो गलती चार साल पहले की थी जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है और उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिये सरकार चाहती है कि डेढ़ दिन में इस बिल को पास कर दिया जाय। ऐसी जल्दी में इन नियमों को पास करना उचित नहीं होगा बल्कि हमारा प्रदेश जो कृषि प्रदेश माना जाता है और जिससे प्रत्येक व्यक्ति उन्नति की आशा लगाये रहता है और उन्नति के उपाय सोचा करता है, जहां गन्ने की उत्पत्ति होती है और जहां गुड़ या राब बनती है वहां के लोगों को सांस लेने का मौका मिलना चाहिये।

इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने से हमें यह मौका मिल जायगा कि हम उन लोगों के विचारों को जान पायेंगे, छोटे छोटे गृह उद्योग करने वालों के संघ और संस्थाओं से भी बातचीत कर पायेंगे। फिर हम सोच पायेंगे कि अगर कोई कर लगायें या सेस लगाएं तो किस तरह से लगाएं। विशेष रूप से सरकार की जो यह नीति रही है कि बड़े बड़े कारखानों के साथ रियायतें करती है, उनकी बकाया की वसूली में असमर्थता दिखाती है, और छोटे छोटे उद्योगों को कुचलती है, यह बड़ी घातक नीति रही है। आज फिर उसी नीति की पुष्टि में यह विधेयक आया हुआ है। क्या हम यह समझें कि नये मंत्रिमंडल ने हमें यह तोहफा दिया है? अगर उनको इसी प्रकार के तोहफे देते हैं तो क्या मैं समझूं कि नया मंत्रिमंडल भी उसी रास्ते पर जा रहा है जिस पर जाकर पिछले मंत्रिमंडलों ने धोखा खाया? उन्हें चाहिए कि वह समझ से काम लें और किसानों के साथ अन्याय न करें। खान्डसारी और गुड़ की सुरक्षा के लिये जो कुछ भी उपाय सोचें, उनको लेकर वह हमारे सामने पहले आयें। फिर हम सेस के औचित्य को देखें। कहा जाता है कि हम इन रुपयों को लेकर

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

उस बड़े गड्ढे में डाल देंगे जिसको पंचवर्षीय गड्ढा कहा जाता है। वह एक इतना बड़ा कुंआ है जिसमें गरीबों का पैसा पहुंचने के बाद निकलेगा नहीं और अगर निकलेगा तो दूसरे रूप में निकलेगा। इन उद्योगों को संरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि जो व्यय होता है उसका हमें अनुभव है।

श्रीमन्, मैं स्वयं एस्टीमेट्स कमेटी का सदस्य हूं। उसके प्रतिवेदनों का क्या परिणाम होता है वह सभी जानते हैं। उन प्रतिवेदनों को सरकार अपनी अल्मारी में बन्द कर देती है। वह अपने व्ययों पर जरा भी नियंत्रण करना नहीं चाहती। हम सरकार के टैक्सेशन को इस लिये सशंकित रूप से देखते हैं क्योंकि सरकार हमें उसका औचित्य दिखा कर पैसा ले लेती है लेकिन जब व्यय करने की बात आती है तो उसको स्वच्छन्द रूप से व्यय करती है। इसलिये इस विधेयक पर ठंढे दिल से विचार हो और इसके औचित्य, अनौचित्य को देख लें, और लोगों को यह कहने का मौका न मिले कि हम बड़ी जल्दबाजी में कानून पास कर देते हैं और न्यायालय उनको अवैध घोषित कर देते हैं इसलिये इसको सेलेक्ट कमेटी में जाना आवश्यक है। हमें इस बात का अंदेशा है कि ५४ प्रविष्टि में जो बदलने की कोशिश की गयी हैं, इसके अवैधानिक होने की संभावना है। इन सारी बातों को देखें। यह देखें कि किस तरह से टैक्स लगे जिससे देश के गृह उद्योग न कुचले जायं। इन शब्दों के साथ मेरी प्रार्थना है कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और प्रवर समिति में भेजने के लिये तैयार हो।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने मंत्री महोदय को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश गन्ना (कर कर) विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है और आदरणीय मास्टर जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मास्टर जी ने हम जैसे बच्चों को शिक्षा जरूर दी, माननीय गेंदासिंह जो वास्तव में किसानों के नेता हैं, वह गन्ने की बात कहें, कर का विरोध करें तो ठीक भी है। परन्तु मास्टर जी जैसे व्यक्ति का गन्ने के कर का विरोध करना, जिन्हें यह पता नहीं कि गन्ना किस फसल में बोया जाता है और किन-किन दिनों में कितना पानी लगता है, कितनी खाद लगती है, कितने मजदूर लगते हैं, वह मास्टर जी जब इस विधेयक का विरोध करते हैं तो ताज्जुब जरूर होता है। (व्यवधान) कानपुर में तो उद्योग धन्धे चलते हैं। आप उद्योग की बात करें तो ठीक है, लेकिन गन्ने के बारे में आप क्या बात करते हैं? आप तो जानते ही नहीं कि गन्ना कब बोया जाता है, कब पानी दिया जाता है, कब क्या होता है? लेकिन जिनकी हर एक विधेयक का विरोध करने की आपकी आदत पड़ी हुई है, उससे आप मजबूर हैं। फिर भी मैं इसके लिये बहुत ही माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि जहां तक यह गन्ना कर लगाया गया है इससे प्रदेश में काफी जनता के हित के लिये कार्य किये गए हैं। और जितने कर लगाये जाते हैं उनका हमारे सामने कुछ भी कार्य नहीं नजर आता। लेकिन इसका जो कर वसूल किया जाता है उससे प्रत्येक गांव गांव में जहां जहां मिलें हैं वहां सड़कें बनीं और किसानों को सुविधायें भी प्राप्त हुईं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह जो कर है इसको वसूल करने का तरीका बिलकुल गलत है और इससे किसान तथा और जितने भी लोग हैं सब तबाह होते हैं। वह इसको एक बोझ समझते हैं। इस तरीके से इस ढंग में अगर आप परिवर्तन कर दें तो मिल मालिक इसे महसूस करेगा, न किसान को परेशानी होगी न बेईमानी कोई करेगा और न वह ब्याज जो आप रख रहे हैं उसकी नौबत आयेगी। जैसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही गन्ना लाया जाता है और जैसे ही उसका पेमेन्ट होता है वैसे ही आप अपना यह करले लीजिये और चीनी उस वक्त निकलने दीजिए जब कि आपका टैक्स मिल जाय तो कोई दिक्कत न आपको हो और न किसी और को हो। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। तभी तो आपका लाखों व करोड़ों रुपया बाकी पड़ा हुआ है और किसान अलग परेशान है। हर एक कर, केवल गन्ने का ही नहीं बल्कि जितने भी आपके कर हैं उनके उगाहने का तरीका जो है उसमें परिवर्तन कर दिया जाय तो आज भारत की सरकार का लगाया हुआ कोई भी कर ऐसा नहीं है कि जिसे भारतवासी देने को तैयार न हों। प्रत्येक भारतवासी खुशी से दे सकता है। लेकिन उससे उस ढंग से वह उगाहा नहीं जाता जिस ढंग से वह देना चाहता है। हमने साठ, सत्तर साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और शनैः शनैः अहिंसा का आश्रय लेकर हम लड़ते रहे। आखिर एक दिन अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा। इसी तरह से शनैः शनैः आप टैक्स लगायें और ढंग से उसे वसूल करें तो कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं है कि वह किसी टैक्स का बिरोध करे और फिर जो मास्टर जी यहां रोज खड़े होकर विधेयकों का विरोध किया करते हैं, उसके लिये भी उनको मौका न रहे।

आज जितना भी मिल मालिकों और कारखाने वालों पर लाखों करोड़ों रुपया आपका टैक्स बकाया पड़ा है, उसका कारण केवल यही है कि साल भर में उसकी उगाही होती है और रोजाना उनको बेईमानी करने का मौका मिलता है। अगर रोजाना जितनी बिक्री होती है उसी के साथ साथ आपका रुपया वसूल होता रहे और उसके लिये, आपके अधिकारी की ड्यूटी लगा दी जाय तो एक पैसा भी आपका किसी कारखाने वाले पर नहीं रुक सकता है। सारी रकम वसूल हो जायगी। न किसान को परेशानी होगी, न मिल मालिक को महसूस होगा, न उसे बेईमानी का मौका मिलेगा और न यह भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार का कारण तो यही है। यदि आप भ्रष्टाचार को बन्द करना चाहते हैं तो आपको इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—"आप" शब्द मेरे लिए इस्तेमाल होता है। आप "सरकार" कहा करिए, क्योंकि यह मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है।

श्री हरीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कह रहा था। लेकिन हमारे राजा साहब ने जो यह फरमाया कि यह सरकार बन्द करना नहीं चाहती है तो सरकार तो कटिबद्ध है कि हमारे यहां भ्रष्टाचार नाम को भी न रहे। लेकिन यह जो राजे महाराजे मौजूद हैं वह हमेशा आज तक सरकार के ऐसे कामों का विरोध करते रहे हैं। इसलिये आपके कहने का हमें अफसोस नहीं है। लेकिन यहां के निवासी इन बुराइयों को शीघ्र से शीघ्र दूर करने के लिये प्रयत्नशील हैं। जनता इन करों को देने के लिये तैयार है लेकिन वह कायदे और तरीके से, क्योंकि यह कर किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं है बल्कि जनहित के लिये है और जनहित के लिये ही यह टैक्स लगाया जा रहा है। इसलिये मास्टर जी ने जो यह संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पास किया जाय और प्रवर समिति में जाने की जो बात कही गई है वह न मानी जाय।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोतीलाल जी अवस्थी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं कि मैं बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर इस माननीय सदन का ध्यान दिलाऊं। मुझे ऐसा लगा कि माननीय उपमंत्री महोदय की जानकारी में यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत हुआ है। उन्होंने इस विधेयक को गौर से देखा होता तो अपने संक्षिप्त भाषण में इसके स्वरूप पर जरूर प्रकाश डाला होता। यह विधेयक कई लाख किसानों को काफी नुकसान पहुंचाने वाला है, कई लाख कोल्हू चालकों को नुकसान पहुंचाने वाला है। हजारों खन्डसारी यूनिट के चलाने वालों को, जो छोटी पूंजीवाले लोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

हैं, उनको नुकसान पहुंचाने वाला है और गन्ने के किसानों को तो जितना यह नुकसान पहुंचायेगा उसकी कल्पना भी माननीय उपमंत्री ने नहीं की होगी। तो मैं ऐसा समझता हूं कि यदि इस विधेयक पर, इस माननीय सदन में उसके चरित्र पर अच्छी तरह से रोशनी पड़ सके तो यह आशा मैं कर सकता हूं कि सरकार अपने फैसले पर फिर विचार करेगी और सरकार इस विधेयक को केवल सेलेक्ट कमेटी में ही भेजने का फैसला नहीं करेगी बल्कि इस विधेयक को वापस भी लेने पर विचार करेगी।

श्रीमन्, इस विधेयक, में ३ बातें स्पष्ट हैं। एक तो वह जिस पर माननीय उपमंत्री ने रोशनी डाली कि केन सेस की रकम सुप्रीम कोर्ट से अवैध हो गई और उसको लने की क्षमता हमारे में नहीं रही। तो उसको सेस की शक्ल में नहीं, बल्कि पर्चेजिंग टैक्स की शक्ल में लेना चाहते हैं। एक वह काम उनको करना था।

दूसरा काम यह जो कि सब से घृणित और बुरा काम इस विधेयक के द्वारा होगा जिसकी ओर मैं माननीय सदन का ध्यान बहुत ही गंभीरतापूर्वक दिलाना चाहता हूं कि लाखों गन्ना उत्पादकों, कोल्हू चलाने वाले और खन्डसारी बनाने वाले लोगों के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमला किया गया है और उनको अगले वर्षों में तबाह हो जाना पड़ेगा, अगर यह विधेयक इसी रूप में पास हो गया।

तीसरा जो काम यह करेगा उसका मैं स्वागत करता हूं। १९५७–५८ के बाद जो फैक्टरी चली हैं उनको छूट देने की बात है और उनके लिये छूट देने की बात पर सरकार विचार करेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि १९५७–५८ के बाद जो फैक्टरी चली है वह सब सहकारिता के आधार पर फैक्टरी चली है। उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा और वह इसको स्पष्ट करेंगे अपने भाषण में लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि संभवतः उनको ही यह छूट देने की बात है। यदि उन फैक्टरियों को ही छूट देने की बात है जो कि कोआपरेटिव बेसिस पर चली हैं जैसे बाजपुर और बागपत में चली हैं तो हम उनको अच्छा सरकार का इरादा समझते हैं। अब मैं इन तीनों कामों को सामने रखते हुए इसके क्या परिणाम होंगे उस ओर सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं।

जहांतक शुगरकेन सेस की जगह पर परचेजिंग टैक्स लगाने और वसूल करने का सरकार का इरादा है, उसमें सैद्धांतिक तौर पर हमारा विरोध जरूर है, लेकिम हम जानते हैं कि सरकार को सैद्धांतिक तौर पर विरोध करके हम अपनी बात मनवा नहीं सकते और इसलिये इसमें अपनी श्रम शक्ति का व्यर्थ ही उपयोग भी नहीं करना चाहते। लेकिन यह प्रश्न है कि आखिर क्यों इसका नाम परचेज टैक्स रखा गया। श्रीमन, सारे प्रदेश में किसी चीज के बेचने पर जो टैक्स लिया जाता है, उसका नाम यहां पर बिक्री कर है, सेल्स टैक्स उसका नाम रखा गया है, लेकिन गन्ने की बिक्री पर जो टैक्स लिया जायगा उसका नाम क्रय–कर रखा गया। कहा जाता है कि प्रदेश में जो सारा सामान बिकता है उसका कर खरीदने वाले पर नहीं पड़ता। कई बार यहां पर चर्चा हो चुकी है लेकिन कभी भी सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसका तो कहना कि यह बिक्री कर है, सेल्स टैक्स है, और आज भी पता नहीं सरकार को उस सेल्स टैक्स नाम से क्यों इतनी मुहब्बत है और रहेगी, लेकिन गन्ने का काश्तकार जब अपना गन्ना बेचेगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसका नाम परचेज टैक्स रहेगा। दोनों में सरकार कितनी कंसिस्टेंस है इसको सोचना पड़ेगा। सारी दुनिया की चीजों पर तो सेल्स टैक्स लें, लेकिन किसान की चीज पर परचेज टैक्स लगेगा, इस बात पर ही मैंने आपका ध्यान दिलाया है।

मैं समझता हूं कि गन्ने पर जितना टैक्स है उनको देखते हुये यह टैक्स अनुचित है। मैं माननीय उपमन्त्री जी का ध्यान सन् १९३८ की तरफ ले जाना चाहूंगा जब शुरू–शुरू में कांग्रेस की सरकार इस सदन में आई थी। उस जमाने में यह टैक्स लगाया गया था। यह

केन सेस उस समय लगाया गया था और उस समय माननीय काटजू साहब ने यह घोषणा की थी कि इससे जो कुछ भी पैसा मिलेगा वह सारा का सारा गन्ने की खेती और उसके विकास में खर्च कर दिया जायगा। उस समय आधा आना फी मन के हिसाब से यह टैक्स लगाया गया था और धीरे-धीरे यह बढ़ कर ३ आना मन हो गया। अब इस टैक्स को लगा कर सरकार ने गन्ने की विकास में जो कुछ किया है, मैं यह नहीं कहता कि उसने कुछ नहीं किया..

श्री उपाध्यक्ष--यह टैक्स किसान को देना पड़ेगा या मिल मालिक को?

श्री गेंदासिंह--श्रीमन, पहले भी यह मिल मालिकों को देना पड़ता था और उसी के जरिये अभी भी दिया जायगा, लेकिन गन्ने की जो कीमत फिक्स होती है, चीनी की जो कीमत फिक्स होती है, उसमें एक ब्रेकअप बना हुआ है उसमें फी मन चीनी में यह हिस्सा भी शामिल है और गन्ने की कीमत के साथ इसको जोड़ते हैं कि गन्ने की कीमत के साथ तीन आना मन वह भी पा गया। इसलिये मैं समझता हूं कि वह काश्तकार को देना पड़ेगा। तो श्रीमन, आध आना मन उस जमाने में था, आज आध आने मन की जगह यह तीन आने मन देना पड़ता है और इस वक्त इस विधेयक में सरकार चार आने मन तक का अधिकार चाहती है कि वह चार आने मन तक इम्पोज कर सकें। सम्भव है कि वह चार आने मन न ले, क्योंकि पहले अधिनियम में भी यह अधिकार था सरकार को, लेकिन सरकार ने लिया नहीं। लेकिन मेरी पहली शिकायत यह है कि इस रकम को गन्ने के विकास पर खर्च क्यों नहीं किया जाता। अगर यह खर्च किया जाता है तो देखा जाय कि गन्ने की सूरत आज क्या है। सारे प्रदेश में यह शिकायत की जाती है कि यहां का काश्तकार बहुत निकम्मा है, अच्छे किस्म का गन्ना नहीं पैदा करता और इसलिये बम्बई से, हैदराबाद से, आंध्र से हम पीछे चले जा रहे हैं। सरकार रोज दोष देती है कि फी एकड़ हम कम गन्ना पैदा करते हैं लेकिन अगर पिछले वर्ष का केन सेस लिया जाय तो ३ करोड़ कुछ लाख रुपया केन सेस का सरकार के खजाने में आया है। तो ७ करोड़ रुपये की रकम सेस केन के रूप में इस सरकार के खजाने में आवे और यह सरकार उनके लिये पानी का प्रबन्ध न कर सके, समय से बीज का प्रबन्ध न कर सके, उनके गन्ने को पेरने के लिये कोई प्रबन्ध न कर सके, तो मैं यह पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि वह सब जिम्मेदारी किसकी है। जब लैन्ड रेवन्यू के अलावा केन-सेस की रकम यह सरकार लेती है तो उसका कुछ फर्ज भी उन किसानों के प्रति हो जाता है।

मैं अब आपके जरिये यह पूछना चाहता हूं कि ५० करोड़ रुपये की रकम को जिसे हाई कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है और जिसे यह सरकार फिर वैध करार देने जा रही है उसमें से कितना रुपया सरकार उन किसानों के हित में खर्च करेगी? यह सरकार आज बतावे। मैं इस प्वाइन्ट पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहता, किन्तु इतना अवश्य स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इतनी भारी रकम सरकारी खजाने में आती है तो मैं यह जरूर चाहूंगा कि वह ठीक ढंग से खर्च हो। आज जो उसके खर्च का ढंग है वह बहुत ही खराब है। आज हमको इस बात पर विचार करना पड़ता है कि इस पैसे को मिल मालिक पर छोड़ दें या सरकार के खजाने में इसको आने दें। कौन सा अच्छा तरीका है? इस पर हमें सोचना पड़ता है। हम यह जरूर अच्छा समझते हैं कि वह पैसा सरकारी खजाने में आये, किन्तु उसका खर्चा ठीक ढंग से हो।

श्रीमन, इस बिल में तीन धारायें ऐसी हैं जो इस केन सेस और केन परचेज टैक्स से ताल्लुक रखती हैं। इसी सिलसिले में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। क्या इस बात की गारन्टी है कि अगले वर्षों में, जब इस अधिकार को यह सरकार ले लेगी, तो यह टैक्स भी यह सरकार उन मिल मालिकों से उसी तरह बेरहमी के साथ वसूल करेगी जिस तरह से आज ठाकुर साहब का रेविन्यू विभाग किसानों से एक-एक और दो-दो रुपये वसूल करता है। जिस बेरहमी के साथ उनका विभाग टैक्स वसूल करता है, क्या उसी बेरहमी

[श्री गेंदासिंह]

के साथ यह सरकार इस अधिकार को लेकर उन मिल मालिकों से उस पैसे को वसूल करेगी ? सरकार इस बात का आश्वासन दे। यह सरकार बिना हाई कोर्ट की दखलन्दाजी के महीनों नहीं वर्षों लाखों रुपये के लिये मोहलत दे देती है और हाई कोर्ट के फैसले का इन्तजार करती है, यह गलत है.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी गलत बात तो न कहो।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन, मैं ठाकुर साहब की इज्जत करता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके विभाग के कर्मचारी एक-एक आना और दो-दो आना तक काश्तकारों से वसूल करने में जो कार्यवाही करते हैं वह कार्यवाही मैं समझता हूं इन मिलमालिकों से पैसा वसूल करने में नहीं होगी। इस सरकार की हमेशा मिल मालिकों के साथ हमदर्दी रही। मेरी निजी जानकारी है कि सरकार ने उनके साथ हमदर्दी की और वह इस ७ करोड़ की रकम पर पानी फेरना चाहती थी। सरकार ने उस मिल मालिक के साथ हमदर्दी की और उसने इस सरकार को हाई कोर्ट से हराया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—जिसने हराया उसका नाम तो बता दीजिये ?

श्री गेंदासिंह—वह नाम ऐसा है जिसे सभी जानते हैं। पिपराइच शुगर मिल है। मैं, श्रीमन, यह कह रहा था कि इसमें तीन धारायें ऐसी हैं जिनका केन सेस से सम्बन्ध है और यह बाकी धारायें इस लिये हैं कि अगर कोई कोल्हू चलाना चाहता हो-यन्त्र चालित नहीं, बैल वाले कोल्हू—या कोई खन्डसारी का यूनिट बैठाना चाहता हो, गुड़, राब, खंडसारी बनाने की कोई प्रक्रिया करना चाहता हो तो अगर उसने १९६० तक लाइसेन्स नहीं लिया है—जो पुराना आर्डर गवर्नमेन्ट का है उसके मुताबिक—तो उसको यूनिट बैठाने का कोई हक नहीं होगा। इतना वाइड इसको कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह क्यों ऐसा किया जा रहा है। मुमकिन है कि मन्त्री जी को जानकारी न हो, लेकिन इंडियन शुगर मिल ऐसोसिएशन जो चीनी मिल मालिकों का संगठन है, उसके इशारे पर, उसकी प्रार्थना पर यह काम किया जा रहा है। हिन्दुस्तान का यह ऐसोसिएशन इस बात को चाहता है कि गन्ने के काश्तकार, चाहे उत्तर प्रदेश के जिस हालत में भी हों और जितना भी गन्ना पैदा करें उसकी उत्तर प्रदेश में खन्डसारी बननी चाहिये, कोई कोल्हू नहीं चलना चाहिये और सारा गन्ना मिल की मरजी पर खड़ा रहना चाहिये। एक मर्तबा नहीं, अनेक मर्तबा इस शुगर ऐसोसिएशन ने साजिश की और सरकार पर जोर डाला। पिछली मर्तबा थोड़े दिनों तक तो हम टालते रहे, लेकिन आखिर में एक बिल आया सदन में। उसमें आपको याद होगा कि ७ बैलों से चलने वाले जो बैल थे उनके सम्बन्ध में इस सदन ने फैसला कर दिया कि हम उसको चलने देंगे, उस पर कोई लाइसेन्स नहीं लगाने देंगे। मैं जानना चाहता हूं और आप भी जानकारी कर लें कि इस विधेयक में कहां ऐसा प्राविजन है कि ७ बैल के कोल्हू पर लाइसेन्स नहीं लगेगा ?

श्री रऊफ जाफरी—है।

श्री गेंदा सिंह—आप बता दें।

श्री रऊफ जाफरी—गन्ना सप्लाई और पूर्ति ऐक्ट में जो डेफिनीशन है उसको आप पढ़ लें।

श्री गेंदासिंह—इसमें जो रेलेवेंट पोर्शन है उसको मैं पढ़ दूं आपके सामने। मैं अपनी हार चाहता हूं अगर वह बच जायं। "इकाई" की परिभाषा इसमें दी हुई है—"इकाई

का तात्पर्य गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई से है, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनमिय, १९५३ में परिभाषित है।" तो यह तो १९५३ वाली परिभाषा से सम्बन्धित है और जो हमने पास किया था ७ बैलों वाला वह १९५६ में परिभाषित किया था। तो जरा मेहरबानी करके देखें कि वह कहां बचते हैं। अगर बचते हैं तो मुझे खुशी होगी।

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि वह सन ६० में अमेन्ड हुआ है, उसके बाद पढ़ें। सेक्शन ३ में आप देखें तो लिखा हुआ है।

श्री गेंदासिंह—अगर दफा की बात है तो मैं जानने की कोशिश करूंगा जब आगे आने वाले संशोधनों पर विचार किया जायगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? सारे भारतवर्ष में गन्ने की खेती होती है और गन्ने की मिलें हैं। पहले हमारी मानोपोली थी। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना पैदा करता था, आधे से ज्यादा फैक्ट्रियां थीं लेकिन आज हमारी हालत वह नहीं रही। पंचवर्षीय योजनाओं में जितनी भी फैक्ट्रियां बनी हैं नई, केवल दो को छोड़ कर लगभग ५० सारी की सारी दक्षिण भारत में बनी हैं। क्या दक्षिण भारत में इस प्रकार का कानून बनाया गया है कि लाइसेन्स लागू करके गन्ने को नियन्त्रित किया जायगा और मिल मालिकों को दिलवाया जाय।

हमारे यहां किसी जमाने में सोचा जाता था कि ९० दिन का केवल हमारा सीजन रहे। ९० दिन ही गन्ना मुहइया नहीं हो पाता था। तो उस जमाने में जब गन्ना मुहइया नहीं हो पाता था और देश अंग्रेजों के हाथ में था उस वक्त अंग्रेजों ने भी इस बात को नहीं सोचा कि कोल्हू और खांडसारी की यूनिट्स को डिसकरेज करना चाहिये और आज भी सारे भारत में किसी स्टेट में यह बात नहीं सोची जा रही है। अगर किसी दूसरी स्टेट में यह बात सोची जा रही हो तो बताया जाय। आंध्र, महाराष्ट्र, बाम्बे और मद्रास में जहां फैक्ट्रियां बढ़ी हैं वहां पर इस बात की कोई जरूरत नहीं मालूम होती है और न वहां की सरकार ने कोई ऐसा कदम ही उठाया है लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां ९० दिन का सीजन चलने वाला था, आजकल दो सौ दिन का है, पिछले साल करीब १६० दिन का एवरेज था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इससे भी ज्यादा दिन फैक्ट्रियां चलवाना चाहती है? उत्तर प्रदेश में २०० दिन का सीजन चलाने का मौसम नहीं है।

मैं यहां पर बैठे हुये हर जिले के लोगों को काश्तकारों द्वारा गन्ना सप्लाई करने के कानून की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप उतना ही गन्ना मिल को सप्लाई कर सकेंगे जितना कि पिछले तीन सालों तक एवरेज आता हो, ज्यादा गन्ने के लिये एडीशनल बांड हर्जाना देकर करना पड़ेगा, इसके बिना आप अपने गन्ने की बिक्री का प्रबन्ध नहीं कर सकते। सरकार का कहना है कि चूंकि गन्ना ज्यादा है इसलिये वह गन्ने को डिसकरेज करना चाहती है और इसीलिये तीन साल का कोटा बनाया। माननीय सदस्य जानते होंगे कि आज किसान बुरी तरह से तबाह हो रहा है। डेवलपमेन्ट के कामों से खाद, बीज और पानी वगैरह देने से पर-एकड़ ईल्ड बढ़ी और एकरेज बढ़ा। पिछले वर्ष सारे भारत में मिल वालों को कुछ छूट मिली एक्साइज ड्यूटी और केन-सेस में तो दूसरे लोग नहीं कर पाये लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान के बूते तीन लाख टन चीनी पिछले साल ज्यादा बनी। ३४ करोड़ मन गन्ना उनको मिला। हिस्टरी में इतना कभी नहीं पेरा गया। इस साल कहा जाता है कि ३८ करोड़ मन पेरेंगे। मैंने अपने इलाके में जानकारी अभी विधिवत हासिल की तो मालम हुआ कि तमकुही और तरयासुजान में तीन-चौथाई गन्ना इस ३८ करोड़ मन पेरने के बाद बचा है। इसी प्रकार से नैनीताल की तराई में और बरेली की तराई में भी गन्ना खड़ा रहेगा।

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस गन्ने को किसी तरह से खपाया जाय और खेतों में न खड़ा सड़े। उसके बारे में उसको यह भी सोचना होगा कि यह चीज वह

[श्री गेंदासिंह]

खांडसारी को इन्करेज करके कर सकेंगे या डिसकरेज करके, लेकिन इस विधेयक की जो मंशा है वह खंडसारी को डिसकरेज करने की है। उससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। अगर फैक्टरियों को गन्ने की कमी होती तब तो इस प्रकार विधेयक की बात सोची जा सकती थी। लेकिन जब ३८ करोड़ मन गन्ना, जिसको आप पेरना चाहते हैं, उससे भी अधिक गन्ना खड़ा है तो फिर आपको इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता क्या है? किस उद्देश्य से आप यह रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। सरकार को इसपर फिर से विचार करना चाहिये? मेरे खयाल में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा? आप फिगर्स मंगा कर देखें कि फैक्ट्रियों के साथ-साथ क्या छोटी यूनिटें भी आपके यहां बढ़ रही हैं या नहीं। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों की तादाद नहीं बढ़ी है वहां यन्त्रचालित कोल्हूओं और कोल्हूओं की संख्या भी धीरे-धीरे कम हुई है। एक ओर सरकार कोआपरेटिव को तरजीह देना चाहती है और दूसरी तरफ इन पर इस प्रकार से प्रतिबन्ध लगाती है।

कोल्हू एक ऐसी चीज है जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इन्डस्ट्रियल माइन्ड का बनाती है। १०--५ आदमी मिल कर बैठते हैं, तापते हैं और कुछ सीखते हैं। लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझती, यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार को इस बात को देखना चाहिये कि पिछले दो वर्षों में कितने खांडसारी यूनिट चलने से रुक गये। उनको खता क्या है? मैं सुबूत पेश करूंगा। पार्लियामेन्ट में कांग्रेस के लाड़ले हैं। हमको हरा कर वे वहां चले गये। वहां उन्होंने यह सवाल उठाया कि पश्चिमी जिले वाले खांडसारी चला कर मिलों को बैठाये दे रहे हैं। इसके लिये उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर अवश्य ही बन्धन होना चाहिये। दूसरी जगह तो उनकी कहीं चली नहीं, उत्तर प्रदेश में चल गई। यहां खांडसारी पर हमला हो गया। देवरिया और गोरखपुर में तो खांडसारी की यूनिट्स हैं। नहीं रुहेलखन्ड और मेरठ डिवीजन में हैं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि ग्रामीण धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिये इनकी भारी आवश्यकता है। अगर इन यूनिट्स में मजदूरी ठीक न मिल रही होती और उसको रेग्युलेट करने के लिये आप कोई विधेयक लाते तब तो मैं उसका स्वागत कर सकता था। लेकिन सरकार तो कहती है कि वह सफेद चीनी ज्यादा बनायेगी। फिर गुड़ पर आप क्यों हमला कर रहे हैं? ईश्वर के के नाम पर इसको माफ कीजिये।

मुझे याद है कि एक मर्तबा श्री के० एम० मुंशी साहब जब कि वे फूड मिनिस्टर थे, उन्होंने कोल्हुओं और गुड़ के लिये लाइसेंस लेने का हुक्म दिया था। हम बड़े अभागे हैं कि आज हमारे जिले के और इस प्रदेश के एक महापुरुष बाबा राघवदास हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कोल्हुओं पर लाइसेंस रहा तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इस कानून को तोड़ूंगा और श्रीमन्, उनके पीछे पीछे हमलोग भी एसे आदमी थे, १९४८-४९ में। मैंने मेरठ में कहा था कि कलक्टर साहब की कोठी के सामने कोल्हू खड़ा करो, बैल तो हमको मिलेंगे नहीं, क्योंकि सरकार उन्हें छीन ले जायगी और इस तरह से पांच सौ, हजार रुपये का जो नुकसान हो जायगा इससे बड़ी गड़बड़ी हो जायगी, तो बैल के बदले में हमलोग ही कोल्हू को खींचेंगे और इस प्रदेश की सरकार के कानून को तोड़ेंगे। उस वक्त की सरकार रिस्पांसिव थी, उस वक्त की सरकार उतनी कठोर नहीं थी जितनी कि आज की सरकार कठोर है और उसने उस कानून को वापस ले लिया। उसने उस कानून को वापस लेने में कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न उसे नहीं बनाया। भारत सरकार ने और इस प्रदेश की सरकार ने भी कोल्हुओं पर लाइसेंस के आर्डर को वापस ले लिया।

श्रीमन्, मैं आपसे कहता हूं कि आज भी मैं बैठ कर बात करने के लिये तैयार हूं। श्रीमन्, आप बीच में बैठ जायं, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब बैठ जायं और यह साबित हो जाय कि किसी तरह से भी फैक्टरियों को जो गन्ना वे देना चाहते हैं उसे देने में कोई दिक्कत खड़ी हो रही है तो

इस तरह का विधेयक लाने का उनको अधिकार होगा कि वे इसे लायें और उसको पास किया जाय लेकिन किसी फैक्टरी के लिये जब कोई दिक्कत नहीं है तो मैं समझता हूं कि इन ग्रामीण उद्योग के लिये जो कि छोटे-छोटे उद्योग हैं, जानते हुये भी इस तरह से किसानों को तबाह करना बहुत खराब बात है। मैं कहता हूं कि एक आदमी मेरठ से लाइसेंस के लिये लखनऊ आयेगा तो उसे यहां आते ही ५० रुपये के करीब खर्च हो जायेंगे। क्या गजब है, यह तो ऐसी बात की जा रही है जिससे मैं समझता हूं कि कोई फायदा इस सरकार को नहीं है। सरकार बिना सोचे समझे ही यह विधेयक लाई है और मैं समझता हूं कि सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि उससे किसानों को नुकसान हो।

माननीय रऊफ साहब ने मुझे विश्वास दिलाया था कि इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि इसमें तो बहुत से सांप बिच्छू अन्दर भरे पड़े हैं। कहा गया है कि सिर्फ १० मील के अन्दर ही यह चालू रहेगा लेकिन कहीं भी दस या बीस मील की कोई बात इसमें नहीं है। सिर्फ १० मील के अन्दर वालों के लिये कर से छूट की बात है लेकिन लाइसेंस लेने की जो बात रखी गई है उससे तो सरकार को नुकसान है। इससे अन-इम्पलायमेंट फैलेगा और लोगों में असन्तोष उत्पन्न होगा। मैं बार-बार इस बात को कहता हूं कि किसी तरह से भी कोल्हुओं के लगाने और खांडसारी यूनिट के खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं खड़ी करनी चाहिये। क्या यह बात सही नहीं है कि खांडसारी यूनिट वालों ने काश्तकारों को मिल वालों से गन्ने की कीमत ज्यादा दी बावजूद इसके कि १०० मन गन्ने में उन्होंने साढ़े सात मन चीनी पैदा की? एक मिल वालों ने तो १०० मन गन्ने में १० मन चीनी पैदा की और जब उन्होंने गन्ने की कीमत फी मन १ रु० १० आने और १ रु० १२ आने मन दी तो खांडसारी वालों ने १ रु० १२ आने, १ रु० १४ आने और कहीं कहीं तो २ रु० मन तक दी। तो क्या आप इस तरह का विधेयक लाकर किसानों को मार देना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि सरकार का इरादा किसानों को मारने का नहीं हो सकता है। लेकिन अनजाने ही सरकार इस तरह का विधेयक लाई है जिससे किसान मर सकता है।

मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि मोटे तौर पर जो दिक्कतें हैं वह मैंने आपको बतला दीं। इस विधेयक के तीन उद्देश्य हैं जिनमें से एक तो यह है कि मिल वालों से रुपया मिले, दूसरा यह कि कोआपरेटिव फैक्टरियों को छूट मिले और तीसरा अंश जो सबसे नग्न और घृणित है वह है कोल्हू, गुड़ और खांडसारी पर हमला करना। तो कम से कम इस अंश को सरकार निकालने के लिये मंजूर कर ले तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है। वरना अगर यह न निकाला जा सके तो इतनी जल्दी में तथा गरमा गरमी में, ऐसे कोई गर्मी की कोई बात तो मैंने कही नहीं, और न सरकार को किसी तरह से बदनाम ही करने की कोशिश की, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि ठंडे दिल से विचार करने के लिये इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय अगर यहां न माना जाय तो इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और वहां इन बातों पर विचार करके ऐसा विधान किया जाय जिससे यह विधेयक गन्ना उत्पादकों के हित में हो जाय। इतना कहकर मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा दो बार बात कहूंगा खेती के बारे में। हमारे पूर्वी जिलों का यही गन्ने के बारे में सवाल रहता है और पच्छिमी जिलों का भी रहता है वहां गुड़ बनता है शक्कर बनती है, हमारे यहां चीनी को शक्कर कहते हैं। हमारे यहां लोग मजे में हैं, वह शीरे का शरबत नहीं पीते, वहां अच्छी चीज है लेकिन पूरब वालों ने तो अपने हाथ पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, उन्हें अपने करतबों का फल मिल रहा है। क्या सरकार करे, क्या कोई करे, मैं तो दिमाग भी बिगड़ा नहीं कहूंगा कोई नाराज हो जायगा। किसान के दिमाग में भी फर्क है, सरकार के भी दिमाग में फर्क है, अब समझ लो क्या होना है। आप की आज्ञा से कहूंगा कि किसान का भी दिमाग खराब है और सरकार का तो २४ घंटे ही खराब रहता है। यह सरकार तो ऐसी है कि इस के यहां बिना लाइसेंस के कोई काम न होगा। लाइसेंस होगा तो गन्ना पिरेगा, लाइसेंस होगा तो कोल्हू चलेगा लाइसेंस होगा तो शक्कर

[श्री टीकाराम पुजारी]

बनेगी, लाइसेंस होगा तो गुड़ बनेगी और राब बनेगी और लाइसेंस होगा तो भैंस का दूध दुहा जायगा नहीं तो लाइसेंस के बिना सब खत्म हो जायगा । सरकार वह चीजें कर रही है जो कि इस देश में कभी किसी ने नहीं की और किसी ने इस तरह की आवाज नहीं उठाई । यहां इतने दिन अंग्रेज भी रहे लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि हर चीज पर टैक्स लगाया जाय । कभी उसको वह टैक्स कहते हैं, कभी कर कहते हैं, कभी फीस कहते हैं । यह सरकार किसान के साथ, मजदूर के साथ खिलवाड़ कर रही है । किसी ने कहा है कि जब समय आता है तो बुद्धि बिगड़ जाती है और जब बुद्धि बिगड़ती है तभी तो यह होता है कि किसान पर टैक्स, खेती के ऊपर टैक्स, पानी के ऊपर टैक्स, जहां देखो वहीं टैक्स ।

श्रीमन्, आप के द्वारा कह रहा हूं कि खेती को और गन्ने को समय पर पानी नहीं मिलता, लेकिन आबपाशी वसूली के लिये सब से पहले हाजिर है सरकार का अमीन ।

यह गन्ना टैक्स ऐसा लगाया जा रहा है कि जो परमात्मा भी चाहे तो किसानों को अपनी जिन्दगी नहीं कायम रखने देगा । उन का जीवन गन्ने पर ही निर्भर है उसी से उन का धन्धा है उसी से उन को रोटी मिलती है, गन्ना बिके तो भोजन मिले यह उन की समस्या है । उस पर भी कर लगता है तो क्या कहूँ पूरब वालों के साथ बड़ी ज्यादती है । श्रीमन्, आप भी पूरब के हैं, पच्छिम का तो यही एक शेर है जो दहाड़ता है । यह सरकार सरकार है या एक तमाशा है ? तमाशा यह है कि जब यह सरकार रहते हैं तो सब से आगे बैठते हैं और अगर सरकार नहीं रहते तो पीछे बैठते हैं । उन से अच्छे हम विरोधी हैं, हम एक ही जगह रह कर दहाड़ते हैं । जब उनका (मंत्रियों) का पद चला जाता है तब दस्तखत करके चले जाते हैं सदन में भी नहीं आते ।

यह कांग्रेस टैक्स की मां है । टैक्स उनके यहां जन्म ले रहे हैं और जब वह बड़ा होगा तो इन्हीं के लिये प्रहलाद बनेगा और इस सरकर को खत्म कर देगा । मुझे तो यह मालूम पड़ता है कि औलाद भी लायसेन्स से बनेगी । हमारे गेंदासिंह जी पूर्वी जिले की बात कह रहे थे । श्रीमन्, हम कहा करते थे कि किसान जो पैदा करेगा उसका भाव खुद तय करेगा । महात्मा गांधी कहते थे कि किसान हिसाब लगायेगा कि कितन आदमी इसमें लगे, कितना खर्चा हुआ, क्या रखवाली का हुआ, कितना पानी लगा, कितनी खाद लगी, यह सब हिसाब करके और ६ महीन का खाने का इंतजाम करके जब कुछ बचेगा तो लगान देगा । खाने से, पीने से, खर्चे से, शादी से, व्यवहार से, लेने से, देन से, जो बचेगा उसका नाम बाकी है । यह गांधी जी के चेले हैं ? गांधी जी का चेला है पुजारी । करो आधा लगान, करो आधी आबपाशी, करो चोर बाजारी बंद, करो, शिक्षा मुफ्त, करो स्वास्थ्य का इंतजाम, करो टैक्स कम । जो कांग्रेस जिन्दा रही और अमर रही वह गांधी वाली कांग्रेस है । मुझसे कहते हैं कि पुजारी स्वतंत्र पार्टी के हैं, लेकिन मैं तो पक्का गांधीवादी हूं, नेहरूवादी नहीं ।

एक स्वतंत्र पार्टी है हमारी । मैं वहां भी था । मिल मालिकों की खता नहीं है । उनके कमरे में जाकर मेरी भी तबियत चली कि बड़ा अच्छा मामला है । उनका ठाठ ही न्यारा है । यहां भी फोन, वहां भी फोन, चूल्हे पर भी फोन, तखत पर भी फोन । तुम लोग उस पर रीझ गये और किसानों को मार दिया । गन्ने का भाव १ रुपया १२ आना, गुड़ का भाव ११ रुपये मन, राब का भाव ९ रुपये मन । गन्ना पैदा करें किसान और भाव कौन तै करे ? मिल मालिक ? गन्ना किसके हो ? पुजारी टीकाराम के और मालिक कौन ? मिल मालिक जिसे यह भी पता नहीं कि कितना खर्च होता है उसके पैदा करने में । वह तो किसान ही जानता है ।

हमसे कहा जाता है कि बिला वजह सदन में एक चीज उठती है जो कि विरोधी लोग उठाया करते हैं कि यह तो निकम्मे हैं, भ्रष्टाचारी हैं । मैं कहता हूं कि ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिये । पर हमको विरोधी भी नहीं कहना चाहिये । क्यों ? सन् १९२१, सन् १९३०, सन् १९३२, सन् १९४० और १९४२ के अंग्रेजों को निकालने वाले आन्दोलन में भाग लेने वालों को विरोधी कहा

जाता है । हम कहते हैं किसान मर जायगा, गन्ने का भाव कम से कम चार रुपये तो रहने दें । भूसा ४ रुपया मन, करब साढ़े ३ रु० मन, लकड़ी ढाई रुपया मन और गन्ना डेढ़ रुपया मन । जिससे चीनी बने वह १८ आना सेर बिके । यही किसान के साथ न्याय हो रहा है ? आबपाशी साथ में, लगान साथ में यह सरकार ने जो काम किया है इससे इसी का बुरा होगा । अगर सन् १९६२ में किसान और मजदूर ने सोच समझ से काम लिया तो सब के पास लाइसेंस हो जायेगा । यहां तो बुद्धि बिगड़ गई है किसानों की और मजदूरों की । जब सरकार की ही बुद्धि बिगड़ गई तो उसी के पीछे सब की बुद्धि होगी । "जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी" । यह लोग परम स्वतंत्र हैं इनके सिर पर कोई नहीं, जब चाहो जिसको मुख्य मंत्री बना दो । कर लेओ सन् १९६२ तक तब मालूम पड़ेगा ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना क्रय-कर विधेयक जो आज सदन में पेश है यह पहले इसी सदन से पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध कर दिया । अब सरकार उसको शुद्ध करने के लिये ताकि वह कर लगा सके आज दोबारा पेश है । तो ठीक वही दशा है जैसे कोई आदमी अपने पैर का जूता बनाये और पैर में अगर फिट न हो तो बजाय दूसरा जूता बनवाने के पैर ठीक कर रही है सरकार ताकि टैक्स वही लगा रहे । आज सरकार की मंशा है कि जिस रूप से हो सके, जो तरीका हो सके, अपना सके वही किया जाय ताकि टैक्स लगा सकें । किस पर ? गन्ने पर, गुड़ पर, राब पर और खांडसारी पर । बहुत से ऐसे स्थान हैं श्रीमन्, आप समझें कि जहां का गन्ना खरीद के मिल के गेट पर पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है, वहां खंड-सारियों का इंतजाम था, कोल्हू चलते थे और गुड़, राब, शक्कर बना कर या जो तरीका ठीक होता था अपने गन्ने को खर्चा करने का करते थे जिससे उनको ४ पैसा मिल जाय । लेकिन सरकार से वह भी नहीं सहा गया कि यह वंचित कैसे रह जाय । और गुड़ और खांडसारियों पर भी जैसा गेंदासिंह जी ने कहा पहले ७ कोल्हू तक माफ थे इस बार उस पर भी छूट नहीं है । सेस तो खत्म हो गया, इसलिये क्रय-कर ही लगा रहे हैं ताकि आमदनी बढ़े । गन्ने पर जितना टैक्स है इसका अगर एहसास किसान को हो तो बड़ा दुखी हो जाय । जितनी सेस, और उसके ऊपर टैक्स या ड्यूटीज पड़ती है अगर यह न होता तो गन्ने का मूल्य १ रुपया मन और अधिक होता । लेकिन इतना टैक्स है गन्ने पर जिसकी कोई इन्तहा नहीं । एक एकड़ का कोई काश्तकार है और गन्ने की खेती करता है तो नामुमकिन है कि उसे ५०० रुपये से कम टैक्स देना पड़े । इसके बाद भी सेस छूट गया सरकार से, तो क्रय कर लगा रही है । इस बिल से कितनी बड़ी हानि होगी, कितनी परेशानी होगी यह सभी को ज्ञात है । टैक्स देना पड़े या न देना पड़े लेकिन कोल्हू चलाने के लिये, रस तथा राब निकालने के लिये उसे लाइसेन्स लेना पड़ेगा और बगैर लाइसेन्स के पकड़ा गया तो चालान हो जायगा । सरकार मिल एरिया को कितना बड़ा प्रोटेक्शन देना चाहती है कि एरिया लिमिटेड कर दिया जायगा, उसके अन्दर कोई कोल्हू नहीं चला सकता बिना लाइसेन्स के और लाइसेन्स वही पायेगा जो सन् १९६० में प्राप्त कर चुका है ।

मैं गोंडा जिले का रहने वाला हूं । चार शुगर फैक्टरीज हैं वहां और इतना जबरदस्त गन्ना पैदा हुआ है कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक तिहाई से अधिक गन्ना समाप्त हो नहीं पायेगा । मई, अप्रैल तक गन्ना चलता रहेगा और प्रतिबन्ध यह लगाया जा रहा है कि लोग स्वतंत्रतापूर्वक राब, गुड़ या शक्कर नहीं बना सकते । सैकड़ों लोगों का चालान होगा । केन सेस से तो लोग बचते रहे । वे लोग आज तक लड़ते रहे और अपना बचाव करते रहे । लेकिन अब सरकार ने क्रय कर लगाया है । मैं मंत्री जी से इतना ही कहूंगा कि इस क्रय कर को लगा कर उन्होंने एक परेशानी बरपा की है और गन्ने के किसानों का इससे उत्साह भंग होगा । गन्ने के काश्तकार का वह खयाल करें और उसके जीवन का जो सहारा है खांडसारी, गुड़ तथा राब बनाना उसके लिये कोल्हू पर लाइसेन्स लगाना अनुचित है । सरकार की जो नीति है छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने की उसके यह प्रतिकूल है इस तरह का बंधन लगाना । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल पर वे पुनः गौर करें और लाखों किसानों के साथ खिलवाड़ न करके उनके जीवन को संकट में न डालें ।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोतीलाल अवस्थी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं गन्ने का खुद काश्तकार हूं । गन्ना फैक्टरियों का हिसाब मैं आपको सुनाना चाहता हूं । हर जगह गन्ने की काश्त बढ़ती जा रही है । दो हजार मन गन्ना मेरे पास खड़ा है । सीजन हमारे यहां १८० दिन का रखा गया । ६ पखवारे बीत गये लेकिन अभी २५ पर्चियां नहीं आई हैं और यह कैद लगा दी गई इस नियम के मुताबिक कि गुड़ तथा राब नहीं बनाओगे । जब गुड़ और राब हीं बनायेंगे तो हमारी क्या हालत होगी ? तीन साल की औसत पर ये हमारी गाड़ियां लिखते हैं । बालाई गन्ने को कहते हैं कि तुम जानो, चाहे जहां से जाओ । जब सरकार कहती है कि तीन साल के औसत से ज्यादा गाड़ियां नहीं लेंगे तो हम मजबूरन पक्का सट्टा करते हैं । तब भी हमारा गन्ना नहीं कटता । अगहन में जो गन्ना रहता है वह माघ में नहीं रहता और माघ में जो रहता वह फागुन में नहीं रहता और फागुन के बाद चैत आ गया । रबी की कटाई में गन्ने की छिलाई मुश्किल पड़ जाती है और जेठ में तो गन्ने का वजन आधा रह जाता है । उधर रिकवरी कम होती है इधर दाम गिरते हैं, दोनों तरफ नुकसान और इस नुकसान पर यह भी गारंटी नहीं कि जो गन्ना आपने खड़ा कर रखा है वह आप ले ही लेंगे । जुलाई तक हमने गन्ना खड़ा रखा और फिर पेरा और फिर जलाना पड़ा। यह स्थिति हमने देखी है और आज भी यह स्थिति है । आप कोल्हू लगाने नहीं देते गुड़ और राब पर आपने पाबन्दी लगा दी है । सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है गन्ने की खपत की ।

यह सब होते हुये भी आप केन डेवलपमेंट विभाग की देखिये । बिला रिश्वत लिये हुये कामदार सट्टा नहीं करेगा । जिन लोगों ने रिश्वत दी है उनके गन्ना बिलकुल नहीं है मगर चार चार हजार मन का सट्टा है और जिनका गन्ना खड़ा है लेकिन रिश्वत नहीं दी है उनका कोई सट्टा नहीं है । मुझको मजबूरन दो हजार मन का सट्टा करना पड़ा है । न तो आप राब बनाने देंगे और न गुड़ बनाने देंगे और खपत के भी आप जिम्मेवार नहीं हैं । यह जो आपका कहना है कि हम गन्ने की तरक्की कर रहे हैं तो गन्ने की तो बहुत तरक्की हुई है । चार हजार एकड़ का हमारा गांव है जिसमें एक हजार एकड़ में गन्ना हैं और आज तक तिहाई गन्ना नहीं गया । ऐसी स्थिति में तो हमारी आजादी थी वह भी आप छीन रहे हैं, कोल्हू की, राब की, गुड़ की । तो इससे तो वही बेहतर था कि सात कोल्हुओं पर आप कर नहीं लगा रहे थे । लिखा बैल है, लेकिन है वह कोल्हू । एक ही बैल से कोल्हू नहीं चलता, दो बैल एक कोल्हू में लगते हैं । यह भी नहीं जानते कि कोल्हू कितने बैल से चलता है । ऐसे आदमियों से जो किसानी करना नहीं जानते आप बिल बनवाने बैठते हैं । हमें तो यह बड़ा अफसोस है कि जो खेत की बात न जानें उन्हें आप खेत के मालिक बनाते हैं । आप कोल्हू लगाने नहीं देंगे बिना लाइसेन्स के और लाइसेन्स लेने लखनऊ आना पड़ेगा । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ५ रुपये फी कोल्हू पर लायसेन्स लगाया और अगर किसी किसान ने वैसे ही कोल्हू गाड़ लिया तो २५–२५ रुपये जुर्माना किया गया । तो आजादी क्यों छीन रहे हो, हमारे गुड़ उद्योग क्यों पट्ट कर रहे हो ? इसके पट्ट से वे लोग और वे भिश्ती जो बैल अपनी कमाई कर लिया करते थे वे सब बेकार हो जायंगे । पहले आपकी हिदायत थी कि मिल के सेन्टर से ७ मील के अन्दर कोई कोल्हू नहीं लगेगा लेकिन इस बिल में कोई हद नहीं है । सेन्टर बदायूं से दातागंज १८ मील है और ककरौली हमारे यहां से १३ मील है । आपने ककरौली, बदायूं और दातागंज का गन्ना रोक रखा है लेकिन क्षमता आपकी है नहीं तो किसान क्या करे ? यह आपका बिल किसान की बरबादी का बिल है । अगर आप चाहते हैं कि किसान उन्नति करे तो इस बिल को वापस लीजिये और जो कायदे में चला आ रहा है उसी के मुताबिक रहने दीजिये तब तो हमारा फायदा है वरना आप जानें । अगर आप किसान की राय के बिना कानून बनायेंगे तो किसान हर्गिज उनकी पाबन्दी नहीं करेगा और हुकूमत मजबूर होगी और किसान कानून को तोड़ने के लिये तैयार होगा और आप से जंग लेगा । अगर आप भला चाहते हैं तो इस बिल को वापस ले लीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो बिल इस समय पेश हुआ है उसके लिये मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि जो नीति सरकार की बहुत दिनों से चली आ रही है कि देहात के किसानों को बरबाद कर दिया जाय और किसान इस लायक न रह सकें कि वह सिर उठाकर गांव में चल सकें, उसी की पूर्ति के लिये एक बहुत ही स्पष्ट कदम हमारी सरकार ने उठाया है। जैसे कि कहा गया कि गन्ना किसान के ऊपर कितनी आफतें हैं उनके बारे में नहीं सोचा जाता है। गन्ना उत्पादकों के ऊपर जो मौजूदा कर लगाया गया है वह एक रुपया सात आने मन पड़ता है। सरकार मुलाहिजा फरमाये कि इसके क्या माने हुए। कहा यह जाता है कि किसान १,००० या १,२०० मन तक प्रति एकड़ गन्ना पैदा कर लेता है। अगर इसके मुताबिक हिसाब लगाया जाय तो सरकार हर साल किसान से गन्ने की कीमत टैक्स के रूप में ले लेती है। यहां तक कि जिस जमीन पर गन्ना पैदा किया जाता है उसकी कीमत भी ले लेती है और वह भी मार्केट रेट से लेती है।

आज सरकार सीड मल्टीपिल फार्म्स खोल रही है उनके दाम वह क्या देती है? मुश्किल से २०० या ३०० रुपये प्रति एकड़ देती है जब कि सरकार किसान से ७०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से टैक्सेज में ले लेती है जो गन्ना वह पैदा करता है। हम किस्सा सुना करते थे कि सोने का अन्डा देने वाली मुर्गी को एक साहब ने खाने की कोशिश की थी। वही हाल आज हमारी सरकार का है। आज सरकार की ओर से इतने टैक्सेज लग रहे हैं और खासकर किसानों के ऊपर कि उनका चलना मुश्किल हो रहा है। अब वह गन्ना किस लिये पैदा करें जरा इसको मुलाहिजा फरमाया जाय। जिस समय से सप्ताह शुरू होता है किसान को काम करना पड़ता है। मिल मालिकों की तरफ से कांटा लगाया जाता है जिसको सरकार अभी तक नहीं रोक पाई। किसानों के लिये तो लाजिमी है कि उसका गन्ना उसी मिल में जाय जहां के लिये सरकार हिदायत दे यानी जिस मिल वाले को सरकार खुश करना चाहे क्योंकि सरकार को जरूरत पड़ेगी चुनाव में रुपयों की तो वह उनसे ले कर किसानों का दम भरेगी। उनको खुश करने के लिये रिजर्वेशन होता है उसमें क्या धांधली होती है यह सबको मालूम है। जिस मिल मालिक से खुश हुई सरकार उसे गन्ने का एरिया ज्यादा लगा दिया, जिससे नाराज हुई उसे कम लगाया। ऐक्ट में प्राविजन है कि गन्ने को लेने वाले को खुद तोलना चाहिये। लेकिन उनके दलाल तौलते हैं। आज तक सरकार इसको नहीं रोक सकी है। कम से कम दस प्रतिशत की कटौती हर मिल पर होती है। जहां इंसपेक्टर नहीं पहुंच पाते हैं, वहां क्या हालत होती है मैं नहीं कह सकता। लेकिन बहुत जगह रिवाज है कि गन्ने की गाड़ी आई तो वहां कह देते हैं कि जरूरत नहीं है। अनतोल गन्ना रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि तुमको देना है तो १५ या २० मन मान लो, हम गन्ना ले लेंगे। इन चीजों को सरकार रोक नहीं पाती है।

अफसोस है कि आज व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तो नष्ट हो ही रही है, व्यवसाय की स्वतन्त्रता भी नहीं रखी जाती है, कि वह अपना माल जिस मूल्य पर चाहे और जहां चाहे बेच सके। आप बाध्य करते हैं कि आपके कृपा पात्र के यहां ही गन्ना ले जायं। अगर हम गुड़, चीनी या राब बनाना चाहते हैं तो सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? सरकार कहती है कि यह जनहित में है। जनहित में यही है कि तुम झक मार कर मिल मालिक के पास जाओ। अफसोस है यद्यपि इस विधेयक पर कि जितनी भी स्पीचेज हुई हैं, सभी ने इसका खण्डन किया है, तथापि जनमत वही माना जाता है जो आगे वाली बेंचों पर बैठने वाले कहें।

मैं सरकार से कहूंगा कि चुनाव पास है उनको रुपये के साधन बहुत हैं, बहुत जगहों से रुपया मिल जायगा। इतने कंट्रोल, परमिट, लाइसेंस देने वाले वह हैं। कम से कम यह आखिरी छुरी किसान के ऊपर न चलाएं। उनको इतनी स्वतन्त्रता वह दें कि वह अपनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

पैदावार को जिस तरह से, और जिस भाव बेचना चाहें, बेच सकें। किसान अपना हित जान सकता है। दूसरे लोग नहीं जान सकते हैं कि उसको क्या तकलीफ और आराम है। अगर हम गन्ने के किसान हैं तो हमको क्यों बाध्य किया जाय कि हम मिल को ही गन्ना दें? अगर किसान को मिल को गन्ना देने में लाभ है तो क्यों वह गुड़, राब या खांडसारी बनाने जायगा? आखिर जब वह सोचता है कि मिल में ही गन्ना देने से लाभ है तभी तो वह उसकी तरफ झुकता है? आप ढोल पीटते हैं कि हम किसानों के हामी हैं। फिर इतने टैक्सेज आप ले रहे हैं, उनसे संतोष हो जाना चाहिये और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी खैरियत है, इस बिल को वापस करके किसान को सांस लेने दिया जाय।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "उपर्युक्त विधेयक को जनमत संग्रह हेतु एक मास तक घुमा दिया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन पेश करने की जरूरत इसलिये पड़ी कि पिछली बार जब खाण्डसारी वालों पर यह गन्ना उपकर लगा तभी बहुत गौर से अध्ययन कर रहा था, आखिर में इस सरकार ने माना नहीं। उन लोगों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जो लोग अपने गन्ने से गुड़, राब या खाण्डसारी बनाते रहे या उनके यहां जो छोटे मोटे गरीब काश्तकार हैं वह अपना गन्ना बेचते रहे। संयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जो इस देश का उच्चतम न्यायालय है, उसने यह समझा कि सरकार ने यह टैक्स नाजायजतौर पर लगाया था, और नहीं लगाना चाहिये था। वह अन्तिम निर्णय हो गया। उस निर्णय के विरुद्ध, फिर इस सरकार ने अपनी झोली भरने के लिये, मिल मालिकों की रक्षा करने के लिये, किसानों को तबाह करने के लिये, घुमा फिरा कर, उसने फिर सदन में बिल प्रस्तुत कर दिया। यह बिल ऐसे लोगों से संबंध रखता है जो इस प्रदेश की अधिकांश जनता है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के आधे से अधिक लोग इस गन्ने की खेती करते हैं। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय ताकि वह लोग भी इस चीज को सोचें। इस प्रस्ताव के घुमाने से यह लाभ होगा कि वह किसान जो अभी तक सरकार की गतिविधि को नहीं जानते हैं, इसे उनके पास पहुंचाया जाय। लोग सोचें, समझें और फिर अगर सम्मति दें तो कोई ऐतराज नहीं है बिल पास हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का यह कहना है कि कुछ कमी है, उसको पूरा करने के लिये यह लाया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक अस्त्र है सरकार के पास और वह अस्त्र है जनहित का। मालूम नहीं यह जनहित का अस्त्र कितना महान है, कितना व्यापक है और कितना गड़बड़ है कि उसी अस्त्र को लेकर चाहे जनता की गर्दन पर छूरी चला दीजिए और चाहे उसकी रक्षा करिए, नाम उसका जनहित ही रहेगा। आपकी कृपा से मैं दो चार लाइन पढ़ना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो पढ़ूं। उसमें लिखा है कि "उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) अध्यादेश, १९६१ धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) में फैक्ट्री द्वारा गन्ने के क्रय पर प्रतिमन गन्ने पर १९ नये पैसे की दर से कर नियत किया गया है।" अब कर की दर को बढ़ाकर प्रति मन २५ नये पैसे करने का प्रस्ताव है। तो आज तक तो १९ नये पैसे लेते थे। अब २५ नये पैसे कर दिए। अभी यह चर्चा चली कि यह देगा कौन? यह आपने भी शायद पूछा था कि यह किसान से वसूल होगा या मिल मालिक से वसूल होगा? इसी सिलसिले में मैं आपके जरिये इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि क्रय-कर जिसके माने हुए कि जो खरीदेगा वह देगा।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो मिल मालिक गन्ना खरीदेगा उस पर तो यह टैक्स लग जायगा, लेकिन जिसके पास अपना फार्म है उसका क्या होगा ? उस पर यह टैक्स लगेगा या नहीं ? दूसरी चीज यह है कि टैक्स कोई दे लेकिन अन्त में तो वह सारा टैक्स उपभोक्ता पर ही जाकर पड़ता है । यह सारा पैसा उसी को देना पड़ता है । जो चीनी के दाम के रखने का तरीका है उसमें इन सारी चीजों को गन्ने का दाम, उस पर यह तमाम कर, मशीन की घिसाई, मजदूर की मजदूरी सब को जोड़ लिया जाता है। सरकार का जो यह सेस है यह भी उसी में जोड़कर तब चीनी का दाम रखा जाता है । तो किसी न किसी रूप में आकर वह उपभोक्ता पर ही पड़ता है । और जब इस प्रदेश में अधिक संख्या गन्ना पैदा करने वालों की है तो हमीं उपभोक्ता भी हैं । इसलिये यह टैक्स हमीं से वसूल होगा । अब वह चाहे मिल मालिक के जरिये वसूल हो चाहे किसी और के जरिये वसूल हो । वह तो उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक ट्रांसफार्मर है । उनके माध्यम से यह वसूल होता है । वह उसमें एक पैसा भी मेहनत करके नहीं लगाते हैं । मेहनत करने वाले और पैदा करने वाले तो हम हैं । कच्चा माल हम पैदा करते हैं और पक्का माल मजदूर पैदा करता है अपने मुंह में कालिख पोतकर और धूप और ताप सहकर । तो उसी से सब पैसा वसूल होता है । वही सरकार के पास भी आता है टैक्स के रूप में और मिल मालिक के पास भी जाता है मुनाफे के रूप में ।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक तीन आने यानी १९ नये पैसे आप वसूल करते थे एक मन गन्ने पर । अब आज आप चार आने वसूल करने जा रहे हैं । लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सदन ने एक प्रस्ताव पास किया था गन्ने का दाम १ रुपया १२ आने मन करने के लिये, उधर के भी कुछ सदस्य जो किसानों से हमदर्दी रखने वाले थे उन्होंने भी कहा कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाना चाहिये, लेकिन पिछले दो तीन वर्ष तक कोशिश करते रहने के बाद भी सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि किसान के घर भी कुछ पैसा चला जाय । उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जब किसान के पक्ष में कोई बात होती है तो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है । आप जानते हैं कि हमारे लिये गन्ने का सवाल जीवन और मरण का सवाल है । लेकिन अभी तक उस तरफ से कोई भी सदस्य न इसके पक्ष में बोला है न विपक्ष में । कोई बोल ही नहीं रहा है । वह शायद ऐसा समझते हैं कि यह सब विरोधियों का ही काम है। मैं इसे गौरव की बात समझता हूं कि अगर गरीबों और किसानों की बात रखने का हक केवल हमको ही प्राप्त है तो इससे बढ़कर गौरव की बात और हो नहीं सकती ।

आपकी इजाजत से मैं एक बात और पढ़ना चाहता हूं । वह कहते हैं कि हमारे पास केवल एक आंख है और उसी से हम सारे समाज को देखते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस प्रस्तावित विधेयक की धारा १४ पढ़ दूं । इसमें उन्होंने व्यवस्था रखी है कि छूट देंगे । इसमें लिखा हुआ है कि:—

"१४ (१) राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक-हित में ऐसा करना इस उद्देश्य से आवश्यक है कि– (क) फैक्टरियों को गन्ने की संभरण, अथवा उनके द्वारा गन्ने के क्रय, को प्रोत्साहित या विनियमित किया जाय, अथवा (ख) नयी फैक्टरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय (ग) १९५७–५८ की पेराई के मौसम के, पश्चात स्थापित ऐसी फैक्टरियों को जो ऐसा गन्ना क्रय करती हों जिससे शक्कर कम मात्रा में प्राप्त होती हो, सहायता दे सकती है:

गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी कर निर्धारण वर्ष में, इस अधिनियम के अधीन खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ऐसी फैक्टरी द्वारा देय कर में पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।"

अभी मेरे बोलने के पहले गेंदा सिंह जी ने कहा कि यह सरकार रियायत दे रही है ५८ के बाद की स्थापित फैक्टरियों पर और ऐसी फैक्टरियों को भी रियायत देगी कि जो कम मात्रा

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

में शक्कर पैदा करती है। पुरानी फैक्टरी भी इसमें आ सकती है और जब सरकार को यह मालूम हो जाय कि जनहित में करना उसके लिये आवश्यक है तो उसके लिये भी छूट हो सकती है। इस प्रकार से गोल करके सरकार ने इस ताकत को अपने हाथ में लिया है कि जिस पर चाहे पूरा रहने दे और जिस पर चाहे माफ कर दे या कम कर दे।

मैं इसके आगे की धारा १४ की उपधारा (२) को पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि "इसी प्रकार राज्य सरकार, किसी रक्षित क्षेत्र से फैक्टरियों को किये जाने वाले गन्ने के संभरण को विनियमित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसी इकाई द्वारा जो किसी फैक्टरी के भू-गृहादि दस मील के अर्द्धव्यास से अधिक दूरी पर स्थित हो, किसी कर निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के अधीन देय कर में पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दे सकती है।" इस धारा के अनुसार यह सरकार मिल मालिक को छूट दे सकती है लेकिन जो गुड़, खांडसारी या राब बनाने वाली इकाइयां हैं अगर वे १० मील से कम फासले पर स्थित हैं या मिल से १० मील के फासले के अन्दर हैं तो उसके लिये इस ऐक्ट के अन्दर कोई प्राविजन नहीं है कि यह सरकार उनको पूर्णतः या अंशतः छूट दे सके। इस ऐक्ट की धारा के मुताबिक उनको ही लाभ होगा जो इकाइयां गुड़, राब या खांडसारी की, मिल से १० मील की दूरी से अधिक पर स्थित हैं। यह पक्षपात नहीं तो क्या है? मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां उन पर गरीब किसानों के नाम पर बहुत दुहाई दी जाती है और उनके वोट के बल पर ही यहां पर बैठे हुए हैं लेकिन वह इस चीज का समर्थन करेंगे। मैं उनसे अपील करूंगा कि जरा इस चीज को देखा जाय।

इसी प्रकार से एक चीज मैं पढ़ना चाहता हूं जिसमें दण्ड देने की व्यवस्था की गई है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि कांतर का चोर कटारी से मारा जाता हो। मिल मालिक से आप २५ नये पैसे लेना चाहते हैं और दूसरे से आप लेना चाहते हैं ६ नये पैसे। जिससे आप २५ नये पैसे टैक्स वसूल करेंगे उसको आप छूट दे सकते हैं। २५ नये पैसे उसको माफ कर सकते हैं या कुछ कम कर सकते हैं। लेकिन जिससे आप ६ नये पैसे ले रहे हैं अगर वह १० मील के फासले पर स्थित है तो उसको आप छूट देने के लिये तैयार नहीं हैं। उसको छूट देने के लिये आप कोई गुंजायश नहीं रख रहे हैं। अब यह सजा की बात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि:—

"८—यदि कोई व्यक्ति धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन लगाये गये कर के भुगतान में चूक करे या इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करे, तो धारा ३ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन, यथास्थिति, ब्याज या दण्ड, अथवा दोनों का भुगतान करने के उसके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना वह अभियोग चलाये जाने और सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराये जाने पर, कारावास के दण्ड का जो छः महीने तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड का, जो पांच हजार रुपया से अधिक न होगा, अथवा दोनों का, भागी होगा और निरन्तर उल्लंघन करते रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थदण्ड का भागी होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रुपये से अधिक न होगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, सुरसा की तरह से कितना बड़ा पेट है इस सरकार का और कितना बड़ा बोझ और डंडा इस सरकार पर मिल मालिकों का पड़ा हुआ है इसको देखा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसीलिये कि इसको प्रदेश के कोने-कोने में घुमाया जाय। राब बनाने वाली इकाई अगर उल्लंघन करे नियमों का तो उसके लिये ६ महीने की सजा और टाटा बिरला, फैक्ट्री का मालिक अगर उल्लंघन करे तब भी वही ६ महीने की सजा जो लाखों करोड़ों रुपया कमायें जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके बल पर सरकार बैकडोर से यहां चली आयी है उसके लिये भी वही सजा और वह है ५,०००

रुपया तक जुर्माना, ६ महीने की सजा और अगर करते रहें उल्लंघन तो १००० रोज। यह व्यवस्था आप देखिये। कितनी उदार है यह सरकार प्रदेश की जनता के लिये और घरेलू उद्योग धन्धों के लिये। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आज के पहले जब कोआपरेटिव सोसाइटियां थीं तो उनका काम था गन्ने की परताल करना, पर्ची की व्यवस्था करना, खाद देना, अच्छा बीज देना, और उस व्यवस्था में किसान को आसानी होती थी। वह अपना गन्ना मिल गेट पर ले जाता था और उसका एक रेकार्ड रहता था, हिसाब-किताब रहता था, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि वह किसान जो मिल से दूर रहता है उस पर सरकार की यह गिद्ध दृष्टि, यह पैनी दृष्टि क्यों पड़ रही है। यह जो लघु उद्योग धंधे के नाम पर राब, खण्डसारी आदि बनाते थे उनको भी अब हिसाब-किताब रखना पड़ेगा। इस सिलसिले में जो अधिकार दिये गये हैं शक्कर आयुक्त को, उन्हें मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं। यह धारा ७ में इस प्रकार है "७—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये शक्कर आयुक्त—

(क) फैक्टरी के स्वामी या इकाई के स्वामी से ऐसे अभिलेख आधार सामग्री या सूचना, जो नियत की जाय, रखने देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और

(ख) यदि उसकी यह राय हो कि लाइसेंस ग्रहीता ने इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का अथवा लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन किया है या उसके द्वारा उसका उल्लंघन किये जाने की संभावना है तो, किसी फैक्टरी या इकाई के भू-गृहादि में प्रवेश कर सकता है और उनकी तलाशी ले सकता है और गन्ने का रस, गुड़ या राब के, या उनसे बनने वाली किसी वस्तु के, बनाने या उत्पादन से सम्बद्ध किन्हीं उपकरणों या अभिलेखों को जब्त कर सकता है और उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले सकता है।"

यह मजे की बात है। आप कह दें कि आप अपना सब बोरिया बंधना उठाओ, हम न किसी को खाण्ड बनाने देंगे न कोल्हू लगाने देंगे, कोई काम नहीं करने देंगे। अगर ऐसा कह देते तो ही अच्छा होता, लेकिन इसका क्या मतलब? केन कमिश्नर जो उत्तर प्रदेश का होगा, अगर वह समझ ले कि कोई गुड़ या खण्डसारी बनाने वाली इकाई नियमों का उल्लंघन कर रही है अथवा उसके उल्लंघन कराने की संभावना है तो वह उस फैक्टरी में या इकाई के भू-गृहादि में प्रवेश कर सकता है और उनकी तलाशी ले सकता है और गन्ने का रस, गुड़ या राब के, या उनसे बनने वाली किसी वस्तु के, बनाने या उत्पादन से सम्बद्ध किन्हीं उपकरणों या अभिलेखों को जब्त कर सकता है और उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले सकता है। यह क्या है? आप उसे डिटेक्टर बना दीजिये और कह दीजिये कि गोली मार सकता है। इससे बढ़ कर और क्या होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक इरादे पर किसी को सजा नहीं होती है। मेरे यहां का मामला है, एक क्षत्रिय का बध हुआ मेरे इलाके में। ३ अहीरों ने उसे मिलकर मारा और जब वह मरने की स्थिति में पहुंचा तो उनमें से एक ने कहा कि अब अधिक न मारो, वह मर जायगा। डाईंग डिक्लेरेशन हुआ। उसने यह कहा कि इन तीनों में से एक ने कहा था कि अधिक मत मारो नहीं तो मर जायेगा। इसी पर उसको सजा फांसी की नहीं हुई और दो को फांसी की सजा हुई और इसलिये हुई कि उनकी इच्छा थी उसको मारने की। तो इस तरह सरकार केन कमिश्नर को यह तमाम अधिकार दे रही है कि वह उस गरीब किसान का जाकर चूल्हा तोड़ आयें, उसके बरतन आदि उठा कर ले आयें, उसकी मशीन तोड़ आयें। जो मन में आये वह करें। यह सरकार चाहती है। वह उनका हिसाब-किताब देख सकती है, किन्तु जब वे पढ़े-लिखे हैं ही नहीं तो वे हिसाब कैसे रखेंगे।

पहले श्री सम्पूर्णानन्द मुख्य मंत्री थे, माननीय बहुगुणा जी उप-मंत्री थे, आज उन्हीं की जगह पर बड़े तपाक से दूसरे आदमी आ गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं आज भी यह सरकार इस बात के लिये तुली हुई है कि किसानों को बरबाद करें। आज तक वे किसी तरह से अपने गन्ने को पेर कर अपना काम चलाते थे, सरकार ने उसको भी बन्द कर दिया। मैं भी एक किसान हूं, मैं जानता हूं कि आज सरकार के इन कानूनों से कितनी परेशानी है। आज किसान चाहता

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

क्या है ? आज किसान चाहता है कि वह गन्ना बोये और उसमें उसका अधिक से अधिक उत्पादन हो। आज वह चाहता है कि उसका खेत मार्च के पहले ही खाली हो जाये ताकि उसमें वह दूसरी फसल बो सके । सरकार यह चाहती है कि वह गन्ना ऐसा बोये जिससे कि उसमें चीनी अधिक हो और मिल मालिक को फायदा अधिक हो। वह चाहती है कि किसान ऐसा गन्ना न बोयें जिससे उत्पादन अधिक हो। किसान यही चाहता है कि माघ-फाल्गुन तक उसके खेत खाली हो जायं और वह दूसरी फसल भदई की बो सके और किसी तरह से उसका खेत बरबाद न हो। सरकार यह चाहती है कि तुम जेठ तक खेतों में अपना गन्ना रखो। तो इस तरह से क्या यह सरकार किसानों का भला चाहती है ।

मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां एक धर्मपुर गांव है। सन् १९३६ में वहां एक चुनाव हुआ। उसमें वहां की एक फैक्टरी के राजा साहब खड़े हुये और एक और सज्जन रामधारी पांडेय खड़े हुये। यह कांग्रेस की ओर से थे। राजा साहब को उसने वोट नहीं दिया। तो रंजिश के मारे राजा साहब ने उस आदमी को जो कि उनकी फैक्ट्री के ३ मील के दायरे में रहता था, उसको अपने जोन से निकाल दिया और उसका गन्ना नहीं लिया। कहा कि उसका एरिया १० मील की दूरी पर है। अब उसे अपने गन्ने की कम कीमत मिलती है और कम कीमत पर उसे बेचना पड़ता है। तो जहां किसान के फायदे की कोई चीज होती है वहां यह सरकार कुछ नहीं सोचती और करती है, जहां मिल मालिकों के फायदे की बात होती है वहां फौरन कोई न कोई बिल ले आती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार यह न समझे कि किसान आपकी इन बातों को समझता नहीं है। वह सब समझता है।

इसमें श्रीमन्, इकाई की जो परिभाषा है वह भी बड़ी अजीब है। "उसमें गन्ना पूर्ति" और "विनियमन" शब्दों को रखा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जोन की परिभाषा को ठीक करिये। अगर आप उसको गन्ना पेरने के लिये अधिकार नहीं देते हैं तो ऐसे जोन बनाइये ताकि जो गन्ना मिल गेट के करीब हो वह गन्ना उन फैक्ट्रियों में लिया जाय और जो गन्ना दूरी पर हों वह और जगहों पर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस विधेयक को सरकार ने इसलिये प्रस्तुत किया है क्योंकि पहले के विधेयक को सुप्रीमकोर्ट ने अवैध करार दे दिया है। इस विधेयक के जरिये सरकार बहुत से ऐसे अधिकारों को हासिल करना चाहती है जो कि अब तक सरकार के हाथ में नहीं थे।

मान्यवर, गन्ने का सवाल हमारे देश और प्रदेश के लिये बहुत अहम है। इसका सम्बन्ध लाखों किसानों, मजदूरों और सरकारी कोष से भी है। यहां पर और बाहर भी हमेशा इस सवाल को उठाया गया है कि गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिये। यहां की असेम्बली और बिहार की असेम्बली ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। यह सरकार किसानों से काफी चिढ़ी हुई है। गत वर्ष खंडसारी वालों पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था उसमें काफी छूट थी। माननीय गेंदासिंह जी उसके के बारे में काफी कह चुके हैं, अब मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। अब इस विधेयक के जरिये सरकार यह प्रतिबन्ध लगाना चाहती है कि कोई भी खंडसारी का उद्योग बिना लाइसेन्स लिये चलाया न जा सके और उसकी सीमा सरकार सुरक्षित मिल एरिया में कर रही है। दस मील के अन्दर कोई भी खंडसारी का उद्योग नहीं लगा सकता। गत वर्ष जब सरकार ने एक रुपया दस आना मन गन्ने का दाम तय कर दिया था, खंडसारी वालों ने किसानों को दो रुपया मन गन्ने का दाम दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि मिल मालिकों ने सरकार पर दबाव डाला कि खंडसारी उद्योग के कारण

उनको ज्यादा गन्ना सुलभ नहीं हो रहा है। वह बात सरकार के दिमाग में भी आ गई। सरकार ने सोचा कि किसानों को किस तरह से चौपट किया जाय। सरकार ने विचार किया कि ऐसे विधेयक के द्वारा, जैसा कि इस समय हमारे सामने सरकार द्वारा प्रस्तुत है, जनता पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है कि दस मील के अन्दर सुरक्षित क्षेत्र में खंडसारी का कोई उद्योग नहीं चलाया जा सकता है। इसमें शक्कर आयुक्त के लिये जो अधिकार रखे गये हैं वे बहुत ही ज्यादा हैं। अब लाइसेंस लेने के लिये पूर्व और पश्चिम से लखनऊ आना पड़ेगा जिसमें लोगों का हजारों रुपया खर्च हो जायगा। इसके साथ ही साथ शक्कर आयुक्त के लिये एक और अधिकार यह रख दिया गया है कि अगर वह संतुष्ट हो जायगा तभी लाइसेंस देगा वरना नहीं देगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारी नीति छोटे-छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने की है लेकिन दूसरी तरफ इस विधेयक के जरिये आप तरह-तरह के बन्धनों में उनको बांधते जाते हैं तथा बहुत से लोगों को आप लाइसेंस भी नहीं देना चाहते हैं।

एक अधिकार यह भी है कि वह किसान के घर में जाकर देखेगा कि कहीं उसके घर में रस तो छिपा नहीं है, कहीं चोरी से कोल्हू तो नहीं चला रहा है। एक तरफ तो आपकी दृष्टि इतनी तेज है दूसरी तरफ कानपुर के मिल मालिकों के ऊपर सरकार का लाखों रुपया बिजली और टैक्स का बकाया है लेकिन उस तरफ आपकी दृष्टि नहीं जाती है। मैं चाहता हूं कि आपकी दृष्टि उधर से हट कर इन मिल मालिकों की ओर जाय।

इसमें छूट देने की बात भी कही गयी है कि अगर शक्कर आयुक्त संतुष्ट हो जाता है कि मिल ५७–५८ से चल रहा है, नयी फैक्ट्री लगाने वाला है, इसलिये जो कर २५ न० पै० के हिसाब से लगेगा, उसमें वह छूट दे सकता है। लेकिन किसानों को कोई छूट नहीं दी जाती है।

गन्ना के किसानों ने लाखों रुपया सहकारी मिल के लिये कई स्थानों पर जमा कर रखा है लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। वैसे सरकार सहकारिता की बात करती है। हमारे सूबे के किसान खांडसारी को और मिलों को ४२ करोड़ मन गन्ना देते हैं लेकिन सरकार उनको हर तरह से उलझन में डालना चाहती है और गन्ना के किसानों और फैक्ट्री के मजदूरों को सरकार हर तरह से परेशान करना चाहती है।

माननीय गेंदासिंह जी ने बताया कि दक्षिण और दूसरे स्थानों पर ऐसा कोई कानून नहीं है। सरकार कहती तो है कि हम गन्ने की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सरकार बताये कि हमारे सूबे में और देश में पैदावार किस हिसाब से बढ़ी है। कितनी मध्य प्रदेश में और आंध्र में बढ़ी है? आंकड़ों को देखने से मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में पैदावार सबसे कम है। एरिया में विस्तार होता जा रहा है लेकिन पैदावार फी एकड़ कम होती जा रही है। इस ओर हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

केन विभाग के अधिकारी हर जिले के शहरों में रहते हैं जो किसानों को न तो कोई शिक्षा देते हैं और न कोई नया तौर तरीका ही बतलाते हैं लेकिन जब रुपया लेने की बात आ जाती है तो उनकी निगाह किसानों पर पहुंच जाती है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब तक शुगर मिलें पूंजीपतियों के हाथ में रहेंगी तब तक तरह-तरह के नियम बनते जायंगे और वे अवैधानिक होते रहेंगे। वे भी कम तिकड़मबाज नहीं हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इन कम्पनियों को अपने हाथ में ले ले और इनका राष्ट्रीयकरण कर दे। इसका नतीजा यह निकलेगा कि हमेशा के लिये जो किसानों और मजदूरों की मांग बनी रहती है वह इस असेम्बली के अन्दर सवालों के जरिये या और तरह से बातें करके, हर तरह के मामले जो किसानों के, मजदूरों के या गन्ने के होते हैं उनको निपटाया जा सकता है। अगर सरकार इनको अपने हाथ में ले ले तो रोज-बरोज इस तरह के कायदे कानून बनाने की जरूरत न पड़े और आये दिन जो कानून अवैधानिक होते रहते हैं, और जिनमें लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं, इसकी भी जरूरत न पड़े। इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और इस विधेयक के जरिये जो खांडसारी और शुगर उद्योग

[श्री ऊदल]

करने वाले किसानों के ऊपर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, मैं समझता हूं कि सरकार माननीय गेंदासिंह के संशोधन को मान कर इस विधेयक को वापस ले ले तभी हमारे प्रदेश का और यहां के किसानों का भला हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं इस पर आप लोगों की राय लेना चाहता हूं कि कल ५ बजे तक इस विधेयक को पारित करना है, तो कब तक आप इस पर विवाद करना चाहते हैं और कब संशोधनों को लेना चाहते हैं, क्योंकि संशोधन भी काफी हैं और महत्वपूर्ण हैं। ऐसी हालत में अगर माननीय सदस्य बोलने का लोभ संवरण कर सकें तो आज इसको समाप्त कर दिया जाय माननीय मंत्री जी के भाषण से और कल हम संशोधन ले लें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण भाषण हो चुके हैं, करीब-करीब सभी विषयों पर हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में कोई सुझाव आप लोग देंगे ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि यह विधेयक ऐसा नहीं है कि इस पर बोलने वालों की कमी होगी और कई और चीजें बाकी रह जायगी क्योंकि साल में ७ महीने का जो कार्यक्रम है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि अभी आप इसको ऐसे ही ले चलिये, अगर आप समझेंगे कि सभी विषयों पर बातें हो गयीं तो आगे चल करके कुछ कमी कर दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष--तो यों रख दें कि कल २ बजे से ५ बजे तक संशोधनों के लिये रख लें और २ बजे तक यह विचार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाय।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)--श्रीमन्, यह उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) विधेयक, १९६१ जो सदन के सम्मुख पेश हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे अपने साम्य-वादी, प्रजा समाजवादी मित्रों के साथ-साथ अन्य मित्रों की बुद्धि पर तरस आता है। इस मामले पर तरस आता है कि यह गन्ना सेस जो था करीब-करीब ५२ करोड़ रुपया।

श्री उपाध्यक्ष--राजा साहब को आपने अन्य मित्रों में रखा है या खास मित्रों में ?

श्री राजदेव उपाध्याय--मुझे तो श्री गेंदासिंह जी की बुद्धि पर भी तरस आता है। कुछ देर पहले मेरी उनसे बातचीत हुई थी। गन्ना सेस का जो ५२ करोड़ रुपया है उसे सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज करार दिया और उसकी वजह से यहां एक अध्यादेश जारी हुआ जो अब विधेयक के रूप में सदन के सामने आया है। जो सदा से समाजवाद की बात करते ह, जो समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं, और यह कहते हैं कि सरकार पूंजीपतियों से मिली हुई है, मैं समझ नहीं पाता कि यह सरकार पूंजीपतियों से मिली हुई है या आप लोग पूंजीपतियों से मिले हुए हैं। क्या केन सेस का वह ५२ करोड़ रुपया उनके पास छोड़ दिया जाय जो इस विधेयक के जरिये सरकार के खजाने में जो जनता का ही खजाना है, आ रहा है और जिसका एक-एक पैसा विकास के कामों में और गरीब तथा शोषित जनता की गरीबी को मिटाने में खर्च हो सकेगा ?

मैं जानना चाहता हूं अपने मित्रों से कि जहां से वह बड़ी लम्बी चौड़ी गरीबी और किसानों के दुख को दूर करने की बात करते हैं और कहते हैं कि यह सरकारी वर्ग पूंजीपतियों से मिला है वहां वह जरा अपने को देखें कि पूंजीपतियों से वह मिले हैं या हम मिले हैं। हमारे यहां एक कहावत है कि 'अन्धा बांटे शीरीनी टोय टोय अपने को देय'। हमको भी इस विधेयक को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने इसको बड़े गौर से देखा कि वह सारा पैसा जो पूंजीपतियों की पाकेट में जा रहा था और गलत तरीके से जा रहा था उसको उनसे वसूल करने के लिये यह विधेयक आया है। जिस पैसे से वह पूंजीपति मोटे, हरे और बलवान होते जा रहे थे उसको लेकर अगर सरकार जनता के विकास के कार्यों में लगाती है तो किसी को

क्या एतराज है। जो आपकी मंशा है हमारी भी वही मंनशा है कि इस प्रदेश के किसानों का भला हो, यहां के मजदूरों का भला हो और यहां का विकास का कार्य दिन दूना रात चौगुना बढ़े और हमारा प्रदेश ऐसे स्तर पर पहुंच जाय कि यहां से गरीबी, भुखमरी, बेकारी, शोषण, दुख, दर्द का सम्पूर्ण विनाश हो जाय। मैं मानता हूं कि इस दिशा में हम और आप बराबर प्रयत्नशील हैं मुझे आपके विचारों के विषय में कोई अटैक करने की जरूरत नहीं है।

अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि इस विधेयक पर उधर के माननीय सदस्य नहीं बोल रहे हैं। वह समझते हैं कि हम ही किसानों के हमदर्द हैं, हम ही किसानों के वोट पर आये हैं, हमें ही गरीबों का दुख दर्द है लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि हम भी गरीबों के उतने ही हमदर्द हैं और इसीलिये किसानों ने हमें सरकार बनाने का मौका दिया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपका कर्तव्य है कि किसानों के हित में यह सरकार जो काम करे उसको आप सपोर्ट करें लेकिन हमें दुख है कि इस सरकार द्वारा चाहे जितनी भलमनसाहत और नेक नीयती से कोई काम किया जाय लेकिन उधर से उसका विरोध ही होता है। मैं चाहता हूं कि उधर के लोग भी ऐसे जन-कल्याण के विधेयक को सपोर्ट करें जिससे प्रदेश के गरीब किसानों का भला हो और उन पूंजीपतियों से वह बड़ी रकम निकल कर प्रदेश की भलाई के लिये आये। ऐसे कानून की जितनी भी सराहना की जाय वह कम है।

एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अवश्य निवेदन करूंगा कि एक भ्रम इधर और उधर दोनों तरफ चल रहा है उसे जरा वह दूर कर दें। वह एक क्लाज को लेकर है जिसे मैं पढ़े देता हूं कि "इकाई का तात्पर्य गुड़, राब या खंडसारी शकर बनाने वाली इकाई से है जैसा कि वह उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में परिभाषित है।" तो एक भ्रम सा जो चल रहा है उसको मैंने समझने की कोशिश की और मैंने अपने घनिष्ट मित्र माननीय गेंदासिंह जी से बातचीत भी की। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि सरकार मिलों के क्षेत्र में या बाहर गुड़ या खांडसारी बनाने वाली इकाइयों के बैल चालित कोल्हुओं पर भी कोई लाइसेंस लगाने वाली है या यह अधिकार केन कमिश्नर को देना चाहती है। मैंने इस विषय में अभी माननीय मंत्री जी से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा विचार इस विधेयक में कहीं भी नहीं है। इसलिये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मिल के क्षेत्र में या उसके बाहर कहीं भी बैल चालित कोल्हुओं पर लाइसेंस लगाने का विचार नहीं है, ऐसी बात पारसाल भी आई थी और वह खत्म हो चुकी है, पंत जी के जमाने में भी ऐसी चीज आई थी और उस वक्त भी यह चीज नामंजूर हो गई थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाऊंगा कि पूर्वी जनपद में या पश्चिमी जनपद में गुड़ की गम्भीर समस्या है और किसान कोल्हू के द्वारा अपना रोजगार करके जीवन यापन करते हैं। ब्रज-नारायण तिवारी जी यहां बैठे हैं। उनके क्षेत्र में एक बतरौली ग्राम है, वहां ७५ कोल्हू चलते हैं। मेरे ग्राम के पास है। हालत यह है कि चार हजार, पांच हजार रुपये में जमीन अगर बिकने वाली हो तो किसान ले लेगा। लाखों रुपया किसान के जेबों में है। किसान मालामाल है उस कोल्हू की वजह से।

मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो बैल चालित कोल्हू हों, चाहे मिल एरिया में हों, मिल के पास हों या दूर हों, उन पर अगर कोई प्रतिबन्ध हुआ तो यह सदन बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान को इतनी छूट होनी चाहिए कि वह अपना गन्ना मिलों को ले जाय या गुड़ बनावे और राब बनावे। रह गई विद्युत चालित कोल्हू, केन क्रशर, की बात, तो जो यंत्र के जरिए केन क्रशर चलते हैं, बिजली से चलते हैं, उनके बारे में केन कमिश्नर को कोई आदेश हो तो आप उसको साफ कर दें ताकि कोई आशंका न रहे। एक तरफ तो आप छोटे उद्योग धंधों का जाल बिछाना चाहते हैं, कोआपरेटिव की बात करते हैं, देहात के जो बेकार, गरीब और मजदूर आदमी हैं उनको काम देना चाहते हैं जिससे कि

[श्री राजदेव उपाध्याय]

उनको रोटी-रोजी चल सके और दूसरी तरफ अगर आपने इस गुड़ के बारे में, इस कोल्हू के बारे में कोई प्रतिबन्ध लगाया तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि सदन उसको हर्गिज बर्दाश्त नहीं करेगा।

तीन लाला कोटा बनाया गया जब कि गन्ना जो है हमारे प्रदेश में वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। ९० दिन का सीजन माना गया है। अब मैं समझता हूं कि २०० दिन का हो गया है। आज भी बहुत सी मिलों के एरिया ऐसे हैं, जैसे घुघली, सिसवा, खड्डा, पिपराइच और स्योरही जो गेंदासिंह जी का क्षेत्र है, जहां डेढ़ हिस्सा गन्ना अभी मिल को गया है और ढाई हिस्सा अभी किसान के खेत में खड़ा है। इसलिये बैल चालित कोल्हू पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। मंत्री जी अपना स्टेटमेंट दें तो इस बात को साफ कर दें ताकि सदन में किसी प्रकार की गुमराही न रहे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय श्री ब्रजनारायण तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत है, अपने प्रदेश की सब से बड़ी जो आबादी है गन्ना किसानों की, उससे सम्बन्धित है। मुझे जहां तक जानकारी है, लगभग २० लाख परिवार गन्ना किसान का इससे सम्बन्धित है। डेढ़ करोड़ आबादी अपने प्रदेश की ऐसी है जो इस गन्ना से अपने जीवन को बिताती है। सारे देश मे जितना गन्ना होता है अपने उत्तर प्रदेश में उसका आधा हिस्सा पैदा होता है। उस आधे हिस्से में से ५० प्रतिशत गन्ना तो कोल्हू के जरिये पेरा जाता है और ३५ प्रतिशत गन्ना चीनी मिल मालिक पेरते हैं। १५ प्रतिशत गन्ना बीज और चूसने आदि के काम में आता है। जो विधेयक हमारे सामने पेश है हमको इस पर विचार करना चाहिए और हमें बड़ी तकलीफ है कि जिस विधेयक से डेढ़ करोड़ किसानों का सम्बन्ध है उस विधेयक पर सदन और खास तौर से उधर के बैठने वाले जो साथी हैं वह दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और दिलचस्पी न लेने का कारण मेरी समझ में यह हो रहा है कि गन्ना किसानों की समस्याओं का अध्ययन नहीं है और दिलचस्पी उधर नहीं है इसीलिये इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर उदासीनता है।

आप जानते हैं अपने प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या बड़ी जटिल है। एक तरफ़ किसान काफी रकबे में गन्ना बोते चले जा रहे हैं और इसलिये बोते हैं कि और सामान खरीदने के उसके जो साधन हैं उनका जरिया सिवाय गन्ने की खेती के और कोई नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जितना पैसा गन्ने के किसानों से मालगुजारी के बहाने, टैक्स के बहाने सरकार लेती है, उसका छठा हिस्सा भी गन्ने की बढ़ोत्तरी के लिये खर्च नहीं करती है और प्रदेशों में चीनी मिलों का जाल बिछता चला जाता है और यहां का चीनी मिल मालिक सरकार को धमकी देता है कि अगर प्रदेश में गन्ने की कीमत बढ़ी तो वह मजबूर होकर इस प्रदेश से अपनी मिल उठा करके दक्षिण में लगा लेगा। इस तरह की धमकियों से सरकार मजबूर होकर किसानों के साथ जबरदस्ती करती है।

एक कहावत है श्रीमन् "जबरा मारे रोवै न देय"। सरकार का रवैया इसी उदाहरण से ओत-प्रोत है। कौन ऐसी सरकार हो सकती है जो कहे कि १० मील एरिया के अन्दर तुम कहीं कोई केन क्रशर नहीं लगा सकोगे? यही नहीं जितना गन्ना बोया है उस सारे को मिल में देना होगा और अगर पूरा गन्ना मिल न ले तब भी तुम अपना गन्ना सुखाने के लिये मजबूर हो लेकिन खांडसारी नहीं बना सकते हो। लाइसेंस आप देंगे नहीं। मैं अपनी बात कहता हूं, मैं एक सोसाइटी चलाता हूं। एक साल पहले दिसम्बर, १९५९ में हमने अपने हाथ से एप्लीकेशन दी कि हमको लाइसेंस दिया जाय केन क्रशर लगाने के लिये, हमारे यहां कोई रिजर्व एरिया भी नहीं है। तो १ साल १ महीने के बाद जनवरी में आर्डर आया है कि आप लगा सकते हैं १ साल के लिये। मैं समझता हूं कि १ साल के लिये केन क्रशर लगाना सरकार के बूते

की भी बात नहीं है, किसी और की तो बात ही क्या है। आप यह भी देखें एक तरफ मिल आफर मांगती है, सोसाइटी आफर देती है और अगर ढाई लाख का आर्डर सोसाइटी ने दिया तो ५०,००० की स्वीकृति मिल मालिक देता है और उस ५०,००० की हालत यह है कि १, २ सोसायटीज, १ रेलवे स्टेशन और १ कोटा, दोनों जिलों के गन्ना किसान एक काटे पर गन्ना देते हैं और नतीजा यह होता है कि सैकड़ों गाड़ियां आती हैं, ठेकेदार मजबूर करता है गन्ना किसानों को कि तुम अपने बूते पर गाड़ी को फेर कर चले जाओ। कम से कम प्रति गाड़ी ठेकेदार १८, २० मन गन्ना किसानों से लेता है। इस तरह चोरी से हजारों रुपये माहवार की आमदनी सरकार ठेकेदारों को करवाती है।

इसकी क्या सफाई है कि सरकार मालगुजारी ले, टैक्स ले, सारे साधन ले फिर किसान जो गन्ना बोता है उसको मिल में देने के लिये सरकार इन्तजाम न करा सके और फिर कहे कि बिना लाइसेन्स के गन्ने से खांडसारी नहीं बनाने पायेंगे और जब चाहे गन्ना आयुक्त उस लाइसेन्स को कैन्सिल भी कर दे। अब आप सोचें कि १ लाख रुपये का कोई केन क्रशर लगाये और गन्ना आयुक्त जब चाहे एक साल के बाद कैंसिल कर दे तो कौन जिम्मेदारी लेगा एक लाख रुपये खर्च करने की। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सोसाइटियों के जरिये से या अपने तौर तरीके पर जहां कहीं भी केन क्रशर लगे हैं वे सब टूट रहे हैं। आजमगढ़ की बात मैं कह रहा हूं, घोसी में कोआपरेटिव सोसाइटी की ओर से केन क्रशर लगा है १० हजार रुपया सालाना उस पर टैक्स है, किसान गन्ना बोता है, कुछ साधन सुलभ किये गये हैं, सिंचाई के और जहां गन्ना १ बीघा में ३०० मन होता था वहां ५०० मन होने लगा है लेकिन यह कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है सरकार की कि जो किसान सामान पैदा करता है उसको वह बाजार न दे सके, उसको खपाने का इन्तजाम न करा सके। यह प्रदेश के किसान के साथ बड़ी ज्यादती है जो गन्ना आयुक्त को लाइसेन्स देने का अधिकार सरकार दे रही है, इसे खत्म करना चाहिये।

श्री राजदेव उपाध्याय जी का लेक्चर जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी ने यह नहीं कहा कि ५०, ६० करोड़ रुपया मिल मालिकों की जेब से लेने के लिये जो यहां पर विधेयक पेश है वह खराब है। उपाध्याय जी को कुछ कहने को नहीं मिला तो यह कह दिये। बात कुछ और कही जा रही है और जवाब कुछ दिया जा रहा है। वह माननीय सदस्यों के भाषण ध्यानपूर्वक सुनते तो शायद इस तरह की बात कहने के लिये जल्दबाजी नहीं करते। उनके जिले में खुद गन्ने के किसानों की समस्या बड़ी कठिन है। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो जानकर भी अन्जान हो जाते हैं। जागते हुये आदमी को जगाना बड़ा कठिन होता है, सोते को जगाना आसान होता है, । श्री राजदेव उपाध्याय उन्हीं लोगों में हैं जो जानते हैं, लेकिन जान-बूझ कर अन्जान बनते हैं और सरकार द्वारा जो गलत कानून करोड़ों किसानों को चूसने के लिये लाया गया है उसमें मदद देना चाहते हैं।

शुल्क लेने की जो परिपाटी है वह भी बहुत खराब है । श्री गेंदासिंह जी ने कहा कि बाढ़ आई, सूखा पड़ा, ओला तथा पत्थर पड़े। एक तरफ तो सरकार यह एलान करती है कि मालगुजारी तथा तकावी मुल्तवी है लेकिन दूसरी ओर एक अथवा दो रुपये के लिये किसान की आज कुर्की हो रही है। एक तरफ सैकड़ों मन गन्ना किसान अपनी गाढ़ी कमाई का मिल को दे बैठा है इसकी कीमत उसको नहीं मिलती है दूसरी तरफ दो रुपया मालगुजारी के लिये उसके बैल की कुर्की हो रही है। सरकार का फर्ज है कि ऐसी बातों को देखे और उन्हें रोके।

श्रीमन, मैं कहूंगा कि मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा माननीय उप मन्त्री जी से निवेदन किया है कि मिले किसानों के गन्ने को उस पैमाने से नहीं लेना चाहती हैं जिस पैमाने से उन का गन्ना वक्त से पेरा जा सके। सरकार के जो जिलों में केन आफिसर हैं उनका न तो किसानों से कोई कन्टैक्ट है और न उसको अख्तियार है कि मिल के मैनेजर के खिलाफ

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

वे कोई कार्यवाही कर सकें। जहां हमारे गन्ने की कीमत बाकी रहे उसको मालगुजारी की तरह वसूल करने का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार है लेकिन वह वसूल नहीं करते मगर हमारी मालगुजारी वसूल हो सकती है और वसूल की भी जाती है। इन सारी कठिनाइयों को देखने के बाद अगर इस विधेयक में केवल ५० करोड़ रुपये की वसूली वाला अंश होता तो हम लोगों को इसका समर्थन करने में कोई कोताही नहीं होती और मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में केवल यही अंश रहने दे और बाकी को निकाल दे। ऐसा करने से करोड़ों किसानों का फायदा होगा और वह ग्रामोद्योग जो अपने प्रदेश के सबसे प्रमुख ग्रामोद्योग हैं---गुड़ और खांडसारी,---जिनमें देश भर में २२ लाख आदमी लगे हुये हैं और केवल उत्तर प्रदेश में १० लाख आदमी लगे हुये हैं, जिस उद्योग से करोड़ों आदमियों का जीवन यापन होता हो उसकी उन्नति होगी। वरना ऐसे उद्योग पर इस विधेयक के जरिये कुठाराघात किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि जनता के हक पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है जिसके कारण एक बहुत बड़ी शक्ति जो गांवों में मिली हुई है वह टूट जायगी।

इन शब्दों के साथ मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि मिल मालिकों से जो ५० करोड़ रुपया वसूल करने वाला अंश है केवल उसी को इस विधेयक में रखें और बाकी के सारे अंश को निकाल कर अपने प्रदेश में किसानों की समस्या को हल करने में हाथ बटायें।

श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मेरे कई दोस्तों ने यह कहा कि सरकार ने गन्ना के किसानों के लिये कुछ भी नहीं किया और इस विधेयक के द्वारा किसानों का बड़ा अहित होगा। श्रीमन्, यह सभी को विदित है, कि अगर यह विधेयक सदन के सामने लाकर पास न करा लिया जाय तो किसानों का कहां तक हित होगा। साथ ही साथ मैंने जो कम्युनिस्ट साथी श्री ऊदल के भाषण को सुना तो मुझे यह मालूम हुआ कि उनको गन्ने के किसानों और शुगर फैक्टरीज की दशा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अगर उन्होंने गन्ने के एरिया को देखा होता तो कदापि यह न कहते कि सरकार ने किसानों के लिये कुछ नहीं किया। क्या कोई यह कह सकता है कि सी० सी० ट्रैक नहीं बनाया गया है? क्या आज कोई यह कह सकता है कि फैक्टरी एरिया के अन्दर जहां-जहां सड़कें कच्ची थीं वे पक्की नहीं बनायी गयी हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि गोरखपुर डिवीजन में करीब ३२-३३ शुगर फैक्ट्रीज हैं लेकिन कोई भी फैक्टरी ऐसी नहीं है जहां बीसों मील तक सी० सी० ट्रैक न बनाया गया हो। साथ ही साथ जहां पर गन्ना गिराया जाता है वहां पर शेड्स बना दिये गये हैं, बैलों के पीने के लिये पानी की व्यवस्था की गई है, किसानों के ठहरने के लिये व्यवस्था की गयी है। हर जगह टिन शेड्स हैं। इन सबों को देखते हुये यह कह देना कि गन्ने के किसानों के लिये कुछ नहीं किया गया सही नहीं है। यह सब किस ने किया? क्या जो विरोधी सदस्य बातें किया करते हैं उन्होंने बनवाया? यह सब सरकार ने किया। तो हाउस में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये जो सत्य से परे हों।

एक बात क्रेन क्रशर की सामने रखी जाती है। अगर हम किसी देश में या किसी एरिया में कोई फैक्टरी चलवाना चाहते हैं तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी और हमारी सरकार की होती है। अगर हम सब स्थानों पर स्वतन्त्रता ला दें और फैक्टरी गेट पर ही क्रेन क्रशर लगा दें तो यह मानी हुई बात है कि दोनों में एक होड़ लग जायगी और उसका नतीजा यह होगा कि छोटी पूंजी वाला बिलकुल मिट जायगा। इसलिये फैक्ट्री की रक्षा के लिये और क्रेन क्रशर वालों की रक्षा के लिये यह उचित है कि दोनों को अलग-अलग कर दिया जाय और मिल से दस मील के एरिया के बाद क्रेन क्रशर लगा लिया जाय और चीनी बना लें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें न तो मिल का नुकसान है और न क्रशर वाले का ही नुकसान है।

अगर दस मील के एरिया के अन्दर लगाते हैं तो होड़ में आकर छोटी पूंजी वाला बरबाद हो जायगा। इसलिये श्रीमन्, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है और यह न्यायप्रिय बात है। इसलिये ऐसे एरिया में लगा लें जहां के लोग चाहते हैं कि उनके यहां फैक्ट्री लगे वहां और फैक्टरी न लग सकती हो। जैसे आजमगढ़ में लगा लें, गाजीपुर में लगा दें, देवरिया में घाघरा के निकट लगा लें। ऐसी जगहों पर सरकार कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती है, लेकिन ऐसी जगह नहीं लगाना चाहते हैं। जहां फैक्ट्री ने डेवलपमेन्ट किया है, जहां केन डेवलेपमेन्ट ने डेवलप किया है वहां पर लगाने के लिये जोर दिया जाता है। इसके माने यह होते हैं कि आप किसान का हित नहीं करना चाहते हैं, जो छोट-छोटे उद्योग हैं उनका हित नहीं करना चाहते हैं बल्कि लकीर के फकीर की सी बात करते हैं। कहते हैं कि सरकार पूंजीपतियों की है और नाना प्रकार के आरोप लगाते हैं। तो इस तरह से काम चल नहीं सकता है। इस विधेयक के विरोध करने के माने हैं कि जो रुपया टैक्स के रूप में मिलता है वह नहीं मिलेगा और हमारे विकास कार्य में रुकावट होगी और हमारे और आपके गांवों में उन्नति नहीं हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऐसे जिले हैं जहां गन्ने की पैदावार नहीं होती है। बाकी पूर्वी और पश्चिमी जिलों में इस गन्ने की फसल से इतना पैसा मिल जाता है जिससे लोग अपनी जीविका चला सकते हैं। गेंहूं के ऊपर ओला पड़ सकता है, बारिश से नुकसान हो सकता है, इसी तरह से मटर, चना वगैरह की फसल को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन जहां तक गन्ने की फसल का संबंध है इस पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती है। इसके अलावा यह हमारे यहां की कैश क्रप है। ऐसी फसल को आप लोग पचड़े में डालना चाहते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर आप पूंजीपतियों का समर्थन नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये और कहना चाहिये कि हम इसका समर्थन करते हैं। बिना गन्ना एरिया की जानकारी रखे हुये ऐसी बात कहना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। मैं जानता हूं और सभी माननीय सदस्य जो फैक्टरी एरिया से संबंधित हैं, जानते हैं कि पहले गन्ना किसानों की क्या दशा थी? पहले किसान लोग ३० मन गन्ना ले जाते थे जो मिलों में मुश्किल से १५-१६ मन तुलता था। आज सरकार ने केन यूनियन के क्लार्क यहां पर बिठा दिये हैं। इसके अलावा इंस्पक्टर होता है और डायरेक्टर होता है जो गन्ने की तौल को समय समय पर चेक कर सकते हैं। इस पर भी आप लोग संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं तो क्या सरकार कोई जादू रख दे जिससे आप लोग संतुष्ट हो जायं। इन बातों के देखते हुये मैं निवेदन करूंगा कि जो मिल एरिया से परिचित नहीं हैं उनको ऐसी बातें नहीं कहना चाहिये जिससे लोगों को भ्रम हो और लोगों में यह गुबार पैदा हो कि शायद सरकार ऐसी बात करती हो। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिल एरिया में नहीं रहता हूं और न मुझे बोलने की जरूरत ही थी। लेकिन माननीय धनुषधारी पांडेय जी ने एक बात ऐसी कही जिसको सुनने के बाद मेरी जरूर इच्छा हुई कि मैं भी दो-चार शब्द निवेदन करूं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक केवल मिल एरिया पर लागू होगा। इसका असर उस क्षेत्र पर होगा जहां कोई शुगर मिल होगी। अगर ऐसा होता, तो मुझे कुछ कहना नहीं था। माननीय धनुषधारी जी अपनी सरकार द्वारा लाये गये विधेयक में देखें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस का प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। अब यदि समस्त उत्तर प्रदेश के मानी यह हुए कि पूरा उत्तर प्रदेश मिल एरिया है तब तो मैं मान सकता हूं कि यह केवल मिल एरिया पर लागू होगा। लेकिन अगर पूरा उत्तर प्रदेश मिल एरिया नहीं है तो इसके मानी यह हैं कि यह केवल मिल एरिया पर प्रभावी होगा ऐसा नहीं है। इसके प्रभाव में माननीय मुख्य मंत्री जी जहां से एलेक्शन लड़ना चाहते हैं, रानीखेत भी आ जायगा। अगर कोई आदमी पहाड़ पर बैठ कर गुड़ बनाना चाहता है तो यह सरकार बिज्जू की तरह वहां भी सूंघती हुई पहुंच जायगी टैक्स लगाने

[कुंवर श्रीपालसिंह]

के लिये। यह कह देना कि केवल मिल एरिया पर असर पड़ेगा यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्रीमन्, एक बात और बड़े जोर से उधर से ही कही गयी कि किसानों की भलाई के लिये यह बिल ले आया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आया कि किसानों की इसमें कौन सी भलाई हो जायगी? किसान की भलाई के लिये रफी साहब ने एक फार्मूला आज से कई साल पहले दिया था। लेकिन इस सरकार को उस पर विचार करने की फुर्सत नहीं हुई। रोजाना इसी सदन में इधर के बैठने वाले सदस्य, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, जब कि चार-छः प्रश्न इस किस्म के न करते हों कि सरकार दिल्ली गवर्नमेंट से इस बात की सिफारिश करे कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाय। उस वक्त सरकार अपनी बिलकुल लाचारी दिखा देती है। जिस चीज में किसानों का भला होने को है, उस चीज को सरकार दूसरों पर टाल देती है और इस विधेयक से कहते हैं कि किसानों का भला होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। अगर यह खाली फैक्टरियों के लिये होता, चीनी बनाने वाली मिलों के लिये होता, जिन मिलों के कृपा कटाक्ष से ही सरकार आज कायम है तो मैं कतई इसका विरोध न करता। बल्कि खुश होता क्यों उन पर टैक्स लगाना चाहिये जो इस किस्म से कमाते हैं, और गलत ढंग से रुपया खर्च करते हैं। मगर मैं यह जानना चाहूंगा कि गुड़ बनाने वाला जो है वह कौन सी शुगर फैक्ट्री है?

श्री धनुषधारी पाण्डेय---कोल्हू।

कुंवर श्रीपालसिंह---खांडसारी के लिये तो मान लें कि वह चीनी बनाते हैं, लेकिन हमारा किसान जो गुड़ बनाता है वह कौन सी फैक्ट्री लगा कर बैठा हुआ है?

श्रीमन्, एक चीज जरा और देखिये। इसमें कहते हैं, इस धारा में एक बड़ी मजे की चीज कही गयी है, उसको देखें, तो इनकी नीयत मालूम होती है कि किस नीयत से इसको ले आये हैं, वह है धारा ४। इसमें इन्होंने कहा है कि 'लाइसेंस प्राप्त किये बिना गुड़ अथवा राब बनाने या उसका उत्पादन करने से सम्बन्धित कोई प्रक्रिया न करेगी और न जारी ही रखेगी।' यह जो कोई प्रक्रिया की शब्दावली है यह इतनी व्यापक है कि इसके अन्दर कोई भी चीज आ सकती है। कोई प्रक्रिया में ईख काटना तक आ गया। गुड़, राब या चीनी बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसमें ईख काटने वाली पहली प्रक्रिया होगी और उसके लिये ये कहेंगे कि बगैर गन्ना आयुक्त से लाइसेंस लिये हुए कोई ईख नहीं काट सकता है। इसके मानी यह हैं कि खाली गुड़ के ही ऊपर इनकी नजर नहीं है, इनकी गृद्ध दृष्टि नहीं है वरन् लखनऊ में रहने वाले जो लोग गन्ना चूसते हैं, उनके मुंह के ऊपर भी टैक्स लगाना चाहती है हमारी सरकार। वह इस ढंग से कि पहली प्रक्रिया है ईख काटना। ईख काटने वाली प्रक्रिया के आधार पर किसी भी किसान से यह कहा जा सकता है कि तुम ईख काटकर इसको बेचने के लिये ले जा रहे हो, इसमें यह है कि गन्ना क्रय पर यह टैक्स लग रहा है, गन्ना काटकर जब बेचा जायगा तो वह पहली प्रक्रिया हुई, इसलिये इस पर टैक्स लगेगा। वह कटकर के यहां शहर में लाकर बेचा जाता है। तो इस तरह से जो उसको चूसने वाले हैं उनके मुंह पर भी टैक्स सरकार लगाना चाहती है।

अभी उधर के धनुषधारी जी ने कहा कि कोल्हू पर लगा रहे हैं तो मुंह को भी उन्होंने शायद कोल्हू समझ लिया है। इस प्रकार से श्रीमन, एक बात अगर इसमें हो तो कहें भी। हर एक जगह के ऊपर पूरे विधेयक को अगर देखा जाय तो स्पष्ट साबित होता है कि इन्होंने इसको बनाया है केवल उन फैक्ट्रीज के फायदे के लिये। यह चाहते हैं यह कि शक्कर मिल वाले ज्यादा- से ज्यादा नफा कमायें, अधिक से अधिक चीनी बनावें, ज्यादा से ज्यादा लाभ पर चीनी बेची जाय, उस क्षेत्र में दूसरा कोई गन्ना खरीदने वाला न रहे जिससे कि उनको कम्पटीशन में ज्यादा दाम भी गन्ने का न देना पड़े। उसका नतीजा क्या होगा श्रीमन, वह मैं

नहीं निवेदन करना चाहता। उसको इधर के और उधर के भी सब माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों वह चाहते हैं कि चीनी बनाने वालों का मुंह हमेशा मीठा रहे? श्रीमन्, मैं महज इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह चीनी जो बनाते हैं उसी से हमारी सरकार का भी मुंह मीठा कर दिया करते हैं, इसी से उनका मुंह मीठा करने के लिये सरकार भी बचनबद्ध और क्रियाबद्ध है।

श्रीमन्, एक चीज और कही गई बड़े मजे की कि साहब कितने करोड़ का घाटा हो जाता अगर हम इस कानून को न लाते। इसके बारे में मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हमारे मौजदा मुख्य मंत्री जी ने गोरखपुर की एक जनसभा के अन्दर अपनी स्पीच में यह कहा था कि यह रुपया जो है यह सरकार की गलती की वजह से गड़बड़ में फंस गया। सरकार पैरवी नहीं कर सकी उस मुकदमे की जिसकी वजह से यह रुपया गड़बड़ में फंस गया (व्यवधान) छोटे वकील से पैरवी के माने ही हुये की पैरवी में कमी। दूसरी तरह से बड़ी भारी तोप लगा दी गई और इधर से आपने एक छुरछुरी लगा दी तो उससे क्या होता है? मतलब यह है कि सरकार की इनएफिशियेंसी इससे साबित हुई। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि उस कुर्सी पर कौन रहे। मैं तो समझता हूं कि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। कांग्रेस के अन्दर एक दल रहे, चाहे ५० दल रहें, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि वकील ठीक नहीं किया इसलिये हार गये। अब वकील नहीं किया और हार गये तो इसके मानी यह नहीं कि गुड़ वालों के सिर पर भी चढ़ जाइये। आप हार गये चीनी वालों से आप उनका चूर्ण बना डालिये तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आप अपने उनके साथ-साथ गुड़ वालों को भी घसीटना चाहते हैं। इसमें खांडसारी, राब और चीनी मिल यहां तक ही बात रही होती तो उसका मैं भी समर्थन करता क्योंकि उससे मैं यह जानता कि अब सरकार अपने पैर पर अपने हाथ से छूरा रेत रही है। लेकिन इस सरकार के तो हाथी की तरह दिखाने के दांत और हैं और चबाने के दांत और हैं। दिखाने के लिये तो गन्ने के ऊपर केवल खरीद पर टैक्स लग रहा है और खरीद जो करेगा उस पर टैक्स पड़ेगा।

एक चीज और कही गई कि पहले किसान पीठ पर ईख लादकर लाता था और तौलने में गड़बड़ कर दिया करता था। अब उस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया और थोड़ी सी बढ़ोत्तरी कर देगी क्योंकि जब टैक्स लगा रहे हैं खरीद पर तो खरीदने वाले पहले धरे जायेंगे। इसमें से आप कितना पैसा निकालेंगे? लिहाजा गन्ना किसान का यदि डेढ़ मन होगा तो उसमें से आधा जरूर ही आप को मिल जायगा क्योंकि खरीद पर टैक्स लगा रहे हैं और खरीदने वालों पर टैक्स लगा रहे हैं। इस प्रकार से इसको देखा जाय तो घुमा फिराकर सारा का सारा जो कुछ प्रभाव होगा वह केवल किसान पर ही जाकर पड़ता है। गन्ना उत्पादकों पर ही पड़ता है। वैसे कहने को जो कुछ भी कहा जाय और इस तरह से हम इधर-उधर कहने के लिये घसीटते हैं मगर मैं तो यह समझता हूं कि इस कानून के द्वारा मिल वालों का गला नहीं घोंटा जा रहा है, बल्कि उनकी थैली भरी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
६ मार्च, १९६१।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०२९३ एल० ए०—१९६१—८४५।